

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. I, First Session, 2019/1941 (Saka)
No. 5, Friday, June 21, 2019/Jyaistha 31, 1941 (Saka)**

C O N T E N T S**P A G E S****ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

* Starred Question Nos.1 to 7 11-64

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.8 to 19^{**} 65-113

Unstarred Question Nos. 1 to 65^{**}, 67 to 113^{**} and 114-586
115 to 191

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

** Unstarred Question Nos.20, 66 and 114 were deleted due to appointment of Shri Om Birla as the Hon'ble Speaker.

REFERENCE BY THE SPEAKER	587
International Yoga Day	
ASSENT TO BILLS	589
NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS	590
ELECTION TO COMMITTEE	
Central Silk Board	591
BUSINESS OF THE HOUSE	592-600
GOVERNMENT BILLS- Introduced	
(i) Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019	605-631
(ii) Homeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019	633
STATEMENT RE: MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE SECOND ORDINANCE, 2019	632
STATEMENT RE: HOMOEOPATHY CENTRAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019	634
MEMBER SWORN	669

PRIVATE MEMBERS BILLS - Introduced	677-695
(i) Sabarimala Sreedharma Sastha Temple (Special Provisions) Bill, 2019, By Shri N.K. Premachandran	677
(ii) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2019 <i>(Amendment of section 31)</i> By Shri N.K. Premachandran	678
(iii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2019 <i>(Amendment of section 3, etc.)</i> By Shri N.K. Premachandran	678
(iv) Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2019 <i>(Amendment of section 1, etc.)</i> By Shri N.K. Premachandran	679
(v) Prevention of Female Infanticide Bill, 2019 By Shri Adhir Ranjan Chowdhury	679
(vi) Old Age Pension and Rehabilitation Bill, 2019 By Shri Adhir Ranjan Chowdhury	680
(vii) Prohibition and Eradication of Ragging Bill, 2019 By Shri Adhir Ranjan Chowdhury	680

- (viii) Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service and Welfare) Bill, 2019
By Shri Adhir Ranjan Chowdhury 681
- (ix) Compulsory Voting Bill, 2019
By Shri Janardan Singh 'Sigrival' 681
- (x) Constitution (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of Eighth Schedule)
By Shri Janardan Singh 'Sigrival' 682
- (xi) High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Maharajganj) Bill, 2019
By Shri Janardan Singh 'Sigrival' 682
- (xii) Poor and Destitute Agricultural Workers (Welfare) Bill, 2019
By Shri Janardan Singh 'Sigrival' 683
- (xiii) Cow Protection Bill, 2019
By Dr. Nishikant Dubey 684
- (xiv) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of section 2, etc.)
By Dr. Nishikant Dubey 684

- (xv) Tribal Children and Lactating Women in Jharkhand and other States (Removal of Hunger, Malnutrition and Prevention of Starvation Deaths) Bill, 2019
By Dr. Nishikant Dubey 685
- (xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2019
(*Insertion of new article 370 A*)
By Dr. Nishikant Dubey 686
- (xvii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2019
(*Substitution of New Section for Section 304A*)
By Shri Shrirang Appa Barne 686
- (xviii) Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019
(*Amendment of the Schedule*)
By Shri Shrirang Appa Barne 687
- (xix) Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2019
(*Amendment of section 12, etc.*)
By Shri Shrirang Appa Barne 687
- (xx) Compulsory Physical Fitness of Children through Sports in Schools and Development of Sports Infrastructure Bill, 2019
By Shri Shrirang Appa Barne 688

(xxi) Stray Cows (Protection and Control) Board Bill, 2019 By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	689
(xxii) Promotion and Protection of Intangible Cultural Heritage Bill, 2019 By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	689
(xxiii) Bundelkhand Regiment Bill, 2019 By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	690
(xxiv) Central Sanskrit University Bill, 2019 By Kunwar Pushpendra Singh Chandel	690-691
(xxv) Mega Projects (Timely Completion) Bill, 2019 By Sunil Kumar Singh	692
(xxvi) Population (Stabilization and Planning) Bill, 2019 By Sunil Kumar Singh	692
(xxvii) Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2019 By Shri Sunil Kumar Singh	693
(xxviii) River (Conservation and Elimination of Pollution) Bill, 2019 By Shri Sunil Kumar Singh	694

(xxix) Official Government Meetings and Functions (Prohibition on Serving Non - Vegetarian Food) Bill, 2019 By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	694
---	-----

(xxx)Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Amendment Bill, 2019 (Amendment of the schedule) By Shri Parvesh Sahib Singh Verma	695
---	-----

PRIAVE MEMBER'S RESOLUTION

Construction of canals through Ken-Betwa river linking project to overcome the Problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region	696
---	-----

Kunwar Puspendra Singh Chandel	697-715
Dr. Nishikant Dubey	716-732
Shri Nihal Chand	733-738
Shri Mukesh Rajput	739-743
Shri Bhanu Pratap Singh Verma	744-747

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	749
Member-wise Index to Unstarred Questions	750-751

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	752
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	753

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, June 21, 2019/Jyaistha 31, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी शांत हो जाइए । आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सारे विषय टेबल ऑफिस को दे दीजिए । आपके विषय पर जीरो अवर में चर्चा की जाएगी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप से चर्चा हो गई है, आप जीरो अवर में विषय उठाएंगे, कृपया शांत हो जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप से चर्चा हो गई है, आप जीरो अवर में विषय उठाएंगे, कृपया शांत हो जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । जीरो अवर में चर्चा होगी ।

11.01 hrs**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 1, श्री कौशल किशोर ।

(Q.1)

श्री कौशल किशोर : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे 17वीं लोक सभा के पहले सत्र का पहला प्रश्न पूछने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पहले मैं 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, नेता सदन, उपनेता सदन, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, माननीय अमित शाह जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी मंत्रिगण, राज्य मंत्रिगण और आए हुए सभी माननीय सांसदगण का आभार व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए ।

श्री कौशल किशोर: चूंकि आज पर्यावरण दिवस और योग दिवस है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आज पर्यावरण दिवस नहीं है। आज योग दिवस है।

श्री कौशल किशोर: हां, आज योग दिवस है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री कौशल किशोर: माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी बात को सुन लें। इस योग दिवस पर, मैं चाहूंगा कि यह पर्यावरण से संबंधित सवाल है, इसलिए इस सदन का राजनैतिक पर्यावरण और लोकतांत्रिक पर्यावरण भी ठीक चले ।

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण के सवाल के संबंध में हमारे जो उच्च संस्थान हैं, जैसे – रोहतक का आईआईएम है, लखनऊ में है, पर्यावरण को ध्यान में रख कर जो बड़े वृक्ष लगाने चाहिए थे, उनकी जगह कहीं-कहीं पर छोटे पौधे और गमले में पौधे लगाए गए। वहां बीच में केवल शो-पीस की तरह से कुछ पेड़ लगाए गए या अशोक के लंबे पेड़ लगाए गए, जो बड़े होने पर बहुत छायादार वृक्ष नहीं होते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी रोहतक संबंधित एक सवाल का ऐसा जवाब आया था कि वहां पर पांच हजार वृक्ष लगे हैं, लेकिन यह सही है कि वहां पर पांच हजार वृक्ष नहीं लगे हैं। मैं पहले प्रश्न में यह

जानना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े-बड़े संस्थानों में क्या बड़े वृक्ष जैसे – नीम, बरगद या पीपल के पेड़ लगाने के संबंध में सरकार कोई निर्देश देगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : 17वीं लोक सभा का पहला प्रश्न पूछने के लिए, मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और हम एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। पिछले एक साल में दुनिया में भारत का ग्रीन कवर, जो हमारे वन हैं, उनमें एक फीसदी वृद्धि हुई है। यह बहुत अच्छी सफलता है।
...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: नहीं सर। ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं आपको बता रहा हूँ। It's a survey. ... (व्यवधान) यह तरीका नहीं है।
...(व्यवधान) दूसरा, दुनिया के केवल दस देशों में यह ट्री-कवर बढ़ा है और ट्री-कवर आउट ऑफ फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है।

मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ। वर्ष 2014 में जहां 13 लाख 50 हजार हेक्टेयर पर नया प्लांटेशन हुआ था, वर्ष 2018 में वह बढ़कर 16 लाख 85 हजार हेक्टेयर तक बढ़ गया है। यह वास्तविकता है। मूल मुद्दा जो आपने रोहतक का पूछा, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लगाते समय पौधे ही होते हैं, लेकिन जब वे बड़े होते हैं, तभी वृक्ष बनते हैं। रोहतक के आईआईएम में हमने बहुत सारी लोकल वैराइटीज, नीम आदि का जैसे आपने उल्लेख किया है, वे लगाए हैं। जामुन हैं, बेनयन ट्री हैं, पीपल आदि भी लगाए हैं। सरकार के एचआरडी विभाग ने सभी कालेज और यूनीवर्सिटीज को कहा है कि एक स्मार्ट कैम्पस प्रोग्राम का एक हिस्सा ग्रीनिंग ऑफ दि कैम्पस होना चाहिए और स्टूडेंट्स की सहायता से ग्रीनिंग करने का कार्यक्रम सारे संस्थानों ने बनाया है और इसका अमल शुरू हो गया है।

श्री कौशल किशोर : माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। मोटर व्हीकल्स इसका सबसे बड़ा कारण है। बड़े पैमाने पर ये धुआं छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण खराब होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी जो एजेंसीज हैं, जो व्हीकल बेचती हैं या जो कम्पनियां व्हीकल बनाती हैं, उनकी तरफ से व्हीकल खरीदने वाले लोगों को एक बड़े वृक्ष का पौधा अपनी तरफ से दें। क्या ऐसा कोई कानून बनाएंगे, ताकि जो व्हीकल खरीदता है, वह पौधा जरूर लगाए? इससे पर्यावरण और ज्यादा बेहतर हो सकेगा।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह एक अच्छा सुझाव है, जिसे कह सकते हैं – Suggestion for action. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल में अभी BS-IV का पूरे देश भर में प्रचलन हुआ है। इससे प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है और अगले साल से BS-VI सभी जगह मिलने लगेगा, तब यह प्रदूषण बहुत कम होगा और BS-VI कम्प्लायंट व्हीकल्स भी मिलेंगे। आपने लोगों के सहभाग की बात कही है। हम एक नया कार्यक्रम केवल प्लांट सेप्लिंग ही नहीं, पौधे का वृक्ष बनने तक देख-रेख करना 'प्लांट एंड ग्री' हम यह नया कार्यक्रम शुरू करेंगे।

श्री राहुल रमेश शेवाले : महोदय, 17वीं लोक सभा के प्रथम तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सदन में पर्यावरण से संबंधित प्रथम प्रश्न से आगाज होना एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ स्थित शिक्षण संस्थानों के नजदीक वृक्षारोपण करने के अतिरिक्त क्या सरकार प्राइवेट स्कूल, सैकेंडरी स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं, क्या उन्हें कोई गाइडलाइन दी है कि उनके माध्यम से वृक्षारोपण के प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल, सैकेंडरी स्कूल में होने चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानना चाहता हूँ कि हम वृक्षारोपण के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बाद में एक साल बाद उसे देखा नहीं जाता है, उस पौधे का ध्यान नहीं रखा जाता है। सरकार के माध्यम से क्या उसका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है? अगर उस पौधे का थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है, तो उसका ब्यौरा सरकार को लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संक्षिप्त में पूछिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष जी, स्कूलों, पाठशालाओं और हाई स्कूलों में एक 'स्कूल नर्सरी' नाम का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, यह अभी पायलट हो गया है और इसे अधिक अच्छे तरीके से और बढ़ाएंगे। इसमें कल्पना यह है कि एक छोटी नर्सरी होगी, वन विभाग के अधिकारियों की गाइडेंस से पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन पौधे का रोपण छात्र करेंगे। पौध की परवरिश भी छात्र ही करेंगे। एक साल के बाद वह बड़ा हुआ प्लांट अपने एनुअल रिजल्ट के साथ वे घर ले जाएंगे, क्योंकि वह उनकी निर्मिति है। यदि उनके घर में जगह है, तो वे पौधे को वहां लगाएंगे और यदि उनके घर में जगह नहीं है, तो

अपने घर के आस-पास गली में या जहां भी जगह है, वहां जाकर कहेंगे कि मैंने प्लांट तैयार किया है और मैं आपके यहां लगाना चाहता हूं तो कोई भी प्लांट लगाने के लिए मना नहीं करेगा। इस तरह से स्कूल नर्सरी का हम बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। जैसा आपने कहा कि प्लांट एंड ग्रो, पेड़ की मेनटेनेंस भी जरूरी है, इसलिए जैसे हॉर्टिकल्चर की स्कीम है कि तीन साल उसकी देख-रेख होनी चाहिए और फॉरेस्ट का भी प्रोटोकॉल है, वैसे ही हम सभी लोगों को और एजेंसीज को हम कह रहे हैं।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: First, this one per cent increase usually means that the satellite pictures have been taken when the sugar-cane was at its height. The sugar-cane often passes off for trees. This has happened many times. I would suggest that the Ministry check when the pictures were taken. There have been a large number of highways made in the last five years. These highways have entailed the cutting of lakhs and lakhs of full-grown trees and those have caused dust storms everywhere. What mechanism exists to re-plant those trees?

Secondly, the Forest Department simply does not have any trees across India in their so-called nurseries. What mechanism exists to check whether the Forest Department nurseries have actually any trees in them? These are two separate questions.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : एक प्रश्न में लगभग चार प्रश्न मेनका जी ने पूछे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। पहला मुद्दा यह है कि एक पेड़ अगर कटता है, तो ग्रॉसली आप मानकर चलिये कि एक पेड़ कटने पर, किसी भी विकास काम के लिए अगर पेड़ कटता है, तो कम से कम चार या पांच नए वृक्ष लगाने का कार्यक्रम लगाने का कार्यक्रम होता है। कई वहीं लगते हैं, कई दूसरी जगह लगते हैं।

जहां तक हाइवे का सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ हाइवे ने अपने बजट का एक परसेंट यह इसलिए रखा है कि हाइवे के आसपास अच्छी ग्रीनरी तैयार हो, इसे अनेक जगह लगाया है और अभी नया

कार्यक्रम घोषित किया है। 125 करोड़ पेड़ - गडकरी जी का मंत्रालय है - हाइवे के आसपास लगाने वाले हैं और इसलिए इसका भी अच्छा स्वागत होगा और लोग भी इसमें सहभाग देंगे।

तीसरा जो सवाल पूछा है सैटलाइट पिक्चर्स का, ये हर महीने आते हैं और उनकी निगरानी होती है। केवल जब शुगरक्रेन ग्री होना है, यह सच नहीं है। दूसरी बात है कि जो बाकी सुझाव दिए हैं, वे सुझाव अच्छे हैं, हम उन पर विचार करेंगे।

(Q. 2)

श्री अजय मिश्र टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण के प्रति चिंतित है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास व चुनौतियां, जहां मानव सभ्यता ...(व्यवधान) मंत्री जी ने पटल पर रख दिया है। ...(व्यवधान) पहले से ही रखा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था ...(व्यवधान) अरे, सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण के प्रति चिंतित है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास व चुनौतियां, जहां मानव सभ्यता व संस्कृति के प्रयासों की अभिव्यक्ति है, वहीं अपेक्षित विश्वास व सामर्थ्य जुटाने की पहल भी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अजय जी, आप सीधे क्रॉस-क्वेश्चन पूछिए।

श्री अजय मिश्र टेनी: अध्यक्ष जी, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, उसकी लिए यह भूमिका है।

माननीय अध्यक्ष : बहुत ज्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय मिश्र टेनी: अध्यक्ष जी, मैं शॉर्ट में पूछता हूं। भारतीय परिदृश्य में हमारे पर्यावरण के संकट से हर आयु वर्ग के व्यक्ति का जीवन स्तर, गुणवत्ता व आयु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल से ही प्रभावी प्रयास किये हैं, जिसकी पुष्टि 2015 के पेरिस सम्मेलन के साथ ही भारत द्वारा सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के प्रयासों के परिणाम से भी हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्यावरण को संतुलित करने में वनों के महत्व को देखते हुए सरकार ने वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट में वन क्षेत्रफल में वृद्धि भी बताई गई है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जवाब नहीं देना है। आप सीधे अपना क्वेश्चन पूछिए।

श्री अजय मिश्र टेनी : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न ही है। परंतु बावजूद वन क्षेत्रफलों की वृद्धि के कार्बन-डाइऑक्साइड ग्रहण करने की वनों की क्षमता कम हुई है। क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि सर्वेक्षण में वृक्षारोपण जो भी हुआ है, उसको वन के रूप में रिकॉर्ड कर लिया गया हो? जिसका परिस्थिति नियंत्रण में बहुत कम योगदान होता है व वास्तविक स्थिति के आकलन में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि हां, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार कोई अन्य

प्रमाणित प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेगी, जिससे कार्बन-डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि के लिए हम प्रयास कर सकें?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: पहले यह समझना जरूरी है कि जो सेटेलाइट की मैपिंग होती है, वह एक हेक्टेयर का रिजॉल्यूशन भी पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि खेतों में कुछ भी फसल आई तो फसल को जंगल नहीं दिखाते हैं। फसलों में केवल कोकोनट ट्री, जो बड़े होते हैं या जो बड़े बम्बू होते हैं वह फॉरेस्ट में आते हैं, बाकी वृक्ष भी आते हैं तो यह सच नहीं है।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि यह जो आपने बताया तो कितने कार्यक्रम हैं, जिनके अंतर्गत वृक्ष लगाए जाते हैं। ग्रीन इण्डिया मिशन, कॉम्पेंसेट्री अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का खुद का प्लान, फिर आर्मी भी उसमें सहभागी होती है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, हार्टिकल्चर मिशन, नॉन फॉरेस्टेशन एरिया में लोग पेड़ लगाते हैं, मेड़ पर पेड़ किसान लगाते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, बम्बू मिशन है, मेडिसिनल प्लाण्ट मिशन है, अरबन फॉरेस्ट्री है, रोड्स के आसपास है, रेलवे ने भी बहुत सारा काम शुरू किया है और गंगा का प्लान भी तैयार है।

माननीय अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री पूछिए।

श्री अजय मिश्र टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, नेचर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है तथा वन क्षेत्र के बाहर भी लोगों ने फलदार व औषधीय वृक्षों को लगाने में रुचि ली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या औषधीय, फलदार या कुछ विशेष किस्म के पौधों के वायु शोधन की क्षमता सामान्य पौधे व सामान्य वन्य क्षेत्र के सापेक्ष यदि कोई अध्ययन किया गया हो, क्या अधिक होती है? यदि ऐसा है तो क्या वायु शोधन की अधिक क्षमता रखने वाले वृक्ष हैं, उनका पौधारोपण करने के लिए सरकार कोई नया कार्यक्रम बनाएगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : जब वृक्ष बढ़ता है तब वह कार्बन सिंक एक तरह से होता है और पेरिस सम्मेलन में हमने एक नया टारगेट दिया है कि भारत वर्ष 2030 तक 2.5 मिनियन टंस ऑफ कार्बन सिंक फॉरेस्ट बढ़ाकर तैयार करेगा। यह भी दुनिया ने स्वागत किया है और आपने जो सुझाव दिया है, वह महत्वपूर्ण है। उसके बारे में रिसर्च के नौ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वह लगातार इस पर काम करते रहते हैं।

HON. SPEAKER: Shri Kanakmal Katara – Not present.

(Q.3)

HON. SPEAKER: Shri M.K. Raghavan.

SHRI M. K. RAGHAVAN : Thank you, Sir, for giving me this opportunity. India is rapidly popularising one of the oldest forms of medicine, the Ayurveda. Today there is a huge deficiency of the components required for preparation of Ayurvedic medicines, which are available in plants, roots and barks. While, at one stage, the Ayurveda form of treatment is coming back to centre stage, there is a need for more availability of medicinal plants for the preparation of Ayurvedic medicines.

As there is huge availability of herbal plants in Kerala, it is considered as the hub of Ayurveda. I would like to know from the hon. Minister the target fixed by the National Medicinal Plants Board for the State of Kerala, how far these targets have been achieved and how much fund is released for propagating cultivation of medicinal plants in Kerala State.

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker, Sir, I would like to inform the hon. Member that the activities of the National Medicinal Plants Board are not specifically for the State of Kerala. They are for the whole country. We encourage every State, which is a relevant stakeholder for all these rare endangered species of plants which we call as herbs and which are used in the preparation of Ayurvedic medicines, to protect these plants, help the farmers and also to ensure help to anybody who proactively wants it. It is both ways.

If the farmers - whether they belong to Kerala or any part of the country – want help, they can approach the Ayush Department. There is a huge mechanism to support them through the National Ayush Mission. The National Medicinal

Plants Board, which is also a subsidiary organisation of this Ministry, has a lot of schemes. This is one of the most ambitious schemes that the Government wants to support and it is not only supporting this programme in India, but also abroad.

The basic question was as to how much the Government is concerned about it. We have even ensured it. With over 18 countries, we have signed different types of MoUs for cooperation, for research, for inviting their fellows here, and for establishing Ayush Chairs and Ayush Information Cells in various Ayush missions.

You have specifically asked about Kerala. I can assure you this.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो आप चुप रहें।

DR. HARSH VARDHAN: Please, let me complete. Your basic question is this. You are asking as to what the Government is proposing to do for Kerala. I have said that the Government is not only committed specifically for Kerala, but for the whole country regarding this issue. This issue is so dear to Indians. This is our most important ancient wisdom. That is why, five years back, under hon. Prime Minister Narendra Modi, the National Ayush Mission was created. There are so many facets in the National Ayush Mission. Every stakeholder – whether it is an industry, farmer, Ayurvedic Medical College or Ayurvedic Institution or whether it is something which has to be done to protect, preserve and strengthen our herbs and ensure manufacturing process from herbs to medicines – has been included. At every stage, from warehouses to the involvement of industry - whether it is Kerala or any other part of the country - the Government is committed to it and

has already supported it. There is no project in the country for which help has been sought from the Department of Ayush and it has been refused.

माननीय अध्यक्ष: उदय प्रताप जी ।

श्री उदय प्रताप सिंह : धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले, 17वीं लोक सभा में आप स्पीकर के रूप में यहाँ पर विराजे हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और आपकी लीडरशिप में 17वीं लोक सभा के कार्य अपनी ऊँचाइयों पर पहुँचेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा का सारा जो सिस्टम है मिनिस्ट्री का, इसमें जो जवाब आया है, उसमें या तो सम्मेलनों के माध्यम से, वर्कशॉप, संगोष्ठियों को कराया जा रहा है और संस्थानों या एनजीओस या ट्रस्ट के माध्यम से, सोसायटीज़ के माध्यम से सारा मूवमेंट आपका चलता है । मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे स्थान, जो कि प्राकृतिक रूप से, जैसे हिमालय में हैं, सतपुड़ा है, विन्ध्याचल है, अरावली के पर्वत हैं, जहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ, जहाँ जड़ी-बूटियाँ आसानी से उपलब्ध हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या ऐसे स्थानों पर सरकार, मंत्रालय इनीशिएट करके, बजाय कि दूसरे पर निर्भर रहकर मंत्रालय, विभाग खुद अपनी तरफ से, जैसे मेरे यहाँ संसदीय क्षेत्र में पंचमढ़ी एक जगह है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, जहाँ पर जड़ी-बूटियाँ या इस तरह के संसाधन हम पैदा कर सकते हैं, क्या मंत्रालय इस तरह की अपनी कोई गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अपने संस्थान स्थापित करने की या जड़ी-बूटियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके माध्यम से हम कोई इलाज आदि या देश में अन्य सुविधाएँ जो हम आयुर्वेद और नैचुरोपैथी के माध्यम से समाज को दे सकते हैं, इस तरह के कुछ संस्थान विकसित करने पर क्या मंत्रालय ध्यान दे रहा है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि देश में ऐसे सभी स्थान, जैसे उन्होंने हिमालय पर्वत की बात की, दूसरे स्थान, जहाँ पर इस प्रकार की जो रेयर एंजेंजर्ड स्पीशिज़ हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं ।

उनको जो भी किसान उगाते हैं, वे कहां-कहां होती हैं, उसकी सारी जानकारियां डिपार्टमेंट के पास हैं। डिपार्टमेंट दोनों तरीके से, एक तरफ जो किसान हैं, ऐसे किसानों की जानकारी, उनके साथ संपर्क, उनको सब्सिडी देना, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनको मार्केट के साथ जोड़ना और इसी तरह से डिपार्टमेंट ने एक ई-चरक पोर्टल बनाया है, जो हब वह उगाता है, किस प्रकार की इंडस्ट्री के साथ उसकी जरूरत है, उसको कनेक्ट करना है। यहां तक कि वेयरहाउस तक भी पहुंचाना है। इसके विपरीत जैसा कि अभी मैंने एक माननीय सदस्य को बताया है कि यह तो सरकार की तरफ से सब स्थानों पर प्रो-एक्टिवली होता है, क्योंकि यह सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा ऐम्बिशियस और बहुत ही ज्यादा पेशन वाला विषय है। दूसरी तरफ, कोई भी व्यक्ति, इन्डिविजुअल किसान, आर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से, जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से सपोर्ट चाहती है, तो सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसके माध्यम से सरकार हर प्रकार की सहायता भारत में भी करती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि आज तो यह विषय सारे संसार के अंदर जो बहुत सारे एमयोयूज हैं, इसके लिए जाइंटली रिसर्च करने के लिए, कोआर्डिनेशन करने के लिए, वहां के लोगों को यहां बुलाने के लिए, इवेन दूसरे देशों के अंदर आयुर्वेद की सर्विसेज जिन देशों ने मांगी है, वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स जाकर वे सर्विसेज भी उनको दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर तरीके से सरकार ने इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीरता के पिछले पांच सालों में लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कारण भारत की बहुत व्यापक प्रतिष्ठा बढ़ी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। माननीय सदस्य शांत रहिए।

...(व्यवधान)

(Q.4)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न को इस सदन में उठाने की अनुमति दी है। यह 17वीं लोक सभा की शुरुआत का वक्त है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें कई सारे भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं। करोड़ों-लाखों लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। मैं कुछ निवेदनों के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे के फेयर एंड लवली के विज्ञापन में चंद ही दिनों में लोगों को गोरा करने का दावा किया जाता है। वोल्टास नामक रेफ्रिजरेटर कंपनी यह दावा करती है कि तीस दिनों अर्थात् एक महीने तक वह सब्जियों को फ्रेश रख सकती है। एक चाइनीज कंपनी है वीवो, उनका दावा सरकार के द्वारा भी गलत पाया गया है। कई सारी शिक्षा संस्थाओं में इनके मानक को बढ़ा-चढ़ाकर दिया जाता है, जिससे छात्र दुष्प्राभिवत होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनका शोषण होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों में इस प्रकार की शिकायतें बहुत बढ़ रही हैं। सरकार ने इस पर कदम भी उठाया है। मैं मंत्री जी का भी इसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मगर मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या सरकार सिर्फ शिकायतों को देखकर नहीं बल्कि सूओ मोटो, अपनी ओर एक व्यवस्था बनाए, अपनी ओर से एक निगरानी व्यवस्था बनाए, सूओ मोटो व्यवस्था से ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाए और उस पर कड़े से कड़े प्रावधान करे, क्या सरकार इस बारे में सोचेगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि गलत दावे करने वाले इशितहार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और इसके लिए कानून भी है, नियम भी है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा ग्रेवांसिस अगेन्सट मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट्स नामक एक पोर्टल है। पोर्टल पर शिकायतें आती हैं। पिछले चार सालों में 6,710 शिकायतें इसमें आई हैं, जिसका समाधान किया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ जैसे कि डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी ने कहा कि एक कंपनी ने कहा था - फास्टेस्ट नेटवर्क, वह गलत पाया गया है, उसे रद्द किया गया। रेडी टू ईट नूडल्स उसके लिए गलत दावे थे, वह रद्द हुआ।

एडिबल ऑयल के बारे में भी गलत दावा रद्द हुआ। ऐसी अनेक कंपनियों के इश्तेहारों के बारे में तुरंत कार्यवाही की जाती है। इसके लिए आस्की कर के एक संस्था है – एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। वह वॉलेंट्री है, लेकिन उनको सारा सपोर्ट कानून और नियम देते हैं। यह प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ई-मेल्स, इंटरनेट, वैबसाइट, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रोशर्स, प्रमोशनल मैटेरियल और पॉइंट ऑफ सेल मैटेरियल, इतनी सभी जगहों पर कोई भी गलत इश्तेहार है तो लोगों से हम सुझाव भी मांगते हैं और शिकायत भी मांगते हैं और आस्की के द्वारा इसका निष्पादन होता है।

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी : अध्यक्ष जी, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् के पास शिकायतें आती हैं और वह निगरानी करती है। जो कंपनियां दोषी पाई जाती हैं, अगर पहली बार गलती करती हैं तो उनको दो साल की जेल और दस लाख का जुर्माना होता है। ऐसी ही गलती अगर वे दोबारा करते हैं तो पांच साल की जेल और पचास लाख का जुर्माना उन पर लगता है। मैं समझता हूँ कि यह जुर्माना और जो जेल का प्रावधान है, वह कम है। मगर कहीं-कहीं सैलेब्रिटी लोग, स्टार लोग विज्ञापन में आते हैं और स्टार के प्रति लोगों की एक आस्था होती है। लोग उनको फॉलो करते हैं और स्टार के विज्ञापन में आने की वजह से लोग प्रभावित होते हैं और ऐसी कंपनियों की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के सैलेब्रिटी जो गलत विज्ञापनों को प्रोत्साहित करते हैं, उन पर सजा का प्रावधान है? मगर उस सजा को, क्योंकि उनमें क्रिमिनल प्रावधान नहीं है, क्या सरकार और कोई कड़ा प्रावधान करेगी ?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: सर, सदस्य ने यह एक सुझाव दिया है। This is suggestion for action.

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि प्रश्न के उत्तर में यह लिखा गया है कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ई-मेल्स आदि को देखता है। लेकिन आज जो युवा है वह सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया, फेसबुक, वॉट्सएप्प, ट्वीटर से लेता है, तो आदरणीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है कि सोशल मीडिया पर जिस पर से मिसलीडिंग

एडवर्टाइज़मेंट्स, हम देखते हैं कि चुनावों के समय जिस प्रकार से मिसलीडिंग खबर आती है, जिससे कभी-कभी समाज के दो धर्मों के लोगों के बीच तनाव भी फैलता है, इस प्रकार के मिसलीडिंग न्यूज़, मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट्स, जो कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमारी सरकार सोशल मीडिया पर क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : सर, यह प्रश्न इश्तेहारों के बारे में है। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह भी महत्वपूर्ण है कि फेक न्यूज़ हो या गलत इरादे से दी हुई न्यूज़ हो, वह एक अलग महत्वपूर्ण विषय है, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए।

(Q.5)

PROF. SOUGATA RAY : In this case also the hon. Minister is not present. आप देखिए तीन प्रश्न हो गए हैं, किसी में भी मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हैल्थ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। यह कानून है। संविधान नियामक प्रक्रिया के अंदर आपने खुद ने पढ़ा है। आप माननीय सीनियर सदस्य हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री जवाब दे सकता है।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Prof. Sougata Rayji, there is a laid down procedure and you know the procedure better. वे छुट्टी पर हैं, इन्होंने स्पीकर साहब से अनुमति ली है। स्पीकर साहब ने एलाऊ किया है। Are you challenging the order of the hon. Speaker? ...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: I am not challenging his order. I am asking if it is proper for an hon. Minister. ...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: He is a Cabinet Minister and he is replying.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रोसिजर है कि कोई भी माननीय मंत्री जवाब दे सकता है।

...(व्यवधान)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: There is a procedure in the Rule Book. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सीनियर मॅबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बैठिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, हम सब कुछ काम शुरू करेंगे और मंत्री छुट्टी मना रहे हैं। यह कोई बात हुई?
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज योग दिवस है।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। ...(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker, Sir, I would like to inform all the hon. Members who are protesting. ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको एलाऊ किया है न, तो आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं?

...(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Sir, this Question has already been transferred to my Ministry officially. ...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Is Siddha under your Ministry?

DR. HARSH VARDHAN: This Question pertains to CGHS facilities.

माननीय अध्यक्ष : सीजीएचएस, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है।

DR. T.R. PAARIVENDHAR : Hon. Speaker, from the hon. Minister's reply, it is understood that there are only 63 Siddha units functioning in the country. I want to know from the hon. Minister as to whether necessary action will be taken to open more Siddha units in the existing CGHS Wellness Centres across the country, particularly in the State of Tamil Nadu for promoting our traditional medicines.

Further, I came to know that the facility of local purchase system is allowed in Ayurvedic, Homeopathy and Unani system of medicines but the same is not allowed for Siddha. Why is this partiality? Will the hon. Minister take necessary

steps to allow local purchase system for Siddha medicines too? I would like to ask my second supplementary.

माननीय अध्यक्ष : दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप बाद में पूछना । माननीय सदस्य, बैठिए । पहले जवाब देने दीजिए ।

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Speaker Sir, let me inform the Member that as far as Siddha dispensaries are concerned, there are already 815 Siddha dispensaries only in the State of Tamil Nadu. There are 289 Siddha Hospitals only in the State of Tamil Nadu and apart from that, there are ten colleges of Siddha alongwith hospitals only in the State of Tamil Nadu. There are two dispensaries with the CGHS facilities in Tamil Nadu.

So, as far as creating more facilities for AYUSH with CGHS facilities is concerned, I would like to tell the hon. Member that we have already got 85 clinics of AYUSH in CGHS dispensaries out of which three belong to Siddha. And there is a programme for creating another 53 dispensaries of Homeopathy and Ayurveda in other CHGS dispensaries in various parts of the country.

As far as opening of new Siddha dispensaries further within the premises of CGHS dispensaries in the country is concerned, there are three dispensaries of which two are housed in CGHS dispensaries in Tamil Nadu and one in Delhi with OPD of 40 patients. I can tell you that for CGHS dispensaries also, the Government is not averse to the idea of opening another Siddha unit anywhere in the country if there is a demand specifically for Siddha.

As far as the second part of the supplementary is concerned, the hon. Member said that there is a differentiation like when somebody is advised a Siddha medicine, there is no facility of local purchase of the same. I think, the

facts are wrong in this regard. There is equal opportunity for every system of medicine irrespective of which system it comes under. It can be locally purchased, if it is not available in the dispensary.

DR. T.R. PAARIVENDHAR : Hon. Speaker, my second supplementary is this. Will the hon. Minister take necessary steps to open a Siddha Unit in the Medical Centre, Parliament House Annexe for the convenience of MPs and ex-MPs? If so, when will the unit be set up and when will it start functioning? It is because the Siddha medicines not only cure the diseases but also prevent many diseases.

DR. HARSH VARDHAN: We can examine this proposal. If there a real demand from the hon. Members that they want it and if they feel that there should be one in Parliament, it may be considered, as there is already a Siddha unit in Rashtrapati Bhawan also. And Ayurveda and other units are already there. We know that there is not much of a difference between Ayurveda and Siddha. Siddha became more popular in Tamil Nadu but broadly, the concept and principles of delivery of health services in both the systems.

But, I can promise, on behalf of the Ministry, that if there is a demand from the Members of Parliament, we are not averse to the idea of opening another Siddha unit in Parliament House Annexe also.

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoorji.

DR. SHASHI THAROOR : Thank you very much, Speaker Sir, for this first opportunity to speak under your leadership. Congratulations on your election as Speaker! I just want to point out to the hon. Minister that Thiruvananthapuram has 16,344 registered card holders and 40,257 beneficiaries under CGHS but we do

not have Siddha Wellness Centres. We have an institute for Siddha. Ironically, they have manufactured what is considered as the most effective medicine for the treatment of the illness known as Psoriasis. But unfortunately, because of lack of resources and patronage from the Government, they have stopped its manufacturing. Many Members have been complaining to me that this CGHS facility should be made available to them. So, I would like to request the hon. Minister, first of all, to do something about increasing the number of Siddha facilities in the capital of Kerala, Thiruvananthapuram which, of course, is adjoining Tamil Nadu and which also has Siddha tradition.

Secondly, what can be done to give them adequate resources so that they can dispense medicines for those who are in desperate need, particularly, for example, as I mentioned about the illness known as Psoriasis? So, it is supposed to be the most effective treatment in all the systems of medicines – the only thing that works. The sufferers have come to me. That is why I am raising this question to the hon. Minister.

DR. HARSH VARDHAN: Respected Speaker, Sir, let me inform the hon. Member that as far as the status of the State of Kerala is concerned, as per the information available to me, we have, right now, six Siddha dispensaries in Kerala and also one Siddha hospital. Apart from that, we also have Siddha Medical College where there is again a hospital. So, in spite of these facilities, if the hon. Member specifically feels that the CGHS beneficiaries are definitely wanting Siddha facilities, let them write to us in a proper manner. We will assess the situation. If there is a need, we are not averse to that idea.

As far as the question of support is concerned, I think, I had answered in an earlier question that National Ayush Mission was created in 2014 by our Cabinet. I think, this was one of the most historic decisions that was taken by our Prime Minister and the Cabinet, and whoever – what to talk of institutions, but even individuals – wants to do anything for the Indian systems of medicine, which, of course, includes Siddha, they are given all possible support. Rather, we proactively ask people to give us proposals and those proposals are supported. I do not think, there is any proposal which is genuine and has been rejected in any part of the country in the last five years. ...(*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : It is a promise which has been given on the floor of the House and has never been fulfilled. Can we have a National University for Ayush in Thiruvananthapuram converting the existing institutions there? ...(*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: Whatever your suggestion is, you can write to us. We will get it examined. We will look at it most objectively and positively.

(Q.6)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीया मंत्री महोदया जी ने जो कहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि हर वर्ष बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और ऐसे मामलों का न्यायालय से निपटारा होने की गति में भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से हमें यह जानकारी पता चल रही है। यह सच है या गलत है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उससे ऐसा पता चल रहा है कि भारत में हर 30 मिनट में एक नाबालिग बच्चे के ऊपर यौन शोषण का मामला होता है। इसमें बाल यौन शोषण, छेड़छाड़, बलात्कार आदि शामिल हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि बाल यौन शोषण करने वालों के लिए कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसे मामलों का न्यायालय से भी जल्द से जल्द निपटारा करने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं और इस प्रावधान में क्या सफलता प्राप्त हुई है? धन्यवाद।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय सदस्य ने सजा की जो बात की है, पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत सेक्शन-4 में सात साल से उम्र कैद तक की सजा है। सेक्शन 14 (3), 14 (4), 14 (5), इन सब में अगर पोर्नोग्राफिक एक्ट्स के माध्यम से ऑफेन्स कमिट होता है तो दस साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन, इनकी जो व्यथा है, वह पेंडेंसी ट्रायल स्टेज के संदर्भ में है।

स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि वर्तमान में विशेष पॉक्सो केसेज से बच्चों को न्याय दिलाने के लिए देश में 660 से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स चल रहे हैं। वर्तमान में, यह कहते हुए, मुझे संतोष नहीं है, लेकिन कम से कम मैं पूर्व मंत्री को भी अभिनन्दन देना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ वर्तमान में प्रोजेक्ट यह है कि 1,023 स्पेशल कोर्ट्स प्रदेश की सरकारों के माध्यम से कैसे चल पाएँ, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एण्ड जस्टिस के साथ समन्वय करके इसकी व्यवस्था की है। लेकिन, जहां तक जागरूकता की बात आती है, तो मैनुअल रिपोर्टिंग का भी एक प्रावधान इस कानून के अन्तर्गत है, जिसमें मात्र बच्चा ही नहीं, बल्कि

समाज में कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का शोषण होते हुए देखता है तो उसके पास भी इस कानून के अन्तर्गत अधिकार है कि वह भी पुलिस और प्रशासन तक कम्प्लेंट को पहुंचाए, ताकि बच्चे को न्याय मिले।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के माध्यम से भी काउंसलिंग और सपोर्ट का प्रावधान है, और सिस्टमिक एन.जी.ओज़. के साथ और ग्राउण्ड में वेलफेयर करने वाली एजेंसीज के साथ भी ये समन्वय करते हैं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे हम संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले कम होने के लिए समाज में ज्यादा से ज्यादा **जागरूकता** निर्माण करने की कोशिश क्या सरकार कर रही है? ऐसे क्षेत्र में जो एन.जी.ओज़. काम करते हैं, खासकर महिला वर्ग के जो एन.जी.ओज़. हैं, उन्हें ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है।

दुर्भाग्य से ऐसा पता चला है कि दुनिया में बाल यौन शोषण के उच्चतम दर वाले जो शीर्ष पर पाँच देश हैं, उनमें दुर्भाग्य से भारत देश है। समाज में इसके बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए क्या सरकार और भी ज्यादा गति प्राप्त कर सकती है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : निश्चित तौर पर किसी को भी संतोष नहीं होगा, जब तक एक भी बच्चा ऐसी परिधि में हो, जिसके साथ अन्याय हो या उसका शोषण हो। मात्र संसद में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में किसी को भी किसी प्रकार का संतोष तब तक प्राप्त नहीं होगा। इस बात से मैं, न सिर्फ एक मंत्री के नाते, बल्कि एक माँ के नाते भी सहमत हूँ। लेकिन, जहां तक अवेयरनेस की बात है, न सिर्फ एन.जी.ओज़. के माध्यम से, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी स्वयं सांसद जी अपने जिले में जाकर डी.एम. के साथ जिले में होने वाली विधिवत कार्य शैली पर दृष्टि डालेंगे। मेरा सदन में सभी सांसदों से आग्रह है कि जब वे अपनी जिला निगरानी समिति की बैठक करें, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस.पी. के साथ विशेष बाल शोषण, पॉक्सो संबंधित शोषण और महिला के खिलाफ आतंकी या क्रिमिनल एक्ट्स हैं, उन पर अगर थोड़ी बहुत समीक्षा करें तो जिला स्तर पर प्रशासन को और बल मिलेगा तथा सांसद के नाते आपकी भी निगरानी सुनिश्चित होगी।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नं. 7 - श्री नारणभाई काछड़िया ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Mr. Speaker, Sir, this is a very important question. I want to ask a supplementary. Please allow me.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, अब आप लोग बैठ जाएं ।

माननीय सदस्यगण, आपके सभी राजनीतिक दल के नेता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठे थे । आप खुद भी उसमें थीं । सभी लोगों का यह आग्रह था ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं बोल रहा हूं । जब आसन पैरों पर है, तब बैठ जाएं ।

हम अधिकतम प्रश्न लें, यह सभी राजनीतिक दलों का सुझाव था । आज की जो हमारी लिस्ट है, एक दिन सदन में ऐसा होना चाहिए कि हम सदन की पूरी लिस्ट को कम्प्लीट करें । माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जवाब दे दिया है । इसलिए यह ठीक है ।

(Q.7)

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ-साथ मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तथा पूरे मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज 17वीं लोक सभा में मेरा सातवां क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता था कि मेरा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपके माध्यम से आया तो मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि अमेठी की जनता ने उनको चुनकर यहां भेजा है। बहुत सालों के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अमेठी की जनता ने दिया है, मैं मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधे क्वेश्चन पूछिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले माननीय सदस्य को बोलना है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने माननीय सदस्य को बोल दिया है।

...(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया: माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी सरकार ने कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत ही सराहनीय काम किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत 'सही पोषण – सही रौशन' आह्वान को सफल बनाने हेतु आंगनवाड़ी के बच्चों, माताओं एवं किशोरियों को कुपोषण से मुक्त करके सुपोषित भारत के निर्माण को साकार करने हेतु पोषण दिया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीधे क्वेश्चन पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया: इस योजना के अंतर्गत हमारे गुजरात में कम से कम अमूल डेयरी है, बनास डेयरी, सुमूल डेयरी है। इनके द्वारा निर्मित टेक होम राशन सुनिश्चित आहार के पैकेट में वितरित किया जाता है। महोदय, मिड डे मिल के तहत स्कूल के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है। गांवों में समय-समय पर विटामिन तथा मिनरल युक्त टैबलेट्स गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के बीच वितरित की जा रही हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम है।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं।
...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: He is only making a speech. ...*(Interruptions)*.

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर चुका हूं। आपको यह अधिकार नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया : कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी बताएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप आसन पर नहीं है। मैंने माननीय सदस्य को सुझाव दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कुपोषण राष्ट्र और समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं राष्ट्र के हर उस नागरिक तथा हर उस प्रदेश की सरकार का अभिनंदन करती हूं जिन्होंने पोषण अभियान में राजनीतिक दूरियों को छोड़ एकाग्रचित से पोषण अभियान में अपना सहयोग दिया।

माननीय सदस्य ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के संबंध में जो प्रश्न किया, मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहती हूं कि पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रेरित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के 15 अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों का समन्वय पाया जाता है। काउंसिल की अध्यक्षता नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अंतर्गत की जाती है। मैं आपके माध्यम से सांसद

महोदय को अवगत कराना चाहती हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत फूडग्रेन्स के फोर्टिफिकेशन के संबंध में हमारी विस्तृत चर्चा संबंधित मंत्रालय से हो रही है। यह भी कहना उचित होगा कि जब फूड सिक्योरिटी एक्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तब सभी राज्यों में यह लागू नहीं था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ कि उनके नेतृत्व में गत पांच वर्षों में यह सब राज्यों तक पहुंचा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सांसद अधीर जी पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करती हूँ कि पोषण अभियान की एक भी एक्टिविटी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नहीं चल रही है।...(व्यवधान) आप सब से आग्रह है कि आप पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकार को प्रेरित करें कि सामाजिक और मानवीय अभियान में वह भारत सरकार के साथ जुड़े।

यह भारत के भविष्य का, भारत के बच्चों से जुड़ा अभियान है, जो वोट बैंक से संबंधित नहीं, मानवता से संबंधित है।

श्री नारणभाई काछड़िया : मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ समाज के पात्र लाभार्थी तक तय समय पर बिना किसी बिचौलिए की दखलंदाजी के पहुंचता है या नहीं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि जहां तक प्रैगनेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स और बच्चे, जो आईसीडीएस और सीएस के अंतर्गत वर्तमान में चिन्हित हुए हैं, उनमें प्रैगनेंट वुमेन में 14,51,270 कवर हुए हैं, लैक्टेटिंग मदर्स में 17,30,816 कवर हुए हैं, बच्चों में 2,49,43,759 कवर हुए हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स में 83,82,802 कवर हुए हैं।

श्री रामदास तडस : महोदय, सदन में आपने लोक हित का प्रश्न उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश के विदर्भ में 3-4 महीने तापमान बहुत होता है। इस दौरान कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को अधिक संवेदनशीलता से बचाव करने हेतु

सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उन बच्चों के आहार एवं रख-रखाव हेतु सरकार चिंतित है, तो वह उनके लिए क्या उपाय कर रही है अथवा करने पर विचार कर रही है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं, जो सांसद जी ने अपनी चिंता को व्यक्त किया, उस चिंता के समर्थन में कहना चाहती हूँ कि सतत न सिर्फ नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स के अंतर्गत, बल्कि प्रदेश के प्रतिनिधि चाहे वे राजनीतिक हों अथवा प्रशासनिक हों, जब-जब कुपोषण के संदर्भ में कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में स्पाइक देखते हैं नंबर की, तो त्वरित रूप से आंगनवाड़ी सर्विसेज के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से सहयोग पहुंचाने का काम करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जन-आंदोलन की जो हमने शकल पोषण अभियान को देनी चाही, उसका बहुत बड़ा प्रमाण यह मिलता है कि सितम्बर, 2018 में जब पोषण का 'राष्ट्रीय पोषण माह' मनाया गया तो देश भर में लगभग 25 करोड़ हमारे देश के नागरिक इसमें सामूहिक रूप से शामिल हुए और 22 लाख एक्टिविटीज देश भर में हुईं। जब हम सब चुनाव में मशरूफ थे, तब पोषण अभियान 8 से 22 मार्च तक हमारे देश में चला। इसमें 82 लाख एक्टिविटीज देश भर में की गईं। मेरा माननीय सांसद से आपके माध्यम से निवेदन है कि विशेष अगर अपने लोक सभा क्षेत्र में पोषण अभियान के संदर्भ में वे कोई भी कार्यक्रम करना चाहें, तो मेरा मंत्रालय पूर्ण रूप से उनका सहयोग करेगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैडम, आपको शायद यह जानकारी होगी कि बिहार में मुजफ्फरपुर और उसके आसपास जो जिले हैं, जहां एंसिफेलाइटिस की त्रासदी से डेढ़ सौ से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। ... (व्यवधान) इसकी एक बड़ी वजह है कि वहां कुपोषण है। ... (व्यवधान) भूख और कुपोषण के चलते यह हो रहा है। ... (व्यवधान) वहां आपकी और दूसरे साथी की सरकार है। हम इसकी वजह जानना चाहते हैं।

दूसरा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि क्यों न एक नारा लगाया जाए कि 'One nation, equal nutrition'?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Hon. Speaker, I want to tell the hon. Member that the very fulcrum of the 'Poshan Abhiyan' is 'One nation dedicated to nutrition'.

I would also like to say here that as a Minister and as a mother, I join cause with any Member of the House, who thinks about the child life loss not only in Bihar but across the country. It is our endeavour as a Government to ensure that deaths or stunting due to malnutrition, is something that we as a nation can curb.

Insofar as the Member's request or response with regard to the health situation in Bihar, I am sure, the hon. Member being a seasoned politician, knows that it does not fall under my administrative or constitutional domain. But let it be said that yes, many States have a historical overview about malnutrition. This is not a subject limited only to children.

12.00hrs

It also manifests in an individual as they grow older. This is not a subject related only to food but also a subject related to sanitation. The Department of Drinking Water and Sanitation, in convergence with the Ministry of Health and Family Welfare, including Bihar, has undertaken programmes across the country for cleaning hands before eating, for fortified foods, and for providing safe drinking water to our citizens across the country.

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

12.01hrs**REFERENCE BY THE SPEAKER****International Yoga Day**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण जैसा कि आप सभी को विदित है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है । योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्भव स्थल भारत है । यह हमारी ओर से समस्त विश्व को दिया गया एक अमूल्य उपहार है ।

मैं आज सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, जहां पहली बार संसद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 130 से ज्यादा राज्य सभा और लोक सभा के माननीय सदस्य यहां पर आए । 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया । हम सब को इसलिए भी गर्व है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने जो घोषणा की, उसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने की, इसलिए हम सब को और संसद को गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल के माध्यम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है । आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। मुझसे जब सभी माननीय सदस्य मिले थे, तब मैंने उनको आग्रह किया कि जो भी माननीय सदस्य जिस विषय को उठाना चाहें, उनको हम जीरो ऑवर में समय देने की कोशिश करेंगे। यह पहला सत्र है, अधिकतम माननीय सदस्यों को शून्यकाल में प्रश्न उठाने की इजाजत दी जाएगी।

12.03 hrs**ASSENT TO BILLS***

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table (i) the Appropriation Bill, 2019; (ii) the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2019; (iii) the Personal Laws (Amendment) Bill, 2019; and (iv) the Finance Bill, 2019 passed by the Houses of Parliament during the Seventeenth Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on 4th February, 2019.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT11/17/2019.

12.04hrs

NOMINATION TO PANEL OF CHAIRPERSONS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नामित किया है ।

1. श्रीमती रमा देवी
2. डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजी सोलंकी
3. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
4. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

मैंने माननीय सदस्यगणों से आग्रह किया है कि अन्य राजनीतिक दलों के लोग अपने सुझाव सेक्रेटरी जनरल को दे दें, ताकि उनको भी सभापति तालिका में नामित किया जा सके ।

12.05 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Central Silk Board

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to move the following: -

“That in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, four members from amongst themselves to serve as members of the Central Silk Board subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।”

The Motion was adopted

12.06 hrs**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your kind permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 24th of June, 2019 will consist of :-

1. Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address;
2. Resolution for Extension of President's Rule in the State of Jammu & Kashmir for a further period of six months beyond 2nd July, 2019 under Article 356 (4) of the Constitution of India;
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ordinance No.4 of 2019) and consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 – after its introduction;
4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.8 of 2019) and consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 – after its introduction;
5. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.11 of 2019) and consideration and passing of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019 – after its introduction; and

6. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.09 of 2019) and consideration and passing of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019 – after its introduction.

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा की महत्वपूर्ण समस्या को जोड़ने का कष्ट करें।

1. वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ नई रेलवे लाइन का कार्य जो प्रगति पर है। उसे तीव्र गति से निश्चित समय सीमा पर पूर्ण करने के संदर्भ में।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

1. झारखंड की राजधानी रांची से एनएच 75 मेरे संसदीय क्षेत्र के डालटनगंज होते हुए मुडीसेमर, उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाती है। विदित है कि रांची से एनएच 75 कुडू तक का फोर लेन का कार्य प्रारम्भ है। पडवा मोड (मेदिनीनगर) से मुडीसेमर तक फोर लेन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखण्ड) के दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा जिला बहुत हद तक क्रमशः बिहार (सोन) एवं (रिहन्द) उत्तर प्रदेश के ग्रीड से बिजली की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं जिसके कारण दोनों जिलों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती है वैसे परिस्थिति में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने हेतु भवनाथपुर (गढ़वा) में थर्मल पावर की स्थापना की जाए।

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI(AHMEDABAD WEST): Sir, I would like to make a submission on the subject of resettlement and rehabilitation of Scheduled Tribes affected by acquisition of their land for Central Government projects, and their forest rights. Land has been acquired for mining.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर-खीरी में पलिया से निघासन-सिंगाही-बेलरीया हेतु प्रस्तावित नई रेलवे लाइन हेतु भूमि अधिग्रहित करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जाये।
2. जनपद लखीमपुर खीरी से प्रारम्भ होने वाले स्टेट हाईवे संख्या 21 बेलरीया-पनवारी मार्ग से उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करके उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार करते हुए मार्ग पर पड़ने वाले घाटों यथा पचपेड़ी घाट आदि के पुलों के निर्माण करने पर विचार किया जाए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह के कार्यसूची में मेरे संसदीय क्षेत्र के विषय को शामिल किया जाए --

गाडी संख्या 11010 और 11009 (सिंहगढ़ एक्सप्रेस) और गाड़ी संख्या 12126 और 12125 (प्रगति एक्सप्रेस) को चौक स्टेशन पर ठहराव दिए जाने के संबंध में और कर्जत पनवेल लोकल सेवा शुरू करने संबंधी विषय को शामिल किया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदय, देश भर में जो पानी की समस्या हो रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे लगता है कि भारत पूरी तरह से प्रभावित है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इनका विषय यही है

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा विषय यही है। मुझे स्मरण है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अच्छा है, अनुभवी सांसद हैं और बिना पढ़े भी बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज से कानून परिवर्तन कर दिया, इसलिए आप बोलें।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मुझे याद है, मैंने क्या लिखकर दिया है। मेरी याद्दाश्त तो उतनी ही अच्छी है, जितनी पहले थी। चुनाव की हार के बाद कुछ लोगों की याद्दाश्त गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उससे

हम लोग प्रभावित नहीं हैं। ... (व्यवधान) आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों खड़े हो गए। मैं अध्यक्ष जी को बोल रहा था। कागज सचिवालय को देना चाहिए था। नहीं दिया, फिर भी मुझे स्मरण है कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: वही बोल रहे हैं, जो इसमें अंकित है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण लगता है कि भारत भी पूरी तरह से प्रभावित है। मैंने कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में जो प्रस्ताव दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में जो परिस्थितियां उभर रही हैं, विशेषकर भारत में भी उसका प्रभाव दिख रहा है, जिसके कारण तापमान का बढ़ना, बारिश की कमी, ये सब चीजें दिख रही हैं। यह आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से प्रभावित करेगा।

महोदय इसको अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए यह मेरा अनुरोध है।

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Thank you, hon. Speaker, Sir. I humbly submit that the following matters may be taken up in the next week's agenda.

The entire delta region of Tamil Nadu is reeling under water scarcity and struggling to start Kuruvai season crop cultivation. Cauvery River Water Management Board already ordered the Karnataka Government to release water to Tamil Nadu as per the final order of the Supreme Court. But the Karnataka Government is yet to release water to Tamil Nadu. ... (Interruptions). This is complete violation of the Supreme Court order. ... (Interruptions) A discussion followed by a resolution of the House is necessary to resolve this interstate crisis.... (Interruptions).

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

SHRI D. RAVIKUMAR: Secondly, the Tamil Nadu Assembly have passed two Bills to exempt Tamil Nadu from NEET. The Bills are still pending with the Central Government. Three students, who failed in the NEET committed suicide this year.

माननीय अध्यक्ष: अनावश्यक भाषण मत दीजिए।

SHRI D. RAVIKUMAR : A discussion in this House is necessary to find a way to resolve the issue. Thank you.

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Respected Sir, I urge upon the House and the Chair to include the following matters in the next week's agenda:-

1. Discuss immediate effective steps to face acute water shortage in Tamil Nadu by implementing the order of Cauvery River Water Management Board and find a lasting solution for raising groundwater table as an urgent measure before linking rivers in the South. ...(*Interruptions*)
2. Discuss the measure to remove ...(*Interruptions*)

This is not a debate. ...(*Interruptions*) I am requesting you to include this. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए, आसन पैरों पर है। आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने अपना विषय रख दिया है। अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN : Sir, I am coming to my next matter to be included in the next week's agenda:-

- (2) Discuss the measure to remove the sense of insecurity in the minds of medical aspirants. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी ।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, let him finish. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, आप बोलिए। विषय हो गया है। केवल सन्दर्भ पढ़ना है, भाषण नहीं पढ़ना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने बोल लिया है। अब आप लोग बैठ जाइए। Please sit down.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. आपने पूरा विषय रख दिया है। आपका पूरा विषय रिकॉर्ड में आ चुका है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जीरो ऑवर में बोलना, अभी केवल सन्दर्भ देना है, सभ्मिशन करना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप बैठिए। उन्होंने सभ्मिशन कर दिया है। केवल सभ्मिशन करना है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने सभ्मिशन कर दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, मैंने अब नाम पुकार दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब रिकॉर्ड में और कुछ नहीं जाएगा।

(*Interruptions*) ... *

* Not recorded.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, let the House be in order. ...(*Interruptions*)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Sir, let him finish. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इसमें सेकण्ड नहीं होता है।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: He should read his submission quickly.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इसमें केवल सन्मिशन करना होता है।

आपको कोई विषय रखना है तो आप जीरो ऑवर में रखें, स्थगन प्रस्ताव लाएं, इसमें केवल सन्मिशन करना होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकॉर्ड में आ चुका है। इनका सन्मिशन आलरेडी रिकॉर्ड में आ चुका है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सौगत राय जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका कोई सेकण्ड विषय है तो बोल दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN: Speaker Sir, thank you.

My second matter, which I request you to include in the next week's agenda, is "Discuss the measure to remove the sense of insecurity in the minds of medical aspirants of Tamil Nadu resulting in the continuing suicide deaths due to the denial of social justice benefits due to NEET that affects the meritorious students from rural areas and deprived sections of the society."

PROF. SOUGATA RAY: Mr. Speaker, Sir, thank you.

I propose that the following items should be included in the list of business for the week commencing on 24th June, 2019.

1. The condition in the public sector undertaking, the BSNL, which is making huge losses and where permanent and contract workers are not getting their salaries regularly. The contract workers in Kolkata have not got salaries for five months.
2. The matter of Jet Airways, which has been lying closed and has been referred to the NCLT and where its 20,000 employees are without jobs.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप केवल संदर्भ रखें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं जेट और बीएसएनल दोनों का विषय उठाना चाहता हूँ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए।

1. देश में लोक सभा, विधान सभा, नगरीय निकाय, मण्डी चुनाव एवं अन्य चुनाव अलग-अलग समय पर होने से विकास थम जाता है। समय और पैसा बहुत खर्च होता है।
अतः एक राष्ट्र – एक चुनाव की नीति को लागू किया जाए।
2. पिछले कई वर्षों से वर्षा का क्रम बाधित होने से देश के कई राज्यों में गम्भीर पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है।

अतः पुराने तालाबों, झीलों व बावड़ियों का जीर्णोद्धार करने की योजना को शीघ्रता से प्रारंभ

किया जाए। ...(व्यवधान)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Ravi Shankar Prasad.

... (Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको जीरो अवर के बाद बोलने के लिए समय दूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद जीरो अवर होगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवि शंकर प्रसाद जी के बोलने के बाद आपका नाम है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं लैजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में बोल रहा हूँ ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण संसदीय कार्यमंत्री जी बोल रहे हैं ।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Now, the hon. Minister will introduce the Bill. ...(*Interruptions*) Please listen to me. At least allow me to complete.(*Interruptions*) You please listen to me first. Please listen to me. ...(*Interruptions*) Dr. Shashi Tharoor, please listen to me. ...(*Interruptions*) Now, he will introduce the Bill. ...(*Interruptions*) Please listen to me. I am telling you about the procedure. ...(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : Sir, the List of Business has to be followed in the House. ...(*Interruptions*) It has got nothing to do with majority or minority. ...(*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, the Rules are very clear. ...(*Interruptions*) Please listen to me for a minute. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी अभी केवल अनुमति मांग रहे हैं ।

...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI : Mr. Premachandran, you are a learned Member. ...(*Interruptions*) Please listen to me. ...(*Interruptions*) After he says that : "I introduce the Bill", there will be a voice vote. ...(*Interruptions*) Please listen to me. ...(*Interruptions*) Before taking voice vote, whoever opposes the introduction, they will be given a chance. ...(*Interruptions*) This is the Rule. ...(*Interruptions*) You will be given a chance to speak. Please understand the Rules. ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I am on a Point of Order. ...(*Interruptions*)

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN) : Mr. Owaisi, you are a very senior Member. How can you say this? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)...

SHRI A. RAJA (NILGIRIS) : Sir, he is on a Point of Order. Kindly allow him to raise it. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। प्वायंट ऑफ आर्डर की कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रवि शंकर जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, there are two things. ...(*Interruptions*)

First is moving the Bill, and then introducing the Bill. ...(*Interruptions*) I will move the Bill, and let them make their comments before introduction and I will reply to them. ...(*Interruptions*) It is very simple. ...(*Interruptions*) This is the Rule. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी केवल अनुमति मांग रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR) : Sir, there are Rules and Procedures for the House to run. ...(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Sir, let me again clarify. ...(*Interruptions*) I am only seeking the leave of the hon. Chair to move the Bill. ...(*Interruptions*) Thereafter, they can put their objections, and I will reply to them and introduce the Bill. ...(*Interruptions*) It is very simple. ...(*Interruptions*)

12.27 hrs**GOVERNMENT BILLS- Introduced****(i) MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE)
BILL, 2019***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.”

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : शशि थरूर जी, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी केवल अनुमति मांग रहे हैं ।

...(व्यवधान)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, Dated 21.06.2019.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM) : Sir, he has begged leave to introduce the Bill. I regret to state that I rise to oppose the introduction of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. I am not defending triple talaq, but I am opposing the text, draft and thrust of this Bill.

This Bill conflates civil law and criminal law by criminalizing the act of triple talaq, which is an irregular form of divorce already null and void in our country post the decision of the Supreme Court in Shayara Bano Vs. Union of India. If the purpose of the Bill is to address the subsequent Acts related to triple talaq, then the question before us is simple. Is the action of abandoning or deserting a wife and family without responsibility a criminal act or is the form of desertion, namely, doing it by uttering talaq ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : जब बिल पर डिबेट हो, तब आप डिटेल में कहिएगा ।

DR. SHASHI THAROOR : No, Sir. I have to give my reasons for opposing. ...*(Interruptions)* I am giving you three reasons for opposing the Bill.

Sir, since abandoning or deserting wives and dependents is not unique to the Muslim community, then why not make a law that universally criminalises the abandonment of family and dependents without taking responsibility instead of just focussing on one community? ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट के समय पूरी बात कहिएगा ।

DR. SHASHI THAROOR : No, Sir. It is not a debate. ...*(Interruptions)* Sir, let me explain. ...*(Interruptions)* These are reasons for opposing introduction of the Bill. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्त में रीजन बता दीजिए ।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, I am doing it. ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता है।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Speaker, Sir, you have witnessed many such debates. Opposing introduction takes a few minutes but not very many. You are framing a law specifically criminalising only Muslim husbands for a void act, an act already declared void by the Supreme Court, like the Triple *Talaq*, without having a universally applicable law for the act of desertion. The Bill is a textbook example, as the Law Minister well knows, of what is called a class legislation, which is pointed at one community or class and that violates Articles 14 and 15 of the Constitution. That is my first objection.

Secondly, the Bill does nothing to improve the status of Muslim women who suffer from numerous other difficulties including the right to unilateral divorce by their husbands, being coerced to engage in *Nikah Halala*, and so on. Therefore, this Bill cannot claim the benefit of the exception under Article 15 (3) of the special provisions. Instead of protecting Muslim women, all this Bill does is, it punishes Muslim women.

Finally, the Bill also does not have any procedural safeguards and can be easily misused, thereby, violating a person's right under Article 21. I would, therefore, urge that instead of introducing the Bill, it should be referred to the Standing Committee, hon. Speaker.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to oppose this Bill. I am opposing the introduction of the Bill under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I may be allowed to substantiate the grounds, which has already been explained by my learned friend, Dr. Shashi Tharoor *ji*.

I am opposing the introduction of the Bill on three grounds.

माननीय अध्यक्ष : आप विरोध करने की अपनी प्वांटेड बात कह दीजिए । आप भाषण मत दीजिए ।
मैंने आपको अपनी प्वांटेड बात कहने के लिए मौका दिया है ।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Definitely, I will abide by your ruling, Sir. This is a constitutional right of a Member to oppose the introduction of the Bill. I am only suggesting the valid points, according to me.

Firstly, the Bill exceeds the legislative power of Parliament as the subject matter comes under Item No.5 of List 3 of Schedule VII of the Constitution. That is, the subject matter is in the Concurrent List.

Secondly, criminalising a civil wrong done by a particular community, that is, the Muslim community, alone is discriminatory. That would be a violation of Articles 14, 15, and 25 of the Constitution. Further, the third objection is, further the Bill is a violation of Article 13(2) of the Constitution because the State shall not make any law violating the Fundamental Rights of the citizens of the country. These are the three grounds.

Let me explain one by one. Firstly, criminalising the civil law. Disputes arising under the Marriage Act have never been considered as a crime within the purview of the criminal law. Marriage disputes in all religions are governed by personal laws and are treated as civil in nature. I am reading from the Constitution. Personal law is defined as a law that applies to certain class or a group of people, or a particular person based on religion, faith and culture. Those are governed by the personal laws. Marriage, divorce, succession are personal laws and are considered as civil wrong.

I am coming to the criminal laws. Criminal law is a crime against the State or against the society. Here, civil law deals with the behaviour that constitute an injury to an individual or a particular person. A dispute arising out of a marriage will never come within the purview of the criminal jurisprudence.

माननीय अध्यक्ष : असादुद्दीन ओवैसी जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Finally, the Bill exceeds the legislative competence. In List III of Schedule VII, Item No.1 deals with criminal law; Item No.13 deals with civil procedure; Item No.5 deals with marriage and divorce. So, Triple *Talaq* comes under item No.5, which deals with marriage and divorce. This is neither criminal nor civil but personal law. So, the Government cannot deal with this as a criminal matter. This is an abuse of the legislative power. I strongly oppose the introduction of the Bill because it is a violation of Articles 14, 15 and 25 as well as the Schedule III of the Constitution. It is a violation and it is objectionable.

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : थैंक-यू सर, मैं आपको शुरुआत में भी यह बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वॉइस-वोट लेंगे, तब मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा। मैं रूल-367 के सब-सैक्शन 2 में डिवीज़न मांगने वाला हूँ। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या है, यह मैं बता रहा हूँ।

आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रीमिनेट्री लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको दो टैस्ट सैटिस्फाई करना पड़ेगा – इण्टैलिजिबल डिफरेंसिया और दूसरा रेशनल लैक्सिस। यहां आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अवॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, Domestic Violence Act, 498 IPC, 125 CrPC, Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. So, your purported Bill does not satisfy intelligible

differentia. Secondly, why I said that it does not satisfy rational nexus is because of the same thing. This classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the Bill.

I am coming to the third point, Sir. मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ। अगर कोई नॉन मुस्लिम हसबैण्ड को किसी केस में डाला जाए और उसको एक साल की सजा दी जाए और मुसलमान को तीन साल की सजा, क्या यह आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन नहीं है? Why is this Bill going against the Constitution?...*(Interruptions)* मैं खत्म कर रहा हूँ। आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिलाओं पर डाल रहे हैं। तीन साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगा? क्या आप देंगे मेंटेनेंस? आखिर में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरल की हिन्दू महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं है? क्यों आप सबरीमाला के खिलाफ हैं? आप बताइए कि क्यों जजमेंट के खिलाफ हैं? यह गलत हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय रविशंकर प्रसाद जी।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, पिछले दिसम्बर में हमने इस बिल को लोक सभा से पारित किया था, यह राज्य सभा में पेडिंग था। चूंकि इस हाउस का कार्यकाल समाप्त हो गया। ...*(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: Please sit down.

... *(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, listen to him.

माननीय अध्यक्ष: आप पहले प्रस्ताव देते। नहीं, उन्होंने अभी दिया है। टाइम बाउण्ड है। माननीय रविशंकर जी।

...*(व्यवधान)*

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: No....*(Interruptions)*. Ask the Chair, not me...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: जिस भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया था, मैंने सब को मौका दिया। माननीय सदस्य आपने यह कागज टाइम बाउण्ड दिया है, इसलिए माननीय रविशंकर जी आप आपनी बात कहें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, जैसा मैंने बताया कि पिछली लोक सभा में हमने दिसम्बर में इस बिल को पारित किया था। उसके पहले भी इसे पारित किया था, फिर बदलाव किया था। सुधार के लिए बदलाव किया था और यह बिल राज्य सभा में पेंडिंग था। चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोक सभा आयी। इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर आए हैं।

सर, एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मैं सब की तकरीर सुन रहा था। हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस इण्टरप्रेटेशन अदालत में होती है, लोक सभा को अदालत न बनाएं। अपने सोवरेन पावर का इस्तेमाल करें, यह बात मैं पहले कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं उनकी सारी आपत्तियों का जवाब दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय को आप सम्पूर्ण जवाब देने दीजिए। आपको किसी बात की इन्क्वायरी करनी है तो वे फिर आपका जवाब देंगे, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। माननीय सदस्य बैठिए। सौगत राय जी बैठिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले सायरा बानो का फैसला हुआ था। सायरा बानो के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह जो तीन तलाक का मामला है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट रुकिए। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए। माननीय सदस्यगण, यह सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है और हम जब सदन में बैठे हैं तो सदन की गरिमा बनाने का काम हम सबका है। माननीय सदस्य एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी टेबल पर जा रहे हैं। कोई इधर जा

रहा है, कोई उधर जा रहा है। मैं तीन बार विधान सभा का सदस्य रहा हूँ और एक बार लोक सभा का सदस्य भी रहा हूँ। विधान सभा के अंदर भी जब आसन पैर पर खड़ा होता है तो कोई माननीय सदस्य खड़ा नहीं होता है। इस सदन की गरिमा बनाने का दायित्व हम पर है। जितने भी माननीय सदस्यों का प्रस्ताव आया है, मैंने सबको बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए। फिर भी आपको कोई इन्क्वायरी करनी है तो मैं फिर बोलने का मौका दूंगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, सायराबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक का मामला आर्बिट्रेरी है, अनकॉस्टीट्यूशनल है। एक बेंच ने कहा- It is full of sin. यह भी जजमेंट में कहा गया है और उसके बाद सर उन्होंने यह भी कहा है कि ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आपस में बात करेंगे तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। आप चर्चा मत करें। जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा मत कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: It is against Constitutional morality, Sir.

माननीय अध्यक्ष: चाहे सत्ता पक्ष हों या प्रतिपक्ष हों, मेरी निगाह सबके लिए एक है, अलग-अलग नहीं है। अगर वे चर्चा करेंगे तो मैं उनको भी टोकूँगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, हमारा कहना बार-बार है और जब यह बहस होगी, विस्तार से कहूँगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राहुल जी, बैठिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। यह सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ और आज हमको अपने अंदर यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आज़ादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है, तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा-तलाक, तलाक, तलाक। तुम घर से बाहर। तुम्हारी कोई गुज़ारिश नहीं।

सर, एक बात बार-बार कही गयी। भारत के संविधान की बात कही गई। मैं जवाब दे रहा हूँ। भारत के संविधान के फण्डामेंटल राइट में आर्टिकल-15 'नॉनडिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमन' है और मैं उसका 15(3) पढ़ रहा हूँ-"Nothing in this article shall prevent the State from making

any special provision for women and children.” यह भारत के फण्डामेंटल राइट्स में कहा हुआ है। और जहाँ तक कन्क्रेट की बात है, तो डाइवॉर्स का विषय आता है। अब सर मैं आपको एक बात बार-बार कहूँ कि जब वॉइड हो गया तो आप क्यों कर रहे हैं? तो सर, हम एक बात खाली आपको बताएँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शशि थरूर जी। अधीर रंजन जी, आप अपने दल के नेता हैं। आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ऐसे सदन नहीं चलने वाला। अधीर रंजन जी, आप बैठिए। आपको बात करनी है तो आप बाहर गैलरी में जाकर कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आपको बात करनी है आप बाहर गैलरी में जाकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। कोई और माननीय सदस्य नहीं खड़ा है। आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका आसन है, आपका सदन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप गरिमा बनाकर रखिए। आपका सदन है, प्लीज़ सिट डाउन, नो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, बैठ जाइए आप। माननीय मंत्री जी।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं बता रहा था कि आज भारत का संविधान है। 70 साल बाद क्या संसद को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर तीन तलाक की पीड़ित महिलाएँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय की गुहार कर रही हैं, we should not give justice to them? The law is to give justice to them. यह मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारे पास कोई डिटेल्स...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं एक बात और कहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मौका दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से मालूम किया है। कई डिटेल्स हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, why is he making a lengthy speech?

...(Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not giving any speech. I am replying to you. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, 543 cases of triple talaq have come from 2017, in which more than 229 came after the judgement. तो क्या करें, ये महिलाएं

जजमेंट को अपने घर में टांग लें? इसीलिए डेटरेन्स जरूरी है। मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें आर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है। आर्डिनेंस के बाद 31 केसेज आए हैं। महोदय, यह इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत और आबरू का मामला है। इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वे इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूज करता हूं और सदन से आग्रह करता हूं कि इसको पास करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कर रहे हैं। अभी व्यवस्था दे रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतनी जोर से आवाजें कर रहे थे। डिवीजन लेना था, तो एक व्यक्ति खड़ा होता।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पुरःस्थापित करने के पहले नहीं कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : रुल्स का वाइलेशन हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डिजीजन दिया जाए ।

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी शांत रहिए । अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी-अपनी सीट पर विराजें ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज खाली कर दिए जाएं -

माननीय सदस्यगण, अब लॉबीज खाली हो गयी हैं ।

महासचिव महोदया ।...

Announcement Re: Automatic Vote Recording System

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, I have to inform that as the Division Numbers have not so far been allotted to Members, it is not possible to hold the Division by the Automatic Vote Recording Machine. Division will now take place under Rule 367 AA by distribution of slips.

Members will be supplied at their seats with 'Ayes' and 'Noes' printed slips for recording their votes. 'Ayes' slips are printed on one side in green, both in English and Hindi and 'Noes' in red on its reverse. On the slips, Members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, constituencies and State/Union Territory and date at the place specified on the slip. Members who desire to record 'Abstention' may ask for the 'Abstention' (Yellow colour) slip.

Immediately after recording their vote, each Member should pass on the slip to the Division Officer who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the Table. Members are requested to fill in only one slip for Division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the Division Officers.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): You may clarify whether the Division is on the motion moved by the Minister or on the objection raised by the Member....(*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): Those who are opposing will fill 'Red slips' and those who are in favour of it will fill 'Green slips'.

13.00hrs

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I would like to just clarify the hon. Members that I have sought permission to introduce the Bill which is being opposed by them. Therefore, those who are in favour of supporting the introduction of Bill. जो चाहते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, वे हाँ कहेंगे। जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं किया जाए, वे ना कहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्धोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

DIVISION**AYES****13.10 hrs.**

Ahluwalia, Shri S.S.

Ajgalley, Shri Guharam

Ambareesh, Shrimati Sumalatha

Bachegowda, Shri B.N.

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur

Baghel, Shri Vijay

Bapat, Shri Girish Bhalchandra

Barla, Shri John

Barne, Shri Shrirang Appa

Basavaraj, Shri G. S.

Beniwal, Shri Hanuman

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhargava, Shri Ramakant

Bhatt, Shri Ajay

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bholanath 'B.P. Saroj', Shri

'Bhole', Shri Devendra Singh

Bhoumik, Sushri Pratima

Bisen, Dr Dhal Singh

Bista, Shri Raju

Chahar, Shri Rajkumar

Chatterjee, Shrimati Locket

Chaudhary, Shri Bhagirath

Chaudhary, Shri P. P.

Chaudhary, Shri Pradeep Kumar

Chaudhuri, Sushri Debasree

Chauhan, Shri Nandkumar Singh

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Choudhary, Shri Chandra Prakash

Chudasama, Shri Rajeshbhai Naranbhai

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji

Deb, Shri Nitesh Ganga

Deol, Shri Sunny

Devi, Shrimati Annpurna

Devi, Shrimati Rama

Dharmapuri, Shri Arvind

Dubey, Dr. Nishikant

Gambhir, Shri Gautam

Gautam, Shri Satish Kumar

Ghosh, Shri Dilip

Gogoi, Shri Topon Kumar

Goswami, Shri Dulal Chandra

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sangamlal

Gupta, Shri Sudheer

Hans, Shri Hans Raj

Hembram, Shri Kunar

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Shri Prataprao

Jadon, Dr. Chandra Sen

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Joshi, Prof. Rita Bahuguna

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadiya, Shri Naranbhai

Kapoor, Shri Kishan

Karandlaje, Kumari Shobha

Kashyap, Shri Dharmendra

Kateel, Shri Nalin Kumar

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil

Khan, Shri Saumitra

Kishore, Shri Kaushal

Kol, Shri Pakauri Lal

Koli, Shrimati Ranjeeta

Kotak, Shri Manoj

Kumar, Dr Virendra

Kumar, Shri Narendra

Kumar, Shri P. Raveendranath

Lalwani, Shri Shankar

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Mahato, Shri Jyotirmay Singh

Majumdar, Dr. Sukanta

Mandal, Shri Ajay Kumar

Mandavi , Shri Mohan

Mane, Shri Dhairyasheel Sambhajirao

Maurya, Dr. Sanghamitra

Meena, Shri Arjunlal

Meena, Shrimati Jaskaur

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mohan, Shri P. C.

Munda, Shri Arjun

Munde, Dr. Pritam Gopinathrao

Munjapara , Dr. Mahendrabhai Kalubhai

Murmu, Shri Khagen

Naik, Shri Raja Amareshwara

Namgyal, Shri Jamyang Tsering

Nath, Shri Balak

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Praveen Kumar

Pachauri, Shri Satyadev

Pal, Shri Jagdambika

Panda, Shri Basanta Kumar

Pandey, Shri Santosh

Paswan, Shri Chhedi

Patel (Bakabhai), Shri Mitesh

Patel, Dr.K.C.

Patel, Shri Devaji

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai

Patel, Shri R.K. Singh

Patel, Shrimati Keshari Devi

Patel, Shrimati Shardaben Anilbhai

Pathak, Shri Subrat

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Pfoze, Dr. Lorho

Pramanik, Shri Nisith

Prasad, Shri Ravi Shankar

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan

Rajput, Shri Mukesh

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rangaiah, Shri Talari

Ranjan, Dr R. K.

Rao, Shri Soyam Bapu

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh

Raut, Shri Vinayak Bhaurao

Rawat, Shri Tirath Singh

Rawat, Shri Upendra Singh

Ray, Shrimati Sandhya

Reddeppa, Shri N.

Reddy, Shri G. Kishan

Rijiju, Shri Kiren

Roy, Dr. Jayanta Kumar

Roy, Dr. Rajdeep

Rudy, Shri Rajiv Pratap

Sahu , Shri Chunni Lal

Sai, Shrimati Gomati

Saikia, Shri Dilip

Sangma, Kumari Agatha K.

Sao, Shri Arun

Saraswati, Shri Sumedhanand

Sarkar, Dr. Subhas

Sarkar, Shri Jagannath

Satyavathi, Dr. Beesetti Venkata

Sawant, Shri Arvind

Seth, Shri Sanjay

Sharma, Dr. Mahesh

Sharma, Shri Anurag

Sharma, Shri Jugal Kishore

Sharma, Shri Vishnu Datt

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul Ramesh

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shyal, Dr. Bharatiben Dhirubhai

Siddeshwar , Shri G M

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Satya Pal

Singh, Shri Bhola

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Rajbahadur

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Solanki, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai

Solanky, Shri Mahendra Singh

Soni, Shri Sunil Kumar

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Soren, Shri Sunil

Subba, Shri Indra Hang

Suman, Dr. Alok Kumar

Surya, Shri Tejasvi

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya

Swamy, Shri A Narayana

Tadas, Shri Ramdas

Tamta, Shri Ajay

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shri Gopal Jee

Thakur, Shri Shantanu

Tudu, Er. Bishweswar

Vardhan, Dr. Harsh

Vasava, Shri Mansukhbhai Dhanjibhai

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan Baburao

Vikhe Patil, Dr. Sujay

Yadav, Shri Ashok Kumar

Yadav, Shri Ram Kripal

Yeptomi, Shri Tokheho

NOES

Ali, Kunwar Danish

Antony, Shri Anto

Azad, Shrimati Sangeeta

Baalu, Shri T.R.

Baij, Shri Deepak

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Basheer, Shri E. T. Mohammed

Behanan, Shri Benny

Bordoloi, Shri Pradyut

Chandra, Shri Girish

Chazhikadan, Shri Thomas

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

Eden, Shri Hibi

Faizal P.P., Shri Mohammed

Gill(Dimpa), Shri Jasbir Singh

Gnanathiraviam, Shri S.

Haridas, Kumari Ramya

Hasan, Dr. S.T.

Jaleel, Shri Syed Imtiaz

Jawed, Dr. Mohammad

Jothimani, Sushri S.

Kanimozhi, Shrimati

Khaleque, Shri Abdul

Khan, Shri Mohammad Azam

Kora, Shrimati Geeta

Kumar, Shri Dhanush.M.

Kunhalikutty, Shri P.K.

Kuriakose, Adv. Dean

Lone, Shri Akbar

Mahant, Shrimati Jyotsna Charandas

Masoodi , Shri Hasnain

Muraleedharan , Shri K.

Natarajan, Shri P.R.

Navaskani , Shri K.

Owaisi, Shri Asaduddin

Paarivendhar, Dr. T. R.

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ritesh

Pon, Shri Gautham Sigamani

Prakash, Adv. Adoor

Prathapan, Shri T. N.

Premachandran, Shri N.K.

Rahaman, Shri Khalilur

Raja, Shri A.

Ramalingam, Shri S.

Ramesh, Shri T. R. V .S.

Ravikumar, Shri D.

Reddy, Shri Anumula Revanth

Reddy, Shri Komati Reddy Venkat

Reddy, Shri Uttam Kumar

Sardinha , Shri Francisco

Selvam, Shri G.

Selvaraj, Shri M.

Senthilkumar S. , Shri Dnv .

Shanmuga Sundaram, Shri K.

Sharma, Shri Kuldeep Rai

Shiromani, Shri Ram

Singh, Dr. Amar

Singh, Shri Ravneet

Sreekandan, Shri V. K.

Subbarayan, Shri K.

Sule, Shrimati Supriya Sadanand

Suresh, Shri Kodikunnil

Thangapandian, Dr. Thamizhachi

Tharoor, Dr. Shashi

Thirumaavalavan, Shri Thol

Thirunavukkarasar. Shri Su.

Ulaka, Shri Saptagiri Sankar

Vaithilingam, Shri Ve.

Veeraswamy, Dr. Kalanidhi

Velusamy, Shri P.

Venkatesan, Shri S.

Vishnu Prasad, Dr. M. K.

Yadav, Shri Shyam Singh

ABSTAIN

Bisoyi, Shrimati Pramila

Mandal, Shrimati Manjulata

Misra, Shri Pinaki

Sahu, Shri Chandra Sekhar

Samanta, Prof. Achyutananda

Sethi, Shrimati Sarmistha

माननीय अध्यक्ष: मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 185

नहीं: 74

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I introduce the Bill.

13.23hrs

**STATEMENT RE: MUSLIM WOMEN
(PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE)
SECOND ORDINANCE , 2019***

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (No. 4 of 2019).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 12/17/19.

13 24hrs.

GOVERNMENT BILLS - Introduced ...Contd

(ii) Homoeopathy Central Council (Amendment)

Bill, 2019 *

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): On behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. HARSH VARDHAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

13 24 ½ hrs

**STATEMENT RE: HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2019***

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): On behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 11 of 2019).

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 13/17/19.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी उपस्थिति में मुझे सर्वप्रथम इस 17वीं लोक सभा में बोलने का मौका मिला है। आपने मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, जिसके सन्दर्भ में मैं आपसे आग्रह करने वाला हूँ। बिहार में एक घटना हुई है, जिसमें लगभग 110 बच्चों की मौत हो गई है। यह चिन्ता का विषय है और सरकार पूरी ताकत से लगी है। हम मृतक बच्चों के परिवारों के साथ हैं। दुख भी है कि इतने छोटे, नन्हे बच्चों की मृत्यु हुई, ये सभी दस वर्ष से कम आयु के हैं। साथ ही साथ, मुख्यतः मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द के इलाकों में भी इसका प्रभाव है। हम सब जानते हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है। बिहार की सरकार और भारत सरकार उसके प्रति चिन्तित हैं और उसके प्रति अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ एक जुड़ा हुआ अन्य विषय भी है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा और सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करूंगा।

13 25hrs

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

सभापति महोदय, हम सभी राजनेता हैं, जन-प्रतिनिधि हैं, गांव-देहात में जाते हैं, शहरों में भी रहते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक नहीं हैं। हम कोई रिसर्चर नहीं हैं, हम कोई अनुसंधानकर्ता नहीं हैं और न ही हम कोई डॉक्टर हैं। जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम चिन्ता व्यक्त करते हैं। पत्रकार हमसे पूछते हैं, टी.वी. वाले हमसे पूछते हैं, हम अपनी सरकार की तरफ से जो भी प्रयास होता है, उसके बारे में अपनी बात रखते हैं। इसके साथ-साथ एक अन्य घटना हुई है, क्या वह साजिश है या ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में चलती आ रही है। हम सब हजारों वर्षों से देख रहे हैं और मैं भी अपने बचपन में लीची खाता था। मुझे लीची बहुत पसन्द थी और सदन में आप सभी लोगों को भी लीची बहुत पसन्द होगी। यह 15 दिनों की फसल है। पूरी दुनिया में लीची की जो फसल है, उसका 40 प्रतिशत भारत में होता है और उसका अधिकांश भाग बिहार में है, फिर देहरादून आदि स्थानों पर भी लीची होती है। अचानक हम सभी लोगों को बताया गया कि ये जो बच्चे मरे, बहुत दर्दनाक घटना थी, यह वायरस है, एंसिफेलाइटिस है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, यह डाक्टर

बताएंगे, रिसर्चर्स बताएंगे, साइंटिस्ट बताएंगे। हजारों वर्षों से वहां लीची की फसल हो रही है। हमने बचपन में लीची खाई तो कभी बीमार नहीं पड़े और अब लीची को आरोपित किया जा रहा है। इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, पूरी दुनिया में मुजफ्फरपुर की लीची को माना जाता है और उसका हजारों-करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है। भारत के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा मात्रा में होती है तो वह चाइना में होती है। जो हजारों-करोड़ रुपये का लीची एक्सपोर्ट हो रहा था, वह बन्दरगाहों पर रखा हुआ है। उससे जूस बनता था, उसे लोगों ने पीना बन्द कर दिया और पूरे बिहार में 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की फसल है, जो लगभग तीन लाख मीट्रिक टन है। अब यह समझना आवश्यक है कि क्या लीची खाने से ये बच्चे मरे हैं या और भी कोई विषय है। कहीं यह साजिश तो नहीं है। भारत में लीची की 15 दिन की फसल होती है। आम से पहले हम सभी लोग लीची खाते हैं। दक्षिण के लोगों को भी बहुत पसन्द होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी लोग लीची खाते हैं। अब चिन्ता का विषय सिर्फ इतना ही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जो किसान लीची की फसल लगाते थे, व्यापार करते थे, आज 50 फीसदी से ज्यादा लीची लोग बाजार से नहीं ले रहे हैं, घरों में लेकर नहीं आ रहे हैं। यह सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि एंसिफेलाइटिस का कारण क्या है? ये बच्चे क्यों मरे? मात्र लीची को दोष दे देना क्या ठीक है और क्या यह चीन के कारण है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं यह साजिश न हो और इससे किसानों का नुकसान न हो।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इसकी सच्चाई हमें जाननी है। हमारी संवेदना उन बच्चों के साथ है। सरकार लगी हुई है, डॉक्टर हर्ष वर्धन जी लगे हैं, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी लगे हैं, हम सबकी संवेदनाएं हैं।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : वहां दवाई नहीं है, इसके बारे में भी बोलिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव गोगोई जी, बैठ जाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह मेरे बगल का जिला है, लेकिन यह सच्चाई हम तक पहुंचे ताकि उन किसानों का नुकसान न हो। यही मेरा आग्रह है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉसंजय जायसवाल ., श्री उदय प्रताप सिंह, श्री देवजी एमपटेल ., श्री एसउदासि और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले .सी. को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस समय एक बड़े ज्वलंत, महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए दुखदायी है, जिसका उल्लेख रूडी साहब ने भी किया। इस विषय को हम लोग इस सदन में कई बार उठा चुके हैं। यह केवल बिहार के मुजफ्फरपुर ही नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर भी यह वेक्टर बोर्न डिजीज या वाटर बोर्न डिजीज लगातार पिछले काफी दिनों से चल रही है। यह घटना घटित हुई, आज डॉक्टर हर्ष वर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इस संबंध में उपाय किया था। इसी सदन में मैंने और योगी आदित्यनाथ जी ने 4 अगस्त, 2014 को एक कॉलिंग अटेंशन दिया था, उस समय आपने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जवाब दिया था और कहा था कि आपने मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल का दौरा किया था। एक मीटिंग 10 जून, 2014 को की थी, उसमें वायरोलॉजी सेंटर, गोरखपुर बनाने की बात हुई थी। वह सेंटर बन गया है।

एक आईसीएमआर और एनआईवी कोलैबोरेशन से बिहार को स्टेप-अप करना था और a Memorandum of Understanding between ICMR and Government of Bihar for starting of units of virology in medical colleges must be finalised within three years. An early warning system should be in place. Ahmedabad model may be studied. Strengthening of research work must continue.

माननीय रूडी जी उस इलाके से चुन कर आए हैं और मैं उत्तर प्रदेश से चुन कर आया हूँ। अभी तक जापनी एनसेफलाइटिस का वायरस है, यह बात समझ में आई, लेकिन एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम, अभी तक इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हम इसको तब रोक सकते हैं, जब हम प्रॉपर 100 प्रतिशत इम्यूनाइजेशन का काम करें। यह बीमारी हमारे देश से नहीं आई है। यह जापान से आई, कोरिया से आई, ताइवान में आई, मेन लैंड चाइना में थी। आज उन देशों ने टीकाकरण से अपने यहां इस बीमारी को समाप्त किया। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जगदम्बिका पाल जी, अपनी बात संक्षिप्त में रखिए।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, मैं इसे बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ। अगर आज यह उन सारे देशों में खत्म हो चुका है लेकिन वर्ष 1990 से इंडिया, बांग्लादेश, लंका और नेपाल में 'जेड्ज' और 'एड्ज' का प्रकोप बढ़ा है। यह कम्बोडिया में खत्म हो गया है। मुजफ्फरपुर में 152-154 बच्चों की असामयिक मृत्यु हो गई और जो बच्चे बच भी रहे हैं, वे मेंटली रिटार्डेड हो रहे हैं। वहां गरीबी है और उस गरीबी में बच्चों की बीमारी के बाद, अगर वे सर्वाइव करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कंकलूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अपनी बात को कंकलूड करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं। वह इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने स्वयं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कदम उठाए थे, हम लोगों की बैठक बुलाई थी, खुद दौरा किया था। उन्होंने जो एडवाइजरी दी थी, वे बातें पूरी हुईं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पूष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी को श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरा बिहार, मुजफ्फरपुर से लेकर चम्पारण और पूरा इलाका एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम से त्राहिमाम कर रहा है। आज यह भी नहीं पता है कि यह एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम या एन्सेफैलोपैथी है। मुझे याद है कि वर्ष 2014 में जब हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे तो हम लोगों ने अटलांटा, विश्व के सबसे बड़े वायरोलॉजी सेंटर से भी वैज्ञानिकों को बुलाया था। उस समय गोरखपुर और मुजफ्फरपुर की सारी रिपोर्टिंग गई थी। पर, दुर्भाग्य से विश्व के सबसे बड़े वायरोलॉजी सेंटर, अटलांटा भी इसका डायग्नॉसिस करने में सफल नहीं हुआ कि इसका कारण क्या है?

मैं आपके माध्यम से माननीय हर्षवर्द्धन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसके लिए एम्स, पटना या एस्केएमसीएच में वायरोलॉजी का एक सेंटर शुरू किया जाए और हमारे इलाके में आईसीयू एंड एनआईसीयू पर्याप्त संख्या में हर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर को दी जाए। सब में केवल एक ही कॉमन

फैक्टर है कि सबके बच्चों में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। मैं बाल कल्याण विभाग से अनुरोध करूंगा कि सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स पर रात्रि खाने का भी प्रबंध किया जाए। जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में सुबह खिलाया जाता है, वैसे ही अगले दो महीने तक रात्रि भोजन का भी प्रबंध बाल कल्याण विभाग करे ताकि हम जो हाइपोग्लाइसेमिया के कारण बच्चों की मौत देख रहे हैं, उससे हम बच सकें।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी को श्री संजय जायसवाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपकी नोटिस थी। आपसे मेरा निवेदन है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात सदन में रखें।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, a number of speakers from the Ruling Party have already participated in this issue.

सर, आपको सारी जानकारी होगी कि चमकी बुखार, दिमागी बुखार, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम के चंगुल में बिहार का एक बड़ा हिस्सा आ गया है, जिसका एपिसेंटर मुजफ्फरपुर है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने घर के उजाले बुझ गए हैं, यह हमें पता नहीं है। सरकारी आकलन 135 से 150 कहते हैं। उसके अलावा दूर-दराज गांवों में कहां, किसकी मौत हुई है, उसका कोई आकलन नहीं है। संजय जायसवाल जी बिहार से चुन कर आए हैं, वह डॉक्टर भी हैं। वह कहते हैं कि ग्लूकोज की कमी होती है तो कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर एक ग्लूकोमीटर रहना चाहिए, वह नहीं है। बिहार की हालत बहुत बुरी है।

मुझे अचरज होता है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी बिहार में फैल चुकी है, तो वहां के डिप्टी सीएम से जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, वे कहते हैं कि हमें एनपीए के बारे में पूछो, बैंक के बारे में पूछो, बाकी किसी के बारे में मत पूछो। दिल्ली में जब केंद्रीय मंत्रालय में पत्रकार पूछने गए, तो यहां मंत्री जी की तरफ से पूछा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में क्या नतीजा निकला, उसके बारे में बात करो। आज भी यही हालत है। इस तरह की लापरवाही के चलते हालत बिगड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आयुष्मान भारत योजना की

बड़ी सराहना की गई थी। आप देखिए कि बिहार में जो त्रासदी हुई है, उसमें कितने बच्चों की मौत हुई है।

माननीय सभापति : यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आप इसे पॉलिटिसाइज न कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आयुष्मान भारत योजना के तहत जन आरोग्य योजना है, इस स्कीम की सुविधा उन्हें या तो मिली है या नहीं मिली है। यदि उन्हें इसका लाभ नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा। डॉ. हर्षवर्धन जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि “As per the National Family Health Survey-4, Muzaffarpur district has an abysmal record of child nutrition.”

माननीय सभापति : अधीर जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हमने इस विषय पर बोलने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। “Nearly 48 per cent of children under the age of 5 are stunted (short for their height), 17.5 per cent children are wasted (too thin for their height), while 42 per cent are underweight—a glaring sign of chronic undernutrition.”

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : This is my last minute.

Sir, as per the World Health Organization’s recommendation, the patient doctor ratio must be 1:1000 of the population. However, in Bihar, there is one doctor for a population of over 50,000. Currently, in Bihar, there are only around 2,700 regular doctors working against a sanctioned strength of 11,393 doctors.

...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

श्री ओम राजेनिंबालकर ।

... (Interruptions)

13.37 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

माननीय सभापति : माननीय सदस्य आप सभी अपने को एसोसिएट कर सकते हैं । You associate with it.

...(व्यवधान)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) : सभापति जी, आपके माध्यम से भारी उद्योग मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि मैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूँ । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : केवल ओम पवन जी की बात रिकार्ड में जाएगी ।

...(व्यवधान)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : सभापति जी, मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है । हमारे यहां हर शिक्षित को पढ़ाई खत्म करने के बाद स्थानांतरित होना पड़ता है । यह स्थानांतरण इतना भयावह है कि मेरे क्षेत्र की एक विधान सभा कम हुई है । ... (व्यवधान) महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You sit down at your place. In 'Zero Hour', you cannot compel them.

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not disrupt the House. केबिनेट मंत्री हाउस में बैठे हैं । आप हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं, हम कम्पैल नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

13.39 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members went back to their seats.

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : सभापति जी, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उद्योग मंत्रालय के मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि बीएचईएल की तरफ से एक ऐसा उद्योग मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित हो, जिसके लिए कम से कम पानी की आवश्यकता हो और जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके। इसके लिए एमआईडीसी की 373 हेक्टेयर जमीन भी अधिग्रहित हो चुकी है। वह जमीन भी इस उद्योग के लिए मिल सकती है। इस विषय में हमारे शिव सेना के युवा नेता सम्मानीय आदित्य ठाकरे जी ने भी कहा है। इस चर्चा के माध्यम से भारी उद्योग मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस उद्योग के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाएं। यहां के हजारों बेरोजगार युवाओं को न्याय दें। मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं इस सर्वोच्च सभा का पहली बार सदस्य चुनकर आया हूँ और संसद में पहली बार में ही अपने निर्वाचन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण मांग रख रहा हूँ। आपके माध्यम से सम्मानीय भारी उद्योग मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में न्याय दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिव राय।

माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री राहुल रमेश शेवाले को श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं अधीर रंजन चौधरी जी को अपनी बात समाप्त करने के लिए एक मिनट देता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं चाहता हूँ कि जिन घरों में बच्चों की मौतें हुई हैं, उन सारे परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया जाए। ...(व्यवधान) मंत्री जी जवाब दें कि वे इसे कब पूरा करेंगे, कैसे करेंगे?

...(व्यवधान) इस रोग से बचाने के लिए आप क्या-क्या उपाय निकाल रहे हैं? ...(व्यवधान) आपको यहां हाउस में जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : शून्यकाल में आप कंपैल नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : धन्यवाद चेयरमैन सर, आज मैं यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) डॉक्टरों पर आये दिन हमले होते जा रहे हैं। ...(व्यवधान) एक सप्ताह पहले की बात है, कोलकाता में दो डॉक्टरों की जान हमले के कारण जा चुकी है। ...(व्यवधान) उसके बाद पूरे देश में डॉक्टरों की तरफ से स्ट्राइक की गई। ...(व्यवधान) इससे पूरे देश को एक दिन के लिए हैल्थ सर्विसेज़ नहीं मिल पाईं।...(व्यवधान) गये तीन सालों में एक हजार से ज्यादा डॉक्टरों पर हमले के ऐपिसोड्स, वारदातें पूरे देश में हो चुकी हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : चेयरमैन सर, अधीर साहब फ्लोर लीडर हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : चेयरमैन सर, डॉक्टरों को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान) रूडी जी आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान) चेयरपर्सन, आप भी डॉक्टर हैं। ...(व्यवधान) मैं यहां डॉक्टरों की समस्या रखना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं अपोजीशन बेंच से दरखास्त करता हूं कि वे बैठ जाएं। ...(व्यवधान)

चेयरमैन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहां पर डॉक्टरों की समस्या रखना चाहता हूं कि आये दिन, रोजाना डॉक्टरों पर हमले होते जा रहे हैं। गये सप्ताह की बात है कि कोलकाता में दो डॉक्टरों की जान जा चुकी है। ...(व्यवधान) आये-दिन ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। ...(व्यवधान) गये तीन सालों में 1 हजार से ज्यादा हमले इस पूरे देश में डॉक्टरों पर हुए हैं। ...(व्यवधान) जो 75 परसेंट डॉक्टर्स हैं, वे हमेशा हमले के शिकार होते आए हैं। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में भी डॉक्टरों पर 50 हमले हो चुके हैं। ...(व्यवधान) मैं इन हमलों को सबसे पहले निषेध करता हूं। ...(व्यवधान) आज इस सभाग्रह में भी सबसे ज्यादा डॉक्टर्स उपस्थित हैं। ...(व्यवधान) ये हमले होने के बाद पूरे देश में स्ट्राइक की गई

और सब डॉक्टर्स एक साथ आए । ...(व्यवधान) इस पूरे देश की हैल्थकेयर एक दिन के लिए स्थगित हो चुकी है । ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है - यहां हैल्थ मिनिस्टर जी हैं, वे भी डॉक्टर हैं - कि आज ये जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : विनोद सोनकर जी, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संक्षिप्त बात कीजिए ।

...(व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : आज इसका सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टरों की शॉर्टेज है और लॉन्ग वेटिंग टाइम है । ...(व्यवधान) इसी के साथ हम जो जी.डी.पी. हैल्थकेयर में इंवेस्ट करते हैं, वह सबसे कम है, 1.4 परसेंट है । ...(व्यवधान) नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी हम से आगे हैं । ...(व्यवधान) डॉक्टर टू पेशेंट रेश्यो भी बहुत कम है । ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम कीजिए और एक सेंट्रल लॉ बनाइए । ...(व्यवधान) इससे डॉक्टरों पर जो लोग हमला कर रहे हैं, उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवले, डॉ. सुजय विखे पाटील, डॉ. संजय जायसवाल, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री देवजी एम. पटेल, श्री एस. सी. उदासी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): धन्यवाद सभापति महोदय । ...(व्यवधान) आज पहला दिन है । जब तक माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे, मैं नहीं बोलूंगा । आज पहला दिन है तो हम ठीक से बोलना चाहते हैं ।

माननीय सभापति: आप बोलिए।

श्री विनोद कुमार सोनकर: धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को विश्वास में रखते हुए देश के लोगों ने, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित भाई के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है, इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ कौशाम्बी लोक सभा के अपने सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास करके देश के इस सदन में भेजा है।

माननीय सभापति महोदय, कौशाम्बी लोक सभा का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। जहां पर चौमासा बिताने के लिए भगवान बुद्ध स्वयं आए थे। भगवान राम का पहली रात को बिताने का जो इतिहास है, वह मेरी लोक सभा में है।

माननीय सभापति : अपने विषय पर आइए।

श्री विनोद कुमार सोनकर : कौशाम्बी जनपद मां गंगा, मां यमुना के अंतरभेदी में बसी बहुत ही गौरवशाली भूमि है, जहां शिक्षा के लिए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण आए थे। कौशाम्बी जनपद 4 अप्रैल 1997 को बना। वर्तमान में प्रयाग पूर्व में इलाहाबाद से अलग होकर कौशाम्बी जनपद 4 अप्रैल 1997 को बना।

माननीय सभापति: सोनकर जी, आप अपने विषय पर आइए।

श्री विनोद कुमार सोनकर: मैं विषय पर ही आ रहा हूँ। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज, सारे डिग्री कॉलेज, सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्रयाग के हिस्से में चले गए। कौशाम्बी जनपद में कोई भी विद्यालय नहीं है। मैं लगातार इस सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता रहा। कौशाम्बी जनपद में केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित सभी औपचारिकताएं जिला प्रशासन द्वारा पूरी करके भारत सरकार को भेज दी गई हैं और लगभग दो साल से पेण्डिंग हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कौशाम्बी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Thol Thirumaavalavan, we have a long list of speakers. Kindly conclude in a short time.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairman Sir, Hon. Members, Vanakkam. At the outset I wholeheartedly thank the people of my Chidambaram Parliamentary constituency for electing me as a Member of Parliament for the second time. I get solace in raising a burning issue in this august House. Tamil Nadu is facing acute drinking water crisis. The people of Tamil Nadu have been affected very much due to acute drinking water scarcity. Because of this issue, schools have been closed in Chennai Metropolitan city. Hostels, IT companies are facing the threat of closure. I want to stress here in this House that the situation regarding drinking water crisis has worsened and it has not only affected the State of Tamil Nadu but the entire nation as well. We witness that women, especially young girls who have to walk to distant places to fetch drinking water. This is the prevailing situation throughout the country. While campaigning during elections or touring in the constituency, majority of the applications received by us from the people are related to provision of safe drinking water. Therefore I urge that this issue should not be seen as an issue pertaining to a particular State . The Union Government too should have a responsibility in addressing this issue.

The Union Government should provide a special package for Tamil Nadu to tackle this issue. The State Government has not taken any precautionary measure. The Union Government should direct the State Government to swiftly

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

act in addressing this drinking water problem. Union Government should also provide a special package to Tamil Nadu in this regard. Thank you.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद सभापति महोदय, इस 17वीं लोक सभा में मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र, जो जालौन, गोरखा, भोगनीपुर हैं, वहाँ के निवासियों के लिए दिल्ली आने हेतु कोई सीधी ट्रेन नहीं है। हमारे झाँसी और कानपुर के बीच जो 200 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें करीब 20 स्टेशन पड़ते हैं।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Both of you are senior Members. Kindly sit down.

...(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : महोदय, दूसरा ऐट जंक्शन। इन दोनों जंक्शनों के साथ-साथ चिरगाँव, मोंठ, ऐट, उरई, कालपी, पुखरायाँ अन्यान्य स्टेशन हैं, जहाँ से लाखों यात्री डेली दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन दिल्ली आने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैं विशेष रूप से केन्द्र सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि जो उत्तर-मध्य रेलवे के अन्तर्गत जो डिवीजन आता है, झाँसी और कानपुर के बीच, वहाँ पर नई ट्रेन सीधे दिल्ली के लिए चलाई जाए, जिससे क्षेत्रवासी सीधे दिल्ली से जुड़ सकें और सीधी यात्रा कर सकें। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र पिंपरी-चिंचवाड़, मावल के रक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले रेड जोन के बारे में अपनी बात रख रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से पूना के करीब पिंपरी-चिंचवाड़, मावल में रक्षा विभाग के पास कई सारे लोगों ने खुद को रहने के लिए मकान बनाए। इसमें से कई मकान सैनिक अथॉरिटी की परमिशन लेकर बनाए गए। शुरू में रेड जोन का क्षेत्र 608 तक आता था। 2013 में उसे बढ़ाकर 2000 यार्ड तक किया गया है। इसमें रक्षा विभाग की कई सारी इमारतें आती हैं। इसमें रक्षा क्वार्टर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, देहु रोड कैन्टोनमेंट की कई सारी इमारतें भी आती हैं। पिंपरी-चिंचवाड़ शहर से लगकर कई सारी इमारतें इसमें आती हैं। इसकी

आबादी करीब 4-5 लाख है। मैंने करीब 5 साल में कई बार रक्षा विभाग के मंत्री तथा अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। करीब सात-आठ बार इस बारे में मीटिंग हुई है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। आखिरी बैठक रक्षा मंत्री के साथ 3 अप्रैल, 2018 को हुई थी।

HON. CHAIRPERSON: Respected Member, we have a long list of Members. Kindly put your views briefly.

...(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : उसमें इस समस्या को हल करने के बारे में रक्षा विभाग ने पूरी तरह से सहमति जताई थी। देश में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है। लोग उनसे पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं।

माननीय सभापति: आप अपनी बात और विषय रखिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि देश की सुरक्षा एक अहम् मुद्दा है, फिर भी आज सरकार ने बहुत से गरीबों को मकान देने की घोषणा की है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक देश के सभी गरीबों को मकान देने की घोषणा हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ। रेड जोन से प्रभावित मकानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2000 यार्ड से रेड जोन का क्षेत्र 600 यार्ड तक करने की मैं माँग करता हूँ।

माननीय सभापति: धन्यवाद। श्री छेदी पासवान जी।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, मैं बिहार के रोहतास जिला, इन्द्रपुरी बैराज, जिससे क्रमशः 9 जिलों की सिंचाई होती है। प्रतिदिन नहरों की क्षमता घटती जा रही है। क्षमता के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों में काफी आक्रोश है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो मध्य प्रदेश और बिहार सरकार के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 10 हजार एकड़ फीट पानी दिया जाएगा। बाण सागर से और रिहन्द बाँध से, लेकिन एग्रीमेंट के तहत पानी नहीं दिया जा रहा है और बाण सागर वाले कह रहे हैं कि हम पानी पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, जबकि 1100 क्यूसेक, 500 क्यूसेक, 600 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं मिलता है। 10 हजार एकड़

फीट पानी देने का जो एग्रीमेंट है, यदि उतना पानी मिलना शुरू हो जाए, तो हम समझते हैं कि 9 जिले क्रमशः रोहतास, भगवा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया और पटना की सिंचाई ठीक ढंग से हो सकती है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ कि संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए, ताकि इस इलाके में पटवन का काम शुरू हो सके।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राम कृपाल यादव, श्री राजीव प्रताप रूडी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM) : Sir, I wish to draw the attention of the Government to a very serious damage being caused by coastal erosion in Kerala, particularly, in Thiruvananthapuram.

With the onset of monsoon, Thiruvananthapuram again finds itself in the throes of a recurring crisis of severe coastal erosion. The destructive effects of climate change are resulting in severe damage to the coastline, particularly, in the fishing hamlets of Valiyathura, Poothura, Panathura and Beemapally destroying the homes of our fishermen; encroaching on our beaches; and even washing away our land.

If a foreign power were to take even an inch of our territory, then this House would be united and outraged, but the sea is taking away kilometres of our territory and our land is going into the sea, and the Government, Central and State -- despite all my repeated efforts to draw the attention of this House to the urgency of the crisis last year also -- are doing nothing in order to manage this calamity and save the country.

I urge the Central Government to dedicate funds as a matter of national priority towards strengthening our defences against the sea by constructing a sea wall; installing rock groynes; and to protect the coast in these areas so that this crisis is abated.

But, Sir, I must ask you this. Who is responsible for it? Who will give us a reply for it? If you look at the Ministers, the Jal Shakti Minister says that he is dealing with water, but not necessarily with sea water; you have got the coastal responsibility with the Fisheries Minister; and disaster is with the Home Minister. Will somebody reply to us? Thank you, Sir.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM) : Sir, I would like to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor. But I would like to mention here in the House that I am going on a hunger strike for 24 hours tomorrow on the issue.
...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kuldeep Rai Sharma and Shri N.K. Premachandran are permitted to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor.

...(व्यवधान)

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर) : मैं बहुत दूर बंगाल प्रदेश से आया हूँ। वह प्रदेश जहाँ कानून और व्यवस्था नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ किसी की सुरक्षा भी नहीं है। जहाँ देश भर में डाक्टर्स ने सात दिनों तक स्ट्राइक किया है। जहाँ एक महीने तक सारे कोर्ट बंद रहे थे, क्योंकि वकीलों पर अटैक हो रहा है। महिलाओं को सरेआम रास्तों में छेड़ा जा रहा है। बदमाश रास्तों में बम-बंदूक लेकर घूम रहे हैं। वहाँ गोली चली, सात लोगों को गोली लगी, पुलिस बोलती है कि हमने गोली नहीं चलाई है। किसने किस पर गोली चलाई है, पता नहीं है, लेकिन दो लोगों की मौत हुई है।...(व्यवधान) चुनाव के समय 500 संसदीय क्षेत्रों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में मौतें हुई हैं, गोली चली है। एक महीने में लगभग 25 लोगों की मौतें हुई हैं और हमारे 15 लोगों की मौतें हुई हैं।

महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और कल भाटपाड़ा में, बैरकपुर में गोली चली थी और सात लोगों को लगी थी। गृह मंत्रालय से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए, ताकि बंगाल के लोगों का भय दूर हो और वहां कानून-व्यवस्था प्रतिष्ठित हो सके। मैं पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल रमेश शेवाले, श्री उदय प्रताप सिंह और श्री देवजी एम. पटेल को श्री दिलीप घोष द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, मैं सागरीय सुरक्षा का एक बहुत ही गंभीर मामला इस सभागृह के सामने रख रहा हूँ। जून माह के पहले हफ्ते में 8 जून को हमारे रत्नागिरी का डाभोल नामक जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां चीन के 10 बड़े वेसल्स जो फिशिंग करने के लिए आए थे, उन्हें कोस्टगार्ड ने पकड़ा है। जो 10 वेसेल्स पकड़े गए हैं, उनके जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके जो कैप्टन हैं, वे सारे के सारे परदेशी हैं और उनके पास जो पासपोर्ट है, वह एक्सपायर हो चुका है। वे सारे इल्लिगल एक्टिविटी करने वाले थे। मेरा कहना यह है कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे कसाब मुंबई में समुद्र के माध्यम से आया था। वैसे ही चीन और रत्नागिरी को अगर देखें, तो उनमें कितनी दूरी का अंतर है, 10-10 बड़े वेसल्स रत्नागिरी तक आना, बीच में उसकी जांच क्यों नहीं हुई? उन्होंने भारत से परमीशन क्यों नहीं ली? इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सौभाग्य से कोस्ट गार्ड ने रत्नागिरी में उन्हें सही वक्त पर पकड़ लिया और उनकी इन्क्वायरी चालू है। लेकिन मेरी विनती है कि भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से भी मैंने लिखित रूप से विनती की है कि इस सारी घटना की पूरी जांच हो और भविष्य में समुद्र की सुरक्षा को कड़ा किया जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.00hrs

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I wish to draw the urgent attention of the House towards acute difficulties faced by thousands of travelers on NH-66 at Attingal junction in Kerala.

This stretch through Attingal is the major bottleneck on this national highway. For about three decades, the residents of Attingal as well as those who travel to the Capital city of Kerala on NH-66 have been raising the demand for constructing a bypass at Attingal.

The National Highways Authority of India (NHAI) is planning the widening of Kazhakkuttam – Kadambattukonam stretch and Attingal bypass is a part of this project. Sir, 3-A notification has already been issued in June, 2018, and its validity is ending this month. It is necessary to issue 3-D notification this month itself. Otherwise, 3-A notification will be lapsed.

The NHAI has not issued 3-D notification since the priority of this project has been changed. Hence, I urge the Government to take immediate steps to consider this project on top priority and ensure completion of works without any further delay.

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर चंबल के बीहड़ के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध है, तो वहां के डाकू हैं। जब हम स्कूल-कालेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय भी फिल्मों भी बनीं तो वहां के डाकूओं पर बनी। एक जगन गुर्जर, जो कुख्यात डाकू है, वह 8-10 दिन पहले, जिसने तीन बार सरेंडर किया और जगन गुर्जर पर डेढ़ सौ से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती के मुकदमें दर्ज हैं, सभापति महोदय, वह 70 मामलों में बरी हो गया, क्योंकि उसके आतंक से कोई कोर्ट में गवाही देने नहीं जाता था। अभी 12 जून को धौलपुर के बाड़ी में

सरेआम व्यापारियों को पीटा और महिलाओं को निर्वस्त्र कर के उस जगन गुर्जर ने घुमाया। राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो गई। इस डाकू को पकड़ने के लिए रात को भी बता रहे थे कि फायरिंग चल रही थी, पुलिस-बल गया था। लेकिन राजस्थान की पुलिस नाकाम है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र इसके अंदर हस्तक्षेप करे। राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। अभी जो लोक सभा के चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। जगन गुर्जर जैसे डाकू, उससे पहले अलवर गैंग रेप का जो वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश के अंदर राजस्थान शर्मसार हुआ। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जगन गुर्जर जैसे डाकू का एन्काउंटर किया जाए। आजादी के 70 साल बाद भी इन डाकूओं के आतंक से लोग पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जनता पीड़ित है। इस डाकू को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए अर्धसैनिक बलों को भेजना पड़े तो उनको भेजा जाए। केन्द्र सरकार राजस्थान की सरकार से रिपोर्ट ले। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हनुमान बैनिवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI T.N. PRATHAPAN: (THRISSUR): Hon. Chairman, Sir, there is a severe coastal erosion in Kerala for the last two weeks. Currently, we have 366 km. of seawall in the 576 km. long coastal area of Kerala. But its 146 km. is almost destroyed. Sir, 100 km. of seawall should be newly constructed along the Kerala coast. In fact, a total of 246 km. long seawall is very urgently needed. Sir, the 12th and the 13th Finance Commissions had recommended for building seawall in Kerala but Kerala did not get anything in the last five years.

It is very pathetic. Hundreds of fishermen are homeless now. They are living in relief camps. Their fishing equipment have been destroyed. The Government should help Kerala by considering this serious situation. The Centre should take interest to protect the coastal areas and save the fishermen.

HON. CHAIRPERSON : Adv. Adoor Prakash, Shri K. Muraleedharan, Shri N. K. Premachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri T. N. Prathapan.

Those who want to associate, submit your slips at the Table. Shri T. N. Prathapan, please conclude now. We have a very long list. I am giving you half a minute to conclude.

SHRI T. N. PRATHAPAN : Sir, immediate intervention of Government of India is needed in this issue.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, you have allowed me to speak on a very important issue of Sabarimala.

In this House, many times, this subject has been brought up. On the 28th September, 2016, the Supreme Court passed an order and denied the special Denomination Status to Shri Ayyappa Temple, and because of that denial, the rituals and practices which are exclusive to this temple have been denied. In the absence of the special denominational status, the protection of Article 26 which is available to other religious practices is not available to this Temple. A Bill has been sought to be brought in which I feel is defective because the special denominational status which had to be catered to or had to be applied has not really been applied in the absence of which the religious practices are denied. It has got two-fold problems. One is that the Hindu temples and Hindu institutions suffer because of this particular judgment. In Hindi translation of Article 26 of the Constitution, it uses the word '*Sampradaya*'. So, if '*Sampradaya*' can be protected and if *Sampradayik* practices can be protected, the Hindu temples will see that the rituals and practices are protected.

In the morning also, some people tried to bring the issue of Triple Talaq etc. Let me put it across in this House once again that the Constitution talks about Uniform Civil Code, not Uniform Religious Code. The religious practices need to be discriminated from the civil practices and these are religious practices. There are festivals like Attukal Pongala where men are not allowed and if Attukal Pongala needs to be protected, I think the 'denominational practices' need to be defined which is the job of this House. We should define it.

A defective Bill is only serving the purpose of optics creating some headlines in some newspaper in Kerala and down south. I think, we as a legislative body need to understand the difference when review petition is pending. The debate should be on 'what are denominational practices' and protect all the worshippers of Ayyappa and rituals. *Jai Jai Ayyappa!*

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Devaji Patel, Shri Nalin Kumar Kateel are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

श्री रामदास तडस (वर्धा): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान किसानों की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार ने पर्यावरण कानून, बीज कानून व जीवनोपयोगी वस्तु कानून से खेती में, जैविक तंत्र ज्ञान से विकसित किए हुए बीज के उपयोग, बिक्री एवं उत्पादों को बंद किया है।

माननीय सभापति: रामदास जी, जरा अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री रामदास तडस : महोदय, इस बारे में किसानों को सही मार्गदर्शन नहीं होने से किसानों को बीज खरीद प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसान को अपने खेत में कौन-सा बीज बोना है, इसका संवैधानिक अधिकार किसान को होने के बावजूद भी पर्यावरण कानून, बीज कानून, जीवनोपयोगी वस्तु कानून को बंद किया गया है।

माननीय सभापति: रामदास जी, अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री रामदास तडस : महोदय, एक मिनट।

देश के किसानों को विदेशी किसानों से स्पर्धा करनी पड़ती है। वहां की सरकार ने वहां के किसानों को जो नए तंत्र ज्ञान को उपयोग में लाने की आजादी दी हुई है, वैसी आजादी अपने देश के किसानों को भी देनी चाहिए, तभी देश का किसान विदेश के किसानों से स्पर्धा कर सकेगा और खेती का घाटा कम होगा।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामदास तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर दानिश अली जी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती सुप्रिया सुले जी।

श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले (बारामती): सभापति महोदय, आज मैं यहां एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से आती हूँ, आज वहां पानी की बहुत समस्या है। पिछले साल बारिश भी ठीक हुई थी, लेकिन जो बड़े बांध हैं, उसमें से एक बड़ा बांध मेरे क्षेत्र में आता है जिसको उजनी डैम कहते हैं, वह हंड्रेड परसेन्ट भरा था, लेकिन इस सरकार की मिसमैनेजमेन्ट की वजह से अभी डेड वाटर ही बचा है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने तीन बड़ी योजनाएं बनाईं। पहली जलयुक्त शिवार योजना है, जिसमें आठ हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन किसी जिओलॉजिस्ट से नहीं पूछा, इसलिए आज पूरा जलयुक्त अभियान पूरा खाली पड़ा है। उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है।

दूसरा, महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री जी ने टैंकर मुक्त महाराष्ट्र के नाम से एक योजना चलायी थी। उनका डेटा भी कह रहा था कि महाराष्ट्र टैंकर मुक्त हो गया है। सर, आज मीडिया में देखिए, न्यूज़ पेपर पढ़िए, हर जगह टैंकर माफिया के बारे में सुनने को मिलता है। इससे आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। यह सिर्फ ग्रामीण भाग का इश्यू नहीं है। आज शहरों में भी, चाहे वह नासिक हो, पूना हो, मुम्बई हो, हर जगह पानी की कमी हो रही है, वाटर कट्स हो रहे हैं। आज चाहे कोई बिल्डिंग में रहने वाला हो या कोई किसान हो, आज कहीं भी पैसे दिए बिना टैंकर नहीं मिल रहा

है। आज हमारे यहां जो पानी की समस्या है और महाराष्ट्र में जो सूखा चल रहा है, उसके बारे में सोचा जाए। केन्द्र सरकार को पानी के लिए महाराष्ट्र को कुछ मदद करनी चाहिए।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I would like to bring your kind attention to an urgent matter regarding an inhuman decision of the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India has denied permission to Government of Kerala's decision of moratorium on bank loans up to 31st December, 2019.

Sir, the RBI's decision will adversely affect the farmers in Kerala especially in my Parliamentary Constituency Idukki. For the last so many years they have faced various adversities like poor crop production due to natural calamities like flood, drought and climate changes. Even when the crop production was good, farmers could not get fair prices for their produce and they could not meet their expenses.

Sir, more than 10,000 houses and 11,000 hectares of land was washed out in the recent floods in my District. At present these affected farmers have no income or livelihood. All these have contributed to severe financial liabilities. Many of them have taken financial assistance from banks with the earnest hope of timely repayment. These loans were taken as secured agricultural loans by pledging their collateral assets. Due to this reason repayment of their loans has been delayed.

Sir, now the banks have started pressuring the farmers in various ways including with attachment of their property and these poor farmers are under threat. Because of the process of the attachment of property by the banks and threats, nine farmers of my Parliamentary Constituency Idukki have committed suicide in the last few months.

Sir, on the other hand, when we take a look at the industrial or corporate loans, during the period from 2014 to 2018 an amount of Rs.3.74 crore was adjusted by the national Government. Considering the situation, the State Government decided for a moratorium on loans and that requires the consent of the RBI. But the decision of the RBI is inhuman in regard to the moratorium.

Sir, as the matter is very serious, I urge upon the Government to intervene in the situation, freeze the decision of the RBI, and save the lives of the poor farmers. Thank you.

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हमारे पास बीस सदस्यों के नोटिस लेने की प्रैक्टिस है, लेकिन हमने उससे ज्यादा लिया है। So, all are requested to conclude within one minute each.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, जो बीस में आए हैं, उनको तो टाइम मिलना चाहिए। जो बीस के बाहर वाले हैं, उनके लिए एक मिनट का समय है।

चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। मुखर्जी नगर में 16 जून, 2019 को शाम का वक्त था। वहाँ पर सरबजीत सिंह, उम्र- तकरीबन 60 साल और उसका नाबालिग बेटा जो 16 साल का था। वह ग्रामीण सेवा टैम्पू का चालक है। वह अपना टैम्पू चलाकर आ रहा था, उसके पीछे से अचानक दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी आयी, उसे रोका और उससे हफ्ता लेने की बात की। जब उसने हफ्ता देने से मना कर दिया तो जिप्सी उसके पीछे-पीछे चलती गई। जब मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के सामने वह टैम्पू पहुँचा तो वहाँ पर जिप्सी वालों ने उसे दोबारा रोका।

उसके सीधा पिस्टल लगाकर उससे हफ्ता मांगने लगे। जब उसने सेल्फ डिफेंस में और बच्चे ने अपने बाप को बचाने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर और पुलिस वालों को लेकर आया। जिन्होंने बिना देखे, सरबजीत सिंह और उसके बेटे को, डण्डों से, राइफलों से और पिस्टलों के बट से बुरी तरह पीटा। इसको सोशल मीडिया पर सबने देखा है।

HON. CHAIRPERSON : It is a State issue.

श्री रवनीत सिंह: सर, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? आपको यह नहीं पता कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी के अंडर है। यह स्टेट इश्यू कैसे हो गया? दोनों सिखों को ...(व्यवधान) आपको बात सुननी पड़ेगी। ...(व्यवधान) हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट पगड़ी और बाल हैं, केश हैं। ...(व्यवधान) उसकी पगड़ी उतारी गई और पगड़ी को सड़क पर रौंद दिया गया। बाल जो सिख के लिए सबसे इंपोर्टेंट हैं, बालों को पकड़कर सड़क पर उसे खींचा गया। शर्म की बात यह है, इसमें धारा 295 ए लगनी चाहिए, वह आज तक नहीं लगी। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कनक्लूड कीजिए।

श्री रवनीत सिंह: आप एक माइनोरिटी की बात दबाएंगे। मैं अपने धर्म की एक बात कर रहा हूँ, आप उसे दबाएंगे। अमित शाह जी, जो 84 की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आज अमित शाह जी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वीरेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का बुंदेलखण्ड कम वर्षा के कारण अक्सर सूखे की समस्या से ग्रसित होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, छतरपुर सहित, पन्ना, दतिया और आसपास के जो जिले हैं, उनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सूखे के कारण जहां एक ओर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, वहीं पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: मुझे कान्क्लूड करने का टाइम दें।...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय नदियों को आपसे में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन-बेतवा नदी को जोड़ने का काम प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। बीच में दस वर्ष जो यूपीए की सरकार आई, उस 10 वर्ष के कार्यकाल में नदियों को आपस में जोड़ने के काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना बुंदेलखंड वासियों को करना पड़ा। पिछले 5 वर्षों में केन-बेतवा नदी को जोड़ने के काम पर काफी

काम हुआ है। इसके कारण बुंदेलखण्ड में, विशेष रूप से टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र के लोगों में एक आशा और विश्वास का संचार हुआ है।

सरकार की नदियों को आपस में जोड़ने की जो योजना है, जिसमें केन-बेतवा नदी का काफी काम हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केन-बेतवा नदी को जोड़ने का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जाए, जिससे टीकमगढ़, छतरपुर सहित बुंदेलखण्ड के सभी लोगों में वहाँ के किसानों को सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो सके और साथ ही साथ पेयजल की समस्या का निराकरण भी हो सके।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप दो वाक्यों में कनक्लूड कीजिए।

श्री रवनीत सिंह: थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि यह इंपोर्टेंट इश्यू है। यहाँ पर अकाली दल के जो प्रधान हैं, जिनके अंडर एसजीपीसी भी है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी है, सुखबीर सिंह बादल और जो चटनी और अचार की मंत्री हरसिमरत हैं, उन्होंने आज तक एक लब्ज नहीं बोला। ...(व्यवधान) सर, इसकी इंकवायरी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बात नहीं है। राहुल रमेश शेवाले जी, आप अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति जी, 17वीं लोक सभा के पहले दिन शून्य काल में मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं एक ज्वलंत विषय को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो बहुत लंबे समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि हमारे एनडीए सरकार के एजेंडा में भी यह महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, समूचे भारत के हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र राम जन्म भूमि के विषय में थोड़ा सा इतिहास मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पूर्व विध्वंस हुआ, जब 1528 में मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया। मंदिर के ध्वस्त मलबे से मुगलों ने एक ढांचे का निर्माण

कर डाला, जो किसी रूप में मस्जिद जैसा नहीं था। उन्होंने यह कार्य हिन्दुओं को आहत करके उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया। इस ढांचे में कई वर्षों तक न तो अजान हुई और न ही नमाज अदा की गई। बाद में इस उजाड़ ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। हमेशा से ही हिन्दू श्रद्धालु इस स्थान को राम जन्म भूमि मान कर इसकी परिक्रमा करते रहे, जिस पर किसी ने ऐतराज नहीं उठाया। मंदिर निर्माण के लिए मांगें लगातार उठती रहीं, पर उन्हें दबा दिया गया, क्योंकि 1528 ईसवी से 1947 तक भारत पर विदेशियों ने राज किया और हमारी संस्कृति और धर्मपरायणता को तोड़ने की कोशिश की।

23 दिसम्बर, 1949 को एक आंदोलन उठा। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय यह महत्वपूर्ण विषय है, यह अपना एनडीए का विषय है। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। एक आन्दोलन उठा और इस स्थान पर लगातार राम नाम का भजन कीर्तन होने लगा। तत्कालीन जिलाधिकारी श्री के.के.नायर ने इसे विवादित ढांचे का रूप देकर बंद कर दिया, विवाद अदालत में गया और आज 70 साल बाद भी हिन्दुओं को न्याय नहीं मिला। इस स्थान की खुदाई में मंदिर होने और राम जन्म भूमि होने के अनेक प्रमाण मिले, किन्तु अदालत उन्हें झुठलाती चली गई। अंततः इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया, जो आज भी कोई फैसला नहीं कर पाई है।

महोदय, शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के साथ ... (व्यवधान) हम राम जन्मभूमि गए। वहां राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें, जिससे वहां शीघ्र भव्य मंदिर निर्माण किया जाए, जिससे हिन्दुओं की भावनाओं और आस्था का सम्मान हो। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात एक वाक्य में पूर्ण कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले : मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राम जन्म भूमि पर अच्छा कार्य करके विश्वभर के हिन्दुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सख्त से सख्त कानून लाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल रमेश शेवले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : सभापति महोदय, मैं आपको दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। मैं आपका ध्यान बिहार और खासतौर पर पाटलीपुत्र की जनता की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पूरे बिहार में बारिश नहीं हुई है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, नहर और नदी में पानी नहीं है, नहर और नदी में पानी नहीं होने से किसानों को सिंचाई की समस्या है, मगर पीने के पानी की भी घोर समस्या थी। I agree with you.

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, जितने भी हैंडपम्प थे, वे सभी सूख गए, नदी सूख गई, नहर सूख गयी, कुँआ सूख गयी। राज्य सरकार प्रयास कर रही है। हैंडपाइप फेल हो गया है, राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति: आप अपनी मांग रखिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, राज्य सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्री निवेदन करूंगा, खासकर हमारे पाटलीपुत्र क्षेत्र में हहाकार मचा हुआ है, सारा हैंड पाइप फेल, जल्द हस्तक्षेप करें और पानी की व्यवस्था करें, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you very much for giving me this opportunity. There is a severe drought problem in Tamil Nadu. For the last six months there is no rain in the State. We are not getting Cauvery water also. Not only people, animals are also suffering because of this. I would request that this should be treated as a national calamity, national

disaster, and some funds should be allocated to the State out of the National Disaster Management Fund. At least, Rs.1000 crore should be allocated to Tamil Nadu to address the water scarcity problem.

श्री मनोज कोटक : सभापति महोदय, मुंबई की लाइफ-लाइन गिनी जाने वाली सेंट्रल सब-अर्बन रेलवे जिसमें सेंट्रल और हार्बर दोनों लाइनें हैं, भारी बरसात में अपने समय से उतर जाती है, लेकिन अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ही इसका टाइम-टेबल गड़बड़ा गया है, पिछले पन्द्रह दिनों से सेंट्रल रेलवे अपने समय से पीछे चल रही है। मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसका बन्दोबस्त कीजिए और जो इस तरह की देरी हो रही है, उसको समय पर चलाने का प्रावधान करें।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, our Party boycotted the All Party Meeting called by the Prime Minister on 'One Nation One Election'. As it is, this principle is against the federal principles and the Government had not given sufficient time nor supplied a White Paper for us to consider the proposal of the Government to have all elections simultaneously.

But our main objection is this. Shri Amit Shah, the hon. Home Minister, sent two advisories to the State Government under Article 355 twice in one week. Now, as long as the hon. Home Minister sends these advisories, we shall not attend meetings called by the Central Government. On the one hand, you want cooperation of everybody and on the other hand, you are trying to interfere into the affairs of the State by invoking Article 355.

श्री देवजी पटेल (जालौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मैं इलैक्शन के दिनों में जब अपने क्षेत्र में गया तब मैंने विकास की चर्चा की, देश पर आतंकवादी हमलों की चर्चा की। जब हम गांव में घूम रहे थे तो कई जगह लोगों ने विषय उठाया कि कुछ विपक्ष के मित्र सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको हमें एक वादा करना

पड़ेगा कि आप इसका जवाब लोकसभा के फ्लोर पर देंगे और वहां आप मांग रखेंगे जो उनकी तरफ से होगी। मैंने कहा कि ठीक है हम यह विषय रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों ने कहा है कि लाशें कितनी थीं?

मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो तब विपक्ष के मित्र, जिन्हें लाशें गिनने का शौक है, उनको हवाई जहाज में बिठाकर वहां भेज दिया जाए ताकि वह गिनकर आएँ और उसका खर्च मैं अपने यहां से दूंगा। मेरा यही निवेदन है।

माननीय सभापति: डॉ. संजय जायसवाल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और वन्य प्राणी विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हालांकि हमें मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि असम से अहमदाबाद तक चार वन्य प्राणी, चार हाथियों का ट्रांसपोर्ट एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए हो रहा है। आपको पता भी है कि पूरे देश में गर्मी और सूखे का वातावरण है, इसलिए यह ट्रांसपोर्ट बहुत ही हानिकारक है, यह वाइल्ड लाइफ के नियमों के भी विपरीत है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन हूँ कि इसे बंद किया जाए।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं राजस्थान के विषय पर बात करना चाहता हूँ। विधान सभा चुनाव में कुछ पोलिटिकल पार्टियों ने अपना जनमत बढ़ाने के लिए, लोगों पर विश्वास बढ़ाने के लिए कर्ज माफी की बात कही थी और युवाओं के खाते में 3,500 रुपए डालने की बात कही थी। अब वहां के किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं, किसानों का कर्ज माफ कराने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। किसान ऋण लेने के लिए परेशान हो रहा है, उन्हें फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं। सरकार के मंत्री मुख्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। विधायक धरना दे रहे हैं। वहां सरकार की स्थिति गंभीर है।

माननीय सभापति: श्री देवजी एम. पटेल को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में मेरा पहला दिन है, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

मैं अमरोहा क्षेत्र से आता हूं, अमरोहा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले स्वतंत्रता सैनानी मौलाना हिफजुर रहमान और आचार्य कृपलानी जी ने किया था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां किस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। यह क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बनाया जाए।

14.27 hrs

MEMBER SWORN – Contd.

HON. SPEAKER : Now, Member Sworn. Secretary General.

SECRETARY GENERAL : Shri Prajwal Revanna

KARNATAKA

Shri Prajwal Revanna (Hassan)- Oath - Kannada

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज देश में केन्द्रीय विद्यालय से वंचित जो जिले हैं, उनमें से मेरा जिला अमरेली (गुजरात) भी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरा जिला कृषि आधारित है, मजदूर आधारित है और एकदम श्रम एरिया है तो केन्द्रीय विद्यालय की मंजूरी जल्द से जल्द मिल जाए तो मेरे क्षेत्र की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। जिला प्रशासन ने प्रक्रिया को पूरा करके केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। मैं आपके माध्यम से जल्द से जल्द मेरे क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय के लिए मंजूरी मिल जाए, ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके।...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairman Sir, I wish to draw the attention of the House to a very serious issue pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

During the election, we have seen a channel which was set up explicitly for the purpose of campaigning under the guise of spreading information about welfare schemes to the public. This was set up by one political party. It was completely below the radar of everybody and this was closed immediately after the election.

I urge the hon. Minister for Information and Broadcasting to close Namo TV and plug the legal loophole as soon as possible as it gives an unfair advantage to the ruling party.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, my Parliamentary Constituency, Pathanamthitta hosts almost five crore Ayyappa devotees in Sabarimala from all over the country in a year. The recent verdict of the Supreme Court created an uproar not just in Pathanamthitta but all over the country.

I would like to bring a few points to the attention of the House. Sabarimala Shrine is an ancient Hindu Temple of Lord Ayyappa which is the second largest

pilgrim centre in the world. The customs at Sabarimala are a matter of faith rather than that of a gender issue.

The move to break the customs adversely affects the pilgrims and its practices performed by its devotees every year. Article 26(b) of the Constitution endorses the right of every religious denomination to manage its own affairs. The present court verdict has not only muzzled the voice of a religious institution but also robbed them of their right provided by law. Judges on the panel of this case had the same thing to say.

श्री राहुल कस्वां (चुरु): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बार देश के अंदर जो गर्मी पड़ी है, उसका एक अपने-आप में रिकॉर्ड बना। मेरा क्षेत्र चुरू पूरी दुनिया भर में मशहूर इस बात के लिए हुआ कि टेम्प्रेचर 50.03 को टच किया। 2 जून को राजस्थान के अन्दर गंगानगर से लेकर जालौर और अलवर तक की आप बात करेंगे। हर जगह जबर्दस्त गर्मी पड़ती है। चुरू का तापमान हमेशा ही दुनिया में एक नम्बर पर आगे बढ़ता है और इस बार जो टेम्प्रेचर 48-49 के मुकाबले 50.03 तक पहुंचा, यह एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिस रूप में वहां पर तूफान, आंधी, गर्मी, लू पड़ती है और ऐसे में लोगों को पानी लाने के लिए दूर गांव में जाना पड़ता है तो जो पानी हमारा 85 परसेंट जो सेलाइन वाटर है। मेरा आपसे अर्ज है, मैं आपके मार्गदर्शन में सरकार से कहना चाहूंगा कि नरेगा की स्कीम्स को इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा चेंज किया जाए, जो भारत के अन्दर 2022 तक 90 प्रतिशत घरों में टैप वॉटर देने की बात कही।

सर दो मिनट लूंगा सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है गर्मी का मुद्दा है। 90 परसेंट घरों में जो टैप वाटर देने की जो बात कही गई है, चुरू के लिए प्राओरिटी पर एक नया बजट क्रियेट किया जाए ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंचे। सर एक बात और नरेगा के तहत एस.सी. एस.टी. और बी.पी.एल. परिवार के लोगों को कूट बनाने की व्यवस्था दी जाती है मेरा निवेदन है कि चुरू लोक सभा क्षेत्र के आम किसानों की व्यवस्था दी जाए ताकि वो गर्मी से बचने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकें।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, मैं आपका स्वागत करती हूँ और यहां जितने भी संसद सदस्य बैठे हैं, उनको दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं ऐसे एरिया से बिलाँग करती हूँ, जहां सबसे ज्यादा शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया है। आज हम कुपोषण पर बात कर रहे थे। अगर पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुपोषण हमारे विदर्भ के एरिया, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है - मेलघाट में पाया जाता है। आज वहां पर देखें तो वहां सूखा है, पीने के लिए पानी नहीं है। पिछले तीन महीनों से लोगों को एक हण्डा भरके पानी लाने के लिए दस किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। न वहां पर न्यूट्रिशन दिया जाता है, न वहां पर हॉस्पिटल्स हैं, जहां लोगों का इलाज हो सके। हम बोलते हैं कि कुपोषण-मुक्त भारत बनाएंगे, तो हम उसमें कहां स्टैंड करते हैं, यह मुझे संबंधित मंत्री से जानकारी चाहिए। पानी और कुपोषण के बारे में उनसे पूरी जानकारी चाहिए।

माननीय सभापति : एंटो एन्टोनी जी, आप एक वाक्य में कंकलूड कर दीजिए।

SHRI ANTO ANTONY : The Parliament has every competence to make law to nullify the judgement of any court. So, I urge upon the Government to come forward with a new law....(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, Shri Basanta Kumar Panda.

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहांडी) : माननीय सभापति जी, विलम्ब से सही, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान से वंचित एक एरिया से प्रतिनिधित्व करने के लिए इस संसद में पहुंचा हूँ। हमारे क्षेत्र में लांजीगढ़, नरला और जूनागढ़ में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं। धर्मगढ़, नयापारा और खरिहार में केन्द्रीय विद्यालय खुला है, लेकिन उसकी बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। बिल्डिंग नहीं बनने के कारण, दूसरे की बिल्डिंग में पढ़ाई होने के कारण आगे क्लासेस 'प्लस-2' तक नहीं पढ़ पा रही हैं।

माननीय सभापति: काइण्डली कंकलूड कीजिए, दो अन्य मेंबर्स बोलने वाले हैं।

श्री बसंत कुमार पांडा : सभापति जी, मैं एक मिनट में पूरा कंकलूड कर देता हूँ। वहां जल्दी से जल्दी टेंडर हुआ काम पूरा हो और नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता प्रशस्त हो। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, Dr. B.V. Satyavathi.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Respected Sir, I am a professional gynaecologist, who came for the first time to this august House of Parliament. The hon. Health Minister is also here. I want to bring to your kind notice that we come from rural areas. Being a professional doctor, I want to specify about maternal mortality here because prior also, health issues were being discussed in this House. I am a doctor, and many times we cried like anything because of losses of mothers due to transportation delays. We have only one King George Hospital which is very far from agency areas and also the rural areas. So, I request this august House, the *Sabhapatiji* and *Mananiya Health Ministerji* that we want an exclusive mother and child hospital in the rural areas, especially in Anakapalle because it is going to be a district in future.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI: We want a super-speciality hospital with all facilities like, he might be knowing, blood transfusion facility, ventilator facility and NICU.

I have one more point to say. The Kendriya Vidyalaya has already been sanctioned but it has not yet started functioning.

HON. CHAIRPERSON: You can speak only on one point.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI : Thank you very much, Sir.

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): सभापति महोदय, मेरे प्रदेश मध्य प्रदेश के किसान भाई लगातार छः महीने से बहुत परेशानी में समय बिता रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश का किसान प्रगति कर रहा था, मगर एक दौर ऐसा आया कि देश में 'झूठ' के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए, कांग्रेस के तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों को दस दिनों के अंदर कर्ज माफ करने का वायदा करके सत्ता प्राप्त की

थी। आज ऐसी हालत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लूडो खेलने में मस्त रहते हैं, मगर किसानों के लिए –

“चलो खेलें वही बाजी, जो पुराना खेल है कांग्रेस तेरा,
तू फिर से बेवफाई करना, मैं फिर से आंसू बहाऊंगा।”...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुधीर गुप्ता जी, आप अपना विषय रखिए।

श्री सुधीर गुप्ता : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में किसानों को जो दो लाख रुपये कर्ज माफ करने का वायदा किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सुधीर गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री सुधीर गुप्ता: आज किसान अगली फसल के लिए तैयार खड़ा है, मगर उन्हें किसी किस्म की खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस तरह बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

.....(व्यवधान)*

श्री शंकर लालवानी (इंदौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंदौर शहर की जटिल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। इंदौर स्वच्छता में लगातार तीन बार प्रथम आया है, लेकिन हमने ट्रैफिक की समस्या के संबंध में केन्द्र सरकार को जो प्रोजेक्ट दिया था, माननीय नितिन गडकरी जी ने उसमें से 350 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए। उनको पैसा दिए हुए चार महीने बीत गए। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए, उसकी डीपीआर चेंज कर रही है और अभी तक टेंडर भी नहीं की है, जिसके कारण लोगों को समस्या आ रही है।

* Not recorded.

मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वह डीपीआर चेंज नहीं होना चाहिए। जिस डीपीआर के लिए केन्द्र सरकार ने राशि स्वीकृत की है, उसकी डीपीआर वास्ते तुरंत टेंडर बुलाया जाना चाहिए।
धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 3.40 p.m.

14.41hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Forty Minutes past
Fifteen of the Clock.*

15.42 hrs

*The Lok Sabha re-assembled at Forty-Two Minutes past
Fifteen of the Clock.*

(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

HON. CHAIRPERSON : We may take up the Private Member's business.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Madam Chairperson. I am very fortunate to Madam be on the Chair.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Premachandran, only introduce the Bill. You are a very senior person. You know the rules.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I will abide by the rules. It is a historic Bill. I am not going into the details.

15.43 hrs

PRIVATE MEMBERS BILLS -Introduced
(i) Sabarimala Sreedharma Sastha Temple
(Special Provisions) Bill, 2019^{*}

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for maintaining status quo on religious practices of the Sabarimala Sreedharma Sastha Temple, as existed on the 1st day of September, 2018 and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for maintaining status quo on religious practices of the Sabarimala Sreedharma Sastha Temple, as existed on the 1st day of September, 2018 and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN:Madam, I may be allowed to speak a few words.

HON. CHAIRPERSON: No, Mr. Premachandran. That is against the rules. That cannot be allowed. Whatever you wish to say, you can always raise it in the Zero Hour. Please introduce the Bill. Nothing will go on record other than introducing the Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.44 hrs

(ii) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 31)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.”

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.44 ½ hrs

**(iii) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment)
Bill, 2019^{*}
(Amendment of section 3, etc.)**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.”

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.45hrs

(iv)Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 1, etc.)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees State Insurance Act, 1948.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employees State Insurance Act, 1948.”

The motion was adopted.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I introduce the Bill.

15.45 ½ hrs

(v)Prevention of Female Infanticide Bill, 2019*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent female infanticide.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to prevent female infanticide.”

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.46 hrs**(vi)Old Age Pension and Rehabilitation Bill, 2019***

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of rehabilitation facilities to old persons.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of pension and provision of rehabilitation facilities to old persons.”

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I introduce the Bill.

15.46 ½ hrs**(vii)Prohibition and Eradication of Ragging Bill, 2019***

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit and eradicate ragging in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit and eradicate ragging in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.47 hrs**(viii) Agricultural Workers (Employment, Conditions of Service and Welfare) Bill, 2019***

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to protect the interests of agricultural workers and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I introduce the Bill.

15.47 ½ hrs**(ix) Compulsory Voting Bill, 2019***

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matter connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.48 hrs**(x) Constitution(Amendment) Bill, 2019 *
(Amendment of Eighth Schedule)**

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.50 hrs**(xi) High Court at Patna(Establishment of a Permanent Bench at
Maharajganj) Bill, 2019***

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की महाराजगंज में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Patna at Maharajganj.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.50 ½ hrs

**(xii) Poor and Destitute Agricultural Workers
(Welfare) Bill, 2019***

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' (महाराजगंज): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गरीब और निराश्रितों तथा गांवों में रहने वाले ऐसे अन्य कृषि कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों तथा मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता के मामलों में प्रतिकर के भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति और शिशुकक्ष सुविधाओं के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना और काम की शर्तों के विनियमन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare measures for the poor and destitute and such other agricultural workers living in villages and constitution of a Welfare Fund for payment of compensation in cases of death or permanent disability, old-age pension, medical assistance, maternity and creche facilities for the women workers and for regulating the conditions of work and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.51 hrs

(xiii) Cow Protection Bill, 2019*

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute an Authority to ensure stabilization of population of cows (*Bos indicus*) and to suggest such measures to comply with articles 37 and 48 of the Constitution, to ban the slaughter of cows and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.51 ½ hrs

**(xiv) Right of Children to Free and Compulsory Education
(Amendment) Bill, 2019^{*}
(Amendment of Section 2, etc.)**

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.52 hrs

**(xv) Tribal Children and Lactating Women in Jharkhand and Other States
(Removal of Hunger, Malnutrition and Prevention of Starvation Deaths)
Bill, 2019***

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर झारखण्ड में किशोरियों और युवा लड़कियों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित जनजातीय बालकों की भूख और कुपोषण मिटाने और भूख से होने वाली मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर नोडल अभिकरण के माध्यम से निवारण करने तथा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय नीति बनाकर तत्संबंधी और आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the removal of hunger and malnutrition and for the prevention of starvation deaths of tribal children including adolescent and young girls and pregnant and lactating women in tribal areas of the country particularly in Jharkhand through a nodal agency at the National and State levels, by formulating a National policy for the purpose and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.52 ½ hrs

(xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of New Article 370A)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.53 hrs

(xvii) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2019*
(Substitution of new section for section 304A)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.53 ½ hrs

**(xviii) Constitution (Scheduled Tribes) Order
(Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of the Schedule)**

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.54 hrs

**(xix) Clinical Establishments (Registration and Regulation)
Amendment Bill, 2019***
(Amendment of section 12, etc.)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.54 ½ hrs**(xx) Compulsory Physical Fitness of Children Through Sports in Schools and Development of Sports Infrastructure Bill, 2019***

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश भर के विद्यालयों में खेलों को अनिवार्य नियमित विषय बनाकर और खिलाड़ियों को समान अवसर तथा प्रोत्साहन प्रदान करके पूरे देश में बालकों के सर्वांगीण विकास और देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर की खेल संबंधी अवसंरचना विकसित करने हेतु खेल शिक्षा तथा शारीरिक स्वस्थता को बढ़ावा देने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to promote sports education and physical fitness for an all-round development of children in the country and to develop international standard sports infrastructure in the country, by making sports a compulsory regular subject in schools and providing equal opportunity and incentives to sportspersons across the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.55 hrs**(xxi) Stray Cows (Protection and Control) Board Bill, 2019***

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में छुट्टा गोवंश के संरक्षण और नियंत्रण और उससे संसक्त विषयों के लिए एक बोर्ड का गठन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the protection and control of stray cows in the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

15.55 ½ hrs**(xxii) Promotion and Protection of Intangible Cultural Heritage Bill, 2019***

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और संरक्षण के लिए बोर्ड गठित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute a Board for promotion and protection of intangible cultural heritage of the country.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.56 hrs

(xxiii) Bundelkhand Regiment Bill, 2019*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बुंदेलखण्ड रेजीमेंट नामक नई सैन्य रेजीमेंट का गठन और विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution and regulation of a new army regiment to be known as the Bundelkhand Regiment for safeguarding the borders of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

15.56 ½ hrs

(xxiv) Central Sanskrit University Bill, 2019*

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संस्कृत भाषा, साहित्य, प्राचीन संस्कृत पांडुलिपियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा कम्प्यूटर विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान में अंतर-विषयक के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना एवं नियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a Central Sanskrit University at Mahoba in the State of Uttar Pradesh to promote Sanskrit language, literature, research in old Sanskrit manuscripts and its use in different subjects like computer, science, mathematics and social sciences with inter-disciplinary approach and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

16. 00hrs

(xxv) The Mega Projects (Timely Completion) Bill, 2019*

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी बृहत् परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for timely completion of all mega projects and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

16. 0 ½ hrs**(xxvi) Population (Stabilization and Planning) Bill, 2019***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गर्भनिरोध के तरीकों तक स्वैच्छिक और सुरक्षित पहुंच मुहैया करवाकर, देश की जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु एक व्यापक नीति मुहैया करवाने, जनसंख्या योजना एजेंसी की स्थापना करने, छोटे परिवार मानदण्डों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का संवर्धन करने, परिवार नियोजन पर जागरूकता उत्पन्न करने और प्रत्येक बालिका को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा तक पहुंच मुहैया कराने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive policy towards stabilizing the population of the country by providing voluntary and safe access to methods of contraception, establishment of a Population Planning Agency, promotion of schemes that incentivizes the small family norm, creating awareness on family planning and providing access of education to empower every girl child and for all matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

16. 01 hrs**(xxvii) Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2019 ***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the rehabilitation and financial assistance to the victims of natural calamities and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019

16.01 ½ hrs**(xxviii) River (Conservation and Elimination Of Pollution) Bill, 2019***

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश की नदियों के संरक्षण और उनमें प्रदूषण को दूर करने तथा तत्संस्कृत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for conservation and elimination of pollution of rivers of the country and for matters connected therewith.”

The motion was adopted.

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

16 02hrs**(xxix)Official Government Meetings and Functions (Prohibition on
Serving Non-Vegetarian Food) Bill, 2019***

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA(WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit non-vegetarian food from being served at official meetings and functions of Government of India for the purpose of animal conservation and impact on climate change.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to prohibit non-vegetarian food from being served at official meetings and functions of Government of India for the purpose of animal conservation and impact on climate change.”

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

16.03 hrs

**(xxx) Emblems and Names (Prevention of Improper Use)
Amendment Bill, 2019*
(Amendment of the Schedule)**

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.”

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 21.06.2019.

16.04hrs

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Construction of canals through Ken-Betwa River Linking Project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand Region

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel to move his Private Member's Resolution regarding construction of canals through Ken-Betwa river linking project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand region, the time for discussion on the Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for the discussion on the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the House is agreeing. We can now take up the Private Member's Resolution.

Now, Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“यह सभा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं, जो आम तौर पर ‘अन्न प्रथा’ के नाम से जानी जाती है, और जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सरकार से क्षेत्र में जल संकट की समस्या और अन्न प्रथा की परम्परा को दूर करने के लिए बांधों और तालाबों के अंतर्संयोजना तथा पुनर्भरण करने के लिए प्रस्तावित केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना से नहरों का संजाल निर्मित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह करती है।”

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 17वीं लोक सभा के इस सत्र में, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे क्षेत्र की समस्या की आवाज़ उठाने के लिए, आज यह संकल्प, इस 17वीं लोक सभा का पहला संकल्प हमारे सदन में स्वीकृत हुआ है। सर्वप्रथम, मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि पिछले पांच वर्षों में देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, देश का जो गौरव बढ़ाने का काम किया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के दर्शन कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का जो काम किया, उसके परिणामस्वरूप पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ इस बार देश में सरकार बनी है। सन् 2019 के आम चुनावों में देश में जो सरकार बनी है, यह सरकार देशवासियों ने जितनी ताकत के साथ बनाई है, जितने भरोसे के साथ बनाई है, उससे उनके मन में बहुत उम्मीदें हैं। पूरा देश जानता है, इसको एक-एक व्यक्ति जानता है।

मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूँ और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बुंदेलखंड हमारे देश का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। वहां बहुत कमियां हैं, किसानों के लिए पानी नहीं है। वहां नौजवानों के पास अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं। मैं उनकी बात आज यहां सदन में रखने के पहले, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे दूसरी बार सदन में उन्होंने अपनी आवाज़ रखने के लिए यहां पर भेजा है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं की शुभकामनाएं हैं कि उनकी शुभकामनाओं के आधार पर आज पहला संकल्प मेरा यहां पर आया है, जिसके लिए मैं आज आपके समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यह सभा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और पशुओं के चारे

की अनुपलब्धता के कारण क्षेत्र के लोग अपनी गायों को खुले में चरने के लिए छोड़ने पर विवश हैं। जो आम तौर पर 'अन्न प्रथा' के नाम से जानी जाती हैं। जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। सरकार बहुत तेज़ी से उस दिशा में काम कर रही है। जब से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो भाग है, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, गौशालाओं के लिए बहुत व्यापक तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है, वह संकट यह है कि वहां पर पानी की कमी है। किसानों के पास चारे की उपलब्धता नहीं है। किसान खाद्यान्न नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उनके बच्चे पलायन को मजबूर हैं। हमारे यहां इन सभी कारणों को देखते हुए बड़ी भारी संख्या में वहां से पलायन हुआ है और लोग बाहर गए हैं।

केन-बेतवा नदी जोड़ने की बात है, लेकिन मैंने अपनी बात शुरू की है अन्न प्रथा से, छुट्टा गोवंश से। उसका कारण यह है कि बड़ी उम्मीद लगाए किसान बैठा रहता है कि बुंदेलखंड में कभी एक दिन पानी आएगा। लोगों के पास बहुत जमीनें हैं, पर्याप्त मात्रा में वहां पर बहुत उपजाऊ भूमि है। उस पर अगर पानी की उपलब्धता हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां पर इतनी अधिक पैदावार होगी। जैसे सदियों से वहां पर बड़ी ताकत के साथ किसानों ने काम किया और बहुत बड़ी भारी संख्या में वहां पर गाय हैं और दूध देने वाले पशु और मवेशी हैं, जिनको आधार बना कर वहां पर वर्षों से लोग इस पठारी क्षेत्र में भी बड़ी ताकत के साथ वहां पर काम करते रहे और किसान अपने पैरों पर खड़े रहे।

इस बात को मैं बड़े दर्द के साथ इस सदन में रख रहा हूँ कि आजादी के बहुत दिनों बाद तक वहां के जो प्रतिभाशाली लोग होते थे, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी प्रतिभा और मेधा के आधार पर वे वहां से बाहर जाते थे। देश के और दुनिया के कोने-कोने में जा कर काम करते थे। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं किसी भी महानगर में पहुंचता हूँ, खास तौर से अपना जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां पर हमारे यहां से बहुत से लोग, पढ़े-लिखे लोग तो आते ही हैं, बहुत से श्रमिक, मज़दूर, यहां पर आ कर 20-30 मंजिलों की बिल्डिंगों में ईंटों और बालू उठाने का काम करते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे क्षेत्र के लोग यहां पर केवल अपने भरण-पोषण के लिए आते हैं।

इन सभी समस्याओं का समाधान है कि बुंदेलखंड को पानी मिल जाए। अगर बुंदेलखंड को पूरा पानी मिल गया तो आप तय मानिए कि बुंदेलखंड में इतनी क्षमता है, इतनी उर्वरक क्षमता है कि

उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पहले परम्परागत ज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वजों ने, चंदेल राजाओं ने बुंदेलखंड में 8 हजार तालाबों का निर्माण करवाया था। पूरा देश जानता है कि 8 हजार तालाब, छोटे-मोटे तालाब ही नहीं, हजारों हेक्टेयर्स के तालाब को जिस प्रकार से बनाया, जैसा जल प्रबंधन हुआ, उस पर बाहर की यूनिवर्सिटीज के लोग आकर आज रिसर्च कर रहे हैं। जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ था। लेकिन पिछले 30-40 सालों में वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी वाटर बॉडीज नहीं बनी। जो सतही जल है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रयास नहीं किए गए या दिल से प्रयास नहीं किए गए। आज जो भी बांध या नहरें बनी हैं, उससे किसानों को पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और अनेकों प्रकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं।

आज से हजारों वर्ष पहले 8वीं, 9वीं और 11वीं शताब्दी तक पठारी क्षेत्र में ऐसे बड़े-बड़े तालाब बनाए गए, जो आज भी वहाँ पर हैं। उनको देखने के लिए लोग आते हैं। आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी ताकत के साथ, जितनी क्षमता के साथ उन तालाबों में पानी होता था, देश आज़ाद होने के बाद अभी तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह केन-बेतवा नदी जोड़ो जो योजना है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। इसके पहले भी नदी जोड़ने की बात हुई। अंग्रेजों के जमाने में, उन लोगों ने यातायात के साधन के लिए नदी जोड़ने का विचार रखा था कि हम यातायात के लिए नदियों को जोड़ेंगे तो हमें देश की धन-सम्पदा, यहाँ के पूरे मिनरल्स को बाहर ले जाने में सुविधा होगी। लेकिन जब देखा कि इसमें खर्च ज़्यादा आएगा तो उस खर्च को समझते हुए उन लोगों ने उसके बाद रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनाया और नदियों के जोड़ने के काम को रोक दिया क्योंकि इस पर लागत ज़्यादा है। उन्होंने रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाया, जो आज यातायात का बड़ा साधन है। आज हमारे देश की नदियों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे यहाँ जो केन नदी है, केन नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो बात होती है, देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो नदियों को जोड़ने वाला होगा। मैं अपनी सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, हमारी पूर्व में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने केन-बेतवा को बड़ी संजीदगी के साथ लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन था कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के पास जब तक सुविधा नहीं पहुँचे तब तक राजनीतिक का कोई

मतलब नहीं है। उसी श्रृंखला में वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने सोचा और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा पानी के संकट से जूझ रहे क्षेत्र को केन और बेतवा को देने की बात की। आज केन और बेतवा की जो बात हो रही है, केन नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी है और बारिश के समय में पहाड़ी नदी टाइप का उसका स्वरूप है, जब बारिश के समय में पानी आता है तो पूरा पानी फ्लड के साथ बहुत तेजी के साथ बहता हुआ यमुना में मिल जाता है। वह पानी उपयोग में नहीं आता है और पूरा पानी व्यर्थ चला जाता है। केन को बेतवा से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड को मध्य प्रदेश के छत्तरपुर, टीकमगढ़ और मेरे संसदीय क्षेत्र के महोबा जनपद के बगल से होते हुए वहाँ से निकलते हुए झांसी जनपद में जाती है और झांसी जनपद में जाकर के बेतवा में मिलती है। हमारे इंजीनियर्स ने और जितने हमारे पर्यावरणविदों ने उस पर अध्ययन करके यह जो बनाया है, वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ है इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेकों प्रकार की बातें हम लोगों के संज्ञान में हमेशा रहती हैं। पानी की उपलब्धता हो जाने के कारण से अगर प्रति व्यक्ति वहाँ पर जमीन का देखा जाए कि कितने लोगों के पास जमीन है तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ एक दो क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, जहाँ पर अनुपजाऊ क्षेत्र हो, जहाँ पर जमीनें लोगों के पास ज़्यादा हों, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में किसानों के पास उपजाऊ भूमि देश के औसत से ज़्यादा है। केवल पानी नहीं है, इस पानी के कारण से जो वहाँ पर अच्छी नस्ल की देशी गायें होती थीं, जो दूध के लिए, खेती करने के लिए जिन-जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, वह करते थे। जब अच्छा गोवंश वहाँ पर था तो उस गोवंश के आधार पर, उससे जैविक खेती भी लोग करते थे और अपने खर्चों में कटौती करके अच्छा उत्पादन करते थे। लेकिन पानी की अनुपलब्धता के कारण से, पानी की कमी के कारण से आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर उनके पास सब संसाधन हैं, लेकिन पानी न होने के कारण से वह हमारी जमीन पूरी खाली पड़ी हुई है। मैं वहाँ के तालाबों की फोटो अगर पूरे सदन के सामने रखूँ, मैंने पिछली 16वीं लोक सभा में बहुत माननीय सदस्यों को वहाँ के तालाबों की फोटो लाकर उसका पूरा बंच बनाकर दिया था। पिछली बार जब कभी भी मैं बुंदेलखंड की बात रखने के लिए खड़ा होता था, सभी लोग समर्थन करते थे और बुंदेलखंड के लिए हमको एसोसिएट करते थे। उसके कारण से बुंदेलखंड की आवाज़ बड़ी दूर तक गई।

पिछली सरकार में हमारे यहाँ पेयजल का संकट हुआ। जानवरों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। मनुष्य तो कहीं न कहीं संसाधन उपलब्ध कर लेता है या संवेदनशीलता के कारण कोई न कोई उसे पीने का पानी मुहैया करा देता है। जो मूक पशु, मवेशी है, गाय, बैल हैं या यहाँ तक कहें कि जो जंगली जानवर हैं, उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता है और वे पूरे दिशाहीन भटकते रहते हैं। गर्मी के दिनों में मैं ऐसा अपनी आँखों से देखता हूँ। हम लोग इंटीरियर के गाँव में दौरे पर जाते हैं, हमें कहीं पर कोई मरा हुआ जानवर दिखाई पड़ता है, जानकारी करने पर पता चलता है कि वह केवल पानी की कमी से मरा है। हमारे यहाँ पीने के पानी की दिक्कत थी। पिछली सरकार में हम लोगों ने बात की कि हमारे यहाँ कम से कम ट्रेन से पानी पहुँच जाए। कुछ जगहों पर गड्ढों में पानी भर दिया जाए। वहाँ पर टैंकरों से पानी दिया जाए। मवेशी को पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी का और उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने पूरी रूचि लेकर हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड में पानी की ट्रेन भेजी। मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। पानी की ट्रेन से समाधान नहीं हो सकता, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन संवेदनशीलता यह है कि अगर वहाँ पर तत्काल कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, तो जैसे भी होगा, वहाँ का प्रशासन, पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वह उसे संजीदगी से नहीं ले रही थी। वे हमारे यहाँ क्षेत्र में खनन करने में, अवैध कारोबार करने में तो संलिप्त थे, लेकिन ऐसे संवेदनशीलता के काम करने में उन्हें रूचि नहीं थी। हमने यहाँ पर आकर गुहार लगाई, यहाँ आकर हमने अपना कष्ट, दर्द बताया, तो मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिस पार्टी की सरकार ने मेरे जैसे एक सदस्य की बात को सुनकर इतना बड़ा निर्णय लिया और बुन्देलखण्ड को सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम किया।

महोदया, मुझे एक बात बताते हुए और हर्ष हो रहा है। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि वर्ष 2024 तक देश के एक-एक गाँव में एक-एक घर में हम पेयजल पहुँचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देशवासियों को इस पर भरोसा है और हमारे बुन्देलखण्ड के एक-एक व्यक्ति को भरोसा है कि अगर आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बोला है कि पीने का पानी पहुँचेगा, तो वह निश्चित रूप से पहुँचेगा। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, गैस चूल्हा नहीं था, इस प्रकार की जो बातें

सरकार ने कहीं थीं, वे वहाँ तक पहुँचीं। घर-घर बिजली पहुँच गई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर-घर तक गैस पहुँच गई। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड का एक-एक व्यक्ति बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि निश्चित रूप से इस सरकार के पास क्षमता है, मोदी जी के पास एक विजन है और पानी पहुँचेगा।

अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमारे यहाँ गए थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यह संकल्प किया, उन्होंने कहा कि हम बुन्देलखण्ड में वर्ष 2022 तक समस्त गाँवों के एक-एक घर में पानी पहुँचा देंगे। उसका सर्वे हो गया है और तेजी से काम हो रहा है। सर्वे होने के बाद बहुत तेजी के साथ काम शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर पानी पहुँचेगा। यह पानी उपलब्ध कहाँ से होगा? सरकार उसका प्रबंधन कर रही है। प्रदेश में बुन्देलखण्ड बहुत बड़ा भू-भाग है। बुन्देलखण्ड का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। प्रायः यदि देखा जाए तो एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है और आने-जाने में बहुत समय लगता है। वहाँ की कुछ ऐसी टोपोग्राफी है, उसे उबड़-खाबड़ क्षेत्र कह लें, पठारी क्षेत्र कह लें या जंगली क्षेत्र कह लें कि एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में कई नाले पार करने पड़ते हैं, जो केवल बरसात तक के लिए सीमित रह गए हैं। मैं यह बात अच्छी तरह से मानता हूँ कि अगर जल प्रबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा तो हमारे यहाँ इस काम के पूरा होने को बहुत ताकत मिलेगी। हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान् गजेन्द्र सिंह शेखावत जी यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों को इस बात की बहुत उम्मीद है, वे बहुत ही ऊर्जावान और बहुत संजीदगी से चीजों को लेने वाले हैं। प्रधान मंत्री जी ने जल संसाधन मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय रखा है। किसी भी वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, उसमें गुण हमेशा रहता है, लेकिन जब शक्ति होती है तो गुण उभरकर आ जाता है। जब उसमें शक्ति शब्द जुड़ जाता है तो उसका गुण उभरकर आ जाता है और जिस भाव को लेकर काम किया जाता है, वह पूरा होता है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने इसका नाम जल शक्ति मंत्रालय किया है। उस क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए यह बहुत बड़े विजन के साथ काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि मेरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए जल शक्ति मंत्रालय वरदान साबित होगा और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ही हमारे यहाँ की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुझे

पूरी उम्मीद है कि हमारी इस बार की जो सरकार है, हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देशन में, उनके विजन के साथ काम करके हमारे बुन्देलखण्ड में देश का यह पहला केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे। वे इस काम को बहुत तेजी से शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। वे इसमें लगे हुए हैं। इस पर काफी प्रयास चल रहा है। पूर्व में आदरणीय उमा भारती जी बुन्देलखण्ड से आती थीं, जब वे मंत्री थीं तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया और बड़ी ताकत के साथ वे भी लगी रहीं। जगह-जगह जाकर, जहाँ डैम बनना है, जहाँ-जहाँ से उसे निकलना है, हम सभी लोग वहाँ पर पैदल जाकर, गाड़ियों से जाकर और हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके एक-एक बिन्दु पर बड़ी गहनता के साथ अध्ययन हुआ।

वहाँ जो बाधाएं थीं, उन बाधाओं को दूर करने का काम किया। कुछ थोड़ी-बहुत कमी होगी। अगर यह समय पर पूरा हो जाएगा तो अच्छा होगा। हमारे बुन्देलखण्ड का एक-एक व्यक्ति ऊर्जावान व्यक्ति है। हमारे बुन्देलखण्ड की अनेक परम्पराएं, हमारी संस्कृति हैं। हमारे यहाँ विश्व की एक बहुत बड़ी धरोहर खजुराहो है, जो एक सांस्कृतिक विरासत है। हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मन्दिर हैं। वहाँ पर हजारों सालों से लोगों का आना-जाना है और आज वहाँ दुनिया के हर देश के लोग आते हैं। लेकिन, जब वे वहाँ से निकलते हैं, तब वे उस सूखे क्षेत्र को देखते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ के दूध देने वाले जानवर, जो वहाँ के लोगों को कुपोषण से बचा सकते हैं, उनके लिए पीने का पानी नहीं है। जब पानी नहीं मिलेगा तो दूध कैसे उपलब्ध होगा? वहाँ के बारे में लोगों ने आर्टिकिल लिखे। जब बाहर से लोग वहाँ आए और फिर बाहर जाकर जब उन्होंने इसके बारे में आर्टिकिल लिखे तो हमारी नौजवान पीढ़ी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत एक्टिव रहती है, उन लोगों ने हमें वह उपलब्ध कराया कि सांसद जी, हमें यह मिला है, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।

हम लोग जब इसे देखते हैं तो हमें इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि अगर पहले की सरकारों ने इसके बारे में सोचा होता और इसे बड़ी संजीदगी से लिया होता तो निश्चित रूप से यह बात समय के पहले पूरी होती। हमारे बुन्देलखण्ड को हमेशा पिछड़ा माना गया। उसके आधार पर उसे 'बुन्देलखण्ड विशेष' पैकेज भी दिया जाता था। मैंने यहाँ पर सरकार से कई बार मांग की कि जैसे 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' है, माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य उससे पूरे देश को सिंचित करने

का है, लेकिन सबसे पहला लक्ष्य जो लिया जाए, उसमें हमारे बुंदेलखण्ड को सबसे पहले संतुष्ट किया जाए। हमारे बुंदेलखण्ड के एक-एक गांव में पानी पहुंच जाए, उसके बाद देश के अन्य भागों में जो काम चले, वह भले ही धीमी गति से चले। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2024 के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक कर लिया और तीन सालों में उन्होंने बुंदेलखण्ड को पीने का पानी देने का काम किया है।

मैं अपने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारे बुंदेलखण्ड के लिए वर्ष 2024 से पहले, वर्ष 2022 तक करने का संकल्प ले लेंगे तो अच्छा होगा। हमारा वह सूखा क्षेत्र, वहां से पलायन करने वाला क्षेत्र, वहां की परिश्रमी जनता और वहां के बड़े सज्जन लोग, जो अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, आप वहां का दर्द समझ सकते हैं।

माननीय मंत्री जी राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। आप उनसे रूबरू हैं। इसलिए उन समस्याओं को आप अच्छी तरह से समझते हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए 222 किलोमीटर की यह जो कैनाल बन रही है, इसमें वहां से एक दौधन डैम बन रहा है। उस डैम के बनने के बाद जब यह कैनाल निकलेगी, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जब वह कैनाल वहां से निकले तो मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल में दस किलोमीटर दूर पर 25 हजार करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वह मात्र दस किलोमीटर दूर से जा रहा है। वहां पर एक उर्मिल डैम है, मजगोवां डैम है। वहां के लोगों से हमने बात की, उनसे काफी सम्पर्क किया, उसके लिए काफी प्रयासरत रहे, मुझे उम्मीद है कि उस उर्मिल डैम को भी पानी देने का काम निश्चित रूप से आपके माध्यम से होगा, तो जो हमारे बगल से 25 हजार करोड़ रुपये की योजना निकल रही है, उससे हमारे क्षेत्र को आगे काफी पानी मिलना है। वहां उर्मिल डैम, मजगोवां डैम और बेलाताल हैं। इनमें एक डैम है और दो बृहत् तालाब हैं। अगर इन्हें पानी उपलब्ध होगा तो वहां के बहुत बड़े भू-भाग पर जो पेयजल संकट है, वह समाप्त होगा। वहां की कई नगरपालिकाओं को पीने का पानी उस उर्मिल डैम से जाता है। वर्तमान में वहां यह स्थिति है कि वहां पर पानी समाप्त हो गया है। वहां पीने का पानी नहीं है। वहां किसानों के लिए डैम बना था, लेकिन वहां से उसके पानी को मजबूरी में पेयजल के रूप में देना पड़ा। पेयजल के रूप में देने के कारण अब

किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। हमें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है।

केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, वह हमारे लिए एकमात्र आशा की किरण है। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन कर यह यहां से निकला और केन से, दौधन डैम से कैनाल आकर झाँसी में, ओरछा में, बरूआ सागर में जाकर मिला और अगर उसका पानी अगर रास्ते के डैम्स को नहीं मिला तो हमारे पास फिर उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है।

महोदया, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है। सदन के सभी सम्मानित सदस्य यहां बैठे हैं। बहुत अनुभवी लोग यहां बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि हमारी जो कठिनाई है, इसके बारे में पूरा सदन जानता है, पूरा देश जानता है, वहां की एक-एक ग्रामीण जनता जानती है। जब विदेशी लोग भी इस बात को जान चुके हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग तो इस समस्या से दिन-प्रतिदिन रूबरू होते हैं, इसके बन जाने से उन्हें इन समस्याओं का सामना करने में सुविधा होगी।

महोदया, मैं एक आँकड़ा और देना चाहता हूँ। हमारे यहां बुंदेलखण्ड, उत्तर प्रदेश में सात जनपद आते हैं। उसमें मेरा संसदीय क्षेत्र है, जिसमें हमीरपुर जनपद, महोबा जनपद और बाँदा का कुछ भाग है।

इन तीनों जनपदों को मिलाकर आज की डेट में कुल सात लाख गौवंश को किसानों ने अपने घर से छोड़ दिया है। वे मज़बूर हो गए हैं कि कहीं भी जाकर अपना भोजन करें। किसानों के पास खाने के लिए नहीं हैं और वे पलायन कर गए हैं। उनके बुजुर्ग माता-पिता वहां पर हैं। जो नौजवान लोग कुछ काम कर सकते हैं, वे पलायन करके बड़ी-बड़ी जगहों पर चले गए हैं। गांवों में उन जानवरों की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। उनको पानी पिलाने के लिए कई जगहों पर दिक्कत है। जब ये जानवर बाहर घूमते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। हिंसक जानवरों के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको अनेक प्रकार की दिक्कतें होती हैं। जब किसान अपने खेत में दिनभर काम करके रात में घर आता है ताकि वह आराम कर सकें, उसने खेत में दिनभर अपना पसीना बहाया है, लेकिन जब वह रात में अपने घर में आता है तो उसको यह चिंता सताती है कि हमारी जो थोड़ी-बहुत फसल है, जिसके लिए हम एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर पाइप से पानी लेकर आए हैं, उस पानी से फसल को सींच कर

किसी प्रकार से खाने के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। अगर आलस्य से रात में घर में सो गए, सुबह अपने खेत में जाएंगे तो हजारों गाय आकर खेत को खत्म कर देगी और बाद में हमारे बच्चों भी भूखे मर जाएंगे। हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस दर्द को समझते हुए किसान 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। किसी भी सरकारी नौकरी में तथा कहीं भी आदमी को आराम करने का समय है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड के एक भी किसान को आराम करने का समय नहीं है।

अगर किसी के घर में केवल पति-पत्नी हैं, केवल माँ-बेटे हैं, केवल पिता-पुत्र हैं तो एक व्यक्ति घर में रहता है, उसके बाद वह खाना लेकर वहां जाता है और फिर लौटकर आता है। उसके बाद भी अगर कहीं पर दो मिनट की चूक हो गई, वह सो गया, उसको नींद लग गई तो सुबह देखता है कि उसकी खेत साफ हो गए हैं। उसके बाद वह मजबूर होकर, भले ही इसको दुनिया कायरता कहती है और कायरता है भी, अगर कोई आत्महत्या करता है तो उससे बड़ा कायर कोई नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रात-दिन पसीने बहाकर अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, ईमानदारी की कमाई अपने बच्चों के पेट में डालना चाहता है, जब उसका खेत खत्म हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं किसी से भीख नहीं माँग सकता, मैं क्या करूँगा। वह विवश होकर फाँसी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं जिस योजना के लिए बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला कि हमारे क्षेत्र की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान केन-बेतवा प्रोजेक्ट और पानी की उपलब्धता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी(बहरामपुर): चन्देल जी, क्या आपके यहां गोकुल मिशन नहीं है?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: हमारे यहां गोकुल मिशन है। चौधरी साहब, आपने अच्छी बात कही और आप अनुभवी नेता भी हैं। गोकुल मिशन है और इसके आधार पर कई गौशालाएं बन रही हैं। हमारे पास आँकड़े हैं, जो पूरी तरह से रिकॉर्डेड हैं। अब इन आँकड़ों के आधार पर हमारे क्षेत्र में 24 लाख गायें हैं। इन 24 लाख गायों के लिए गौशाला बन रही है। समाज के लोग भी बना रहे हैं, संत-महात्मा लोग भी बना रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आयी है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। हर ग्राम पंचायत को बजट दिया गया है कि आप इस काम को पूरा करें। आज जितने भी काम हो रहे हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन चारे की उपलब्धता नहीं है। पंजाब में भूसे को जला दिया जाता है, पैडी जला दी जाती है, वहां पर यह समस्या है। अगर पंजाब से हमें कोई फ्री में भी पैडी देगा तो हमारे

यहां का किसान उस पैडी को ले जाने के लिए 50 हजार रुपये का भाड़ा नहीं दे सकता है। यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हर क्षेत्र की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। अपने देश में पहाड़ी क्षेत्र की अलग समस्या है, कोस्टल एरिया की अलग समस्या है और हमारे यहां की अलग समस्या है। हमारे यहां गोकुल मिशन के माध्यम से बहुत तेजी से काम हो रहा है, बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहा है और उसका समाधान भी धीरे-धीरे निकल रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हमारे यहां जितनी जल्दी पानी उपलब्ध हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी।

जब जानवरों के लिए चारा होगा, क्योंकि आगे आने वाली समस्या यह है कि हम 25 लाख गायों के लिए शेल्टर बना लेंगे, उनके लिए पानी का इंतजाम कर लेंगे, उनके लिए भोजन का इंतजाम कर लेंगे। जब सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास चारा तथा पानी उपलब्ध नहीं होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कहां से लेकर आएं? उसके बाद अगर किसी प्रकार की बातें होंगी तो मैं समझता हूं कि लोग विवश होंगे और उसमें दिक्कतें महसूस होंगी। जितनी जल्दी जल की उपलब्धता होगी उतनी जल्दी हमारे गौवंश की समस्या का समाधान होगा।

अनेकों प्रकार की बातें हैं, लेकिन मुझे तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी है। अभी हमारे कई विद्वान सदस्य इस संकल्प पर बोलने वाले हैं। जब वे बोलेंगे तो पूरे देश की बातें आएंगी। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए हमारे बुंदेलखंड की इस विकराल समस्या के लिए, मैं आपसे समर्थन नहीं मांगता हूं। हमारी एक बहन बंगाल से आई हैं, अभी वह बोल रही थी। मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जब कभी भी बुंदेलखंड की बात आए, मैं आप सभी से समर्थन चाहता हूं। आप किसी भी पार्टी से हो, एक्रॉस दी पार्टी लाइन जाकर आप सब लोग वहां पानी के प्रबंध के लिए तथा किसानों की खुशहाली के लिए मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूं।

मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी यहां सदन में चुनकर आते हैं, निश्चित रूप से सेवा करने वाले लोग हैं, वहां पर संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप लोग इन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उनका मैनेजमेंट करने की बात है। परम्परागत ज्ञान के कारण से वहां हजारों वर्ष पहले कुछ चीजें बन गईं, जो आज भी वहां पर उपलब्ध हैं। उनके आधार पर वहां लोग जीवित हैं। लेकिन देश के आजाद होने के बाद आज तक जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। हमारे यहां बहुत नदियां हैं, लेकिन तेजी से निकल जाती हैं।

एक समस्या वहां पर और है, लेकिन अब उसमें कमी आई है। पहले की जो हमारे यहां प्रदेश की सरकारें रहीं, मैं आरोप लगाने का आदी नहीं हूं, लेकिन तब हमारे यहां बसपा और सपा की सरकार के समय माइनिंग के माफिया एक्टिव थे। उन माइनिंग माफियाओं ने मिलकर नदियों का स्वरूप बदल दिया। नदियों को पोखरों में तब्दील कर दिया और वहां से रेत निकाल कर अपने खजाने भरने में लगे रहे और वहां की समस्याओं को उन्होंने ठीक प्रकार से दूर करने का काम नहीं किया।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): इससे कोई मतलब नहीं है। ... (व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : पाण्डेय जी, इससे हमें मतलब है। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : पाण्डेय जी, आप भी अपना नाम दे सकते हैं। जब यह विषय चल रहा है, तो आप भी इस पर बोल सकते हैं। अभी उनको अपनी बात कहने दीजिए। यह अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। वे अपना विषय कह रहे हैं। इस देश में खनन माफिया चल रहा है। बहुत राज्यों की यह खबर है।

श्री रितेश पाण्डेय : क्या यह उचित है कि सपा या बसपा को बोला जाएगा?

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : हां पाण्डेय जी, बिल्कुल बोला जाएगा। सपा, बसपा ने लूटा है उत्तर प्रदेश को और बीसों साल तक लूटने का काम किया है। हम खनन माफियाओं से लड़कर यहां आए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भी अपना नाम दे दीजिए। पाण्डेय जी, अभी इंटरवेंशन का समय नहीं है।

श्री रितेश पाण्डेय : यहां से लांछन लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, यह नदियों से जुड़ा हुआ विषय है और हम नदी की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति: आप फोकस नदी पर रखिए। खन्नन माफिया है, सभी जानते हैं। कोई अचम्भे वाली बात नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा। अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, अगर उनको तकलीफ हो रही है, तो मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: रितेश जी, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, बसपा और सपा की सरकार ने वहां पर कितना भ्रष्टाचार और गुण्डाराज किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: पाण्डेय जी, प्लीज बैठिए। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, वहां पर नदियों का स्वरूप बदल दिया। आज भी सीबीआई की इंकवायरी चल रही है। वहां के कई ब्यूरोक्रेट्स, अनेक पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं।

...(व्यवधान) अनेकों प्रकार की दिक्कतें हैं। ...(व्यवधान) आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

...(व्यवधान) आपकी माइन चल रही है क्या वहां पर? ...(व्यवधान) आपकी माइन चल रही है क्या?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस करिए। उधर देखकर बात मत करिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: महोदया, मेरा सभी माइनिंग माफियाओं से विरोध रहता है। मैंने सदन में पहले भी इस बात को रखा है कि इन-इन नदियों की रेत को निकालने को लेकर हम लोगों के ऊपर हमले किए। हमें डराने का काम किया गया, खरीदने का काम किया गया। हम डरे नहीं, बिके नहीं,

इसीलिए हमीरपुर की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। हम माफियाओं और भ्रष्टाचारी सरकारों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं।

महोदया, यह जो केन-बेतवा का इश्यू है, मैं उस पर अपनी बात कह रहा था और उनसे मदद की उम्मीद कर रहा था। मुझे विश्वास है कि आगे वे मदद करेंगे। इस बात को समझेंगे और निश्चित ही मदद करेंगे। ... (व्यवधान) मैं एक बात और आपके सामने रखकर अपनी बात को पूरी करने का प्रयास करूंगा। ... (व्यवधान) पाण्डेय जी, आपकी मदद की आवश्यकता भी नहीं है। आप ज्यादा मदद मत करिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि देश का विषय है। उनको अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस पर बोलना चाहता था। सौभाग्य से मेरे क्षेत्र की समस्या का विषय रखने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अपने जिस दर्द को मैंने बताया है, मैं उसी पर केन्द्रित रहूंगा, इधर-उधर जाने का प्रयास नहीं करूंगा।

केन-बेतवा नदी गठजोड़ का जो यह मैटर है, इसको मैंने अन्ना प्रथा से जोड़ने के लिए, वहां के पलायन से जोड़ने के लिए, वहां के रोजगार के लिए और माननीय प्रधान मंत्री जी की संकल्पना कि किसानों की आय 2022 तक दो गुनी करनी है। इन सब चीजों को अगर हम कोरिलेट करेंगे, तो हमारे यहां सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी उसके लिए संकल्पित हैं। 2017 में हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था। वे हमारे संसदीय क्षेत्र में आए थे।

उस समय इसका श्रीगणेश होने वाला था, लेकिन कुछ पर्यावरण की एनओसी में थोड़ा समय लग गया, उस कारण वह प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। मैं बुंदेलखंड की जनता का सौभाग्य मानता हूँ कि पुनः देश में संवेदनशील सरकार बनी है, एक विजनरी सरकार बनी है। हमारे प्रधान मंत्री जी और जलशक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी यहां बैठे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र की गंभीर समस्या को समझते हुए उस पर निश्चित रूप से कोई ठोस कदम उठेगा, जिससे हमारे

यहां की समस्या का समाधान होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे यहां यमुना नदी एक कोने से बहती है, बेतवा भी बहती है, वहां बहुत चौड़ाई के साथ नदी बहती है।

हमने पहले भी सदन में मांग की है, चिकासी, हमीरपुर और चिल्ला में, बेना जौहरपुर में, भूमि अधिग्रहण की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर्याप्त मात्रा में जगह है, अगर वहां बैराज बना दिए जाते हैं, सरकार की इच्छा है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, अगर हम उस नारे के साथ चले, वहां तालाब भी बड़ी तेजी के साथ खोदे जा रहे हैं, सरकार दोनों हाथों से बजट उपलब्ध करा रही है। हमारे बुंदेलखंड के लिए तालाब और कुएं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था बन रही है। बेतवा और यमुना नदी में अनेकों ऐसी जगह हैं, हमारे राठ और मौदाह में, हमीरपुर, चरखारी, महोबा और तिनवारी में सभी जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जहां बिना भूमि अधिग्रहण किए बैराज बनाकर हमारे पूरे क्षेत्र को संतृप्त किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र उससे संतृप्त हो सकता है, बाहर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है। आगे हमारे यहां केन नदी यमुना में मिल जाती है, जब यमुना में मिलती है, मेरे संसदीय क्षेत्र में बेतवा यमुना में मिलती है। हमारे यहां से आगे गंगा-यमुना का संगम होता है, फिर हमारा पानी नीचे समुद्र की ओर चला जाता है। जिस पानी को हम रोकने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारे बुंदेलखंड में कोई दूसरा संसाधन नहीं है। नीचे ग्रेनाइट की पूरी सीट है, जब लोग वहां ट्यूबवेल का बोर करवाना चाहते हैं, अपनी जमीन बेचकर लोग वहां पर बोर कराते हैं और मशीन लाते हैं, अपने पैसे से लगाते हैं और सरकार सब्सिडी देती है, तीन-चार सौ फीट तक डस्ट निकलती रहती है। उसका खेत भी बिक जाता है और पानी का इंतजाम भी नहीं होता है। दूसरा अगर कोई ट्यूबवेल बोर कराना चाहता है, उसके दर्द को देखकर, उसकी तकलीफ को देखकर उसके घर में मंथन होने लगता है, एक भाई बोलता है कि खेत न बेचा जाए कहीं पानी न निकले तो क्या होगा, और दूसरा भाई बोलता है कि अगर नहीं बेचा तो हम पानी नहीं लाएंगे और गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा, ऐसी अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। लाखों रुपये खर्च कर, अपने माता-पिता और पत्नी का जेवर बेचकर और अपनी जमीन बेचकर, घर गिरवी रख कर पानी का इंतजाम करते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा-बहुत इंतजाम कर भी लिया है, एक-दो किलोमीटर दूर से पानी लाने का काम करते हैं। आज गावों और

मवेशियों के लिए चारा नहीं बचा है। उसके कारण वे दिन भर खेत में परिश्रम करते हैं और रात में भी आकर काम करना पड़ता है, वह राउंड दी क्लॉक खेत में ड्यूटी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वैसे ही बुंदेलखंड का किसान अपने खेत में डटा हुआ है, उससे कम स्थिति नहीं है। वहां जब हजारों की संख्या में जानवरों और गायों का झुंड आता है, उसके बाद वे वहां तार लगाएं या फेंसिंग लगाएं या कुछ भी इंतजाम करें, वह उजाड़ता हुआ चला जाता है। बहुत लोग घायल भी होते हैं और अनेकों प्रकार की दिक्कतें होती हैं। मेरे पास पूरा डिटेल था, कई और वक्ता भी हैं, जो इस विषय को रखेंगे। हम लोग बहुत अल्पज्ञानी लोग हैं, यहां बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, हमारा दर्द समझ कर, हमारी पीड़ा में शामिल होकर बुंदेलखंड के समर्थन में खड़े होंगे, यही एक जनप्रतिनिधि का काम है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और बुंदेलखंड की जनता की आवाज को हम केवल यहां रख सकते हैं। अपने अग्रजों के सहयोग से और संवेदनशील सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से काम पूरा हो सकता है। यह काम निश्चित पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार और बुंदेलखंड वासियों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि आपने सत्रहवीं लोक सभा में स्पष्ट और जबर्दस्त बहुमत की सरकार जिस आशा और उम्मीद के साथ बनाई है। मुझे और मेरे क्षेत्र को भरोसा है कि उस आशा और उम्मीद की किरण बहुत जल्द पूरी होगी।

बुंदेलखण्ड से पलायन नहीं होगा। बुजुर्ग माता-पिता वहां अकेले हैं क्योंकि उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराने वाला कोई नहीं होता है। उनको इस तरह के दिन न देखने पड़ें, उनके बच्चे बाहर न जाकर यहां काम करें। अगर कोई इस क्षेत्र से बाहर जाए तो पढ़-लिखकर, अच्छी जॉब, अच्छी सर्विस और अच्छे व्यवसाय के लिए जाए न कि मजदूरी करने के लिए, दर-दर भटकने के लिए, किसी झुग्गी में रहने के लिए गांव से बाहर जाए।

यहां बहुत बड़े जमींदार, जिनके पास किसी जमाने में हाथी और घोड़े होते थे, जो गांव में चांदी के सिक्के लुटाते थे, आज उनके घरों के बच्चों की स्थिति यह है कि वे 5,000-10,000 की नौकरी गांव में नहीं करना चाहते हैं। बड़े लोगों के बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी नहीं करना चाहते, 20,000 रुपए की नौकरी नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि तब तो हम जनता की मदद करते थे, अब किस मुंह

से यह काम करें इसलिए वे अपने क्षेत्र से दूर गुमनामी में जाकर 5,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। मैं उनके दर्द को यहां बयान करने आया हूं।

मैं समझता हूं कि उनके दर्द को समझते हुए हमारी सरकार निश्चित रूप से केन-बेतवा लिंगिंग प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा पानी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है, महोबा जनपद को उपलब्ध कराएगी, इससे हमारे क्षेत्र की अनेक समस्याओं का समाधान होगा।

माननीय सभापति जी, मैं सौभाग्य मानता हूं कि आज आप यहां इस सीट पर विराजमान हैं। भले ही आप दिल्ली से सांसद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में जितने भी सांसद हैं, उनके घरों के आसपास हमारी बोली और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमें रोज चार-छः लोग मिल जाते हैं। आप उनके दर्द और तकलीफ को समझती होंगी, क्योंकि निश्चित रूप से आपके संपर्क में हजारों लोग आते होंगे।

माननीय सभापति जी, आपने पूरा संरक्षण दिया, मुझे एक सदस्य होने के नाते अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां अपनी आवाज रखने के लिए भेजा है। आपने मुझे उस आवाज को यहां रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, संयोग से प्राइवेट मैम्बर बिल के मास्टर लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता अधीर दा यहां बैठे हुए हैं इसलिए बात करने में थोड़ी ज्यादा सुविधा है।

बशीर बद्र साहब की एक बहुत अच्छी शायरी है –

अगर फुर्सत मिले, पानी की तहरीरों को पढ़ लेना
हर एक दरिया हमारे सालों का अफसाना लिखता है।

पूरी दुनिया की सभ्यता नदी घाटी सभ्यता है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो। इसके अलावा जितने भी बड़े शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहीं बसे जहां पानी था। आज भी वही देश आगे बढ़ रहा है, वही राज्य आगे बढ़ रहा है, जहां पानी है। चाहे हम अपने देश में गुजरात की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, केरल की बात कर लें। एक जमाना था जब बंगाल बहुत आगे था, क्योंकि वहां कलकत्ता पोर्ट था। कलकत्ता पोर्ट से जो व्यापार होता था, जो माहौल था, उसके कारण उस समय ईस्टर्न इंडिया काफी अमीर हुआ करता था। हमने और आपने धीरे-धीरे ईस्टर्न इंडिया के गौरव को खत्म होते देखा है। राजमहल में औद्योगिक क्रांति के पहले आईस्क्रीम की फैक्ट्री वर्ष 1760 में हुआ करती थी और आज आप राजमहल को पहचान नहीं सकते हैं। कलकत्ता के सारे मिल उजड़ गए और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि पानी की समस्या के बारे में हमने बहुत ही कम सोचा।

आजादी के बाद यदि किसी एक विषय पर हमने कम सोचा।

16.45 hrs

(Shri Rajendra Agrawal in the chair)

राजेन्द्र अग्रवाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं सभापति के पैनल में आने के लिए, यहां बैठने के लिए। एक बड़ी अच्छी बात आई कि हमारे मित्र भाई पुष्पेन्द्र सिंह जी ने एक ऐसे इलाके के दर्द को यहां उठाने का प्रयास किया और ऐसा बढ़िया संयोग हुआ कि सत्रहवीं लोक सभा में उनको पहला ही मौका इस तरह का मिल गया। केन-बेतवा क्या है? हम पहले उस पर ही जाते हैं, बुन्देलखण्ड पर जाते हैं, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई समस्या हमारे संथाल परगना की है। गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब मंत्री है, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ। बुन्देलखण्ड की समस्या और संथाल परगना जहां से मैं आता हूँ, उसकी समस्या में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मेरे यहां जो एक शहर देवघर है, जहां के 5 करोड़ लोग पूजा

करने के लिए जाते हैं, जो शक्ति-भक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है, वहां 1200-1200, 1500-1500 फीट पर बोरवेल फेल है। पीने का पानी नहीं है और जब आदमी को पीने का पानी नहीं है, जानवर को पीने का पानी नहीं है, खेतों में पीने को पानी नहीं है। किस तरह से इस देश को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ कि कांग्रेस की नीतियां क्या रहीं और वाटर की क्या जरूरत है? हिन्दुस्तान में एक अनुमान है कि 2050 तक 164 करोड़ लोग हो जाएंगे। एक अनुमान है, हमारे पास दुनिया की 2.4 परसेंट लैंड है। हमारे पास 4 परसेंट पानी है और यदि उसको पूरी दुनिया के परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग-लगभग 17 परसेंट जो पोपुलेशन है, 2.4 परसेंट लैंड है और पूरी दुनिया का 4 परसेंट पानी है। उसमें केवल 2.3 परसेंट फ्रेश वाटर है, जो पीने के काम आएगा, जो खेती के काम आएगा, जो जानवरों को पीने-पिलाने के काम आएगा। 97 परसेंट से ज्यादा, आप समझिए 97.7 परसेंट खारा पानी है, समुद्र का पानी है। केवल तीन महीने बारिश होती है। 90 दिन की बारिश में हमको पूरा मैनेजमेंट करना है, 12 महीने का। लेकिन कोई चिंतित नहीं है। यदि आप उसको परसेंटेज के तौर पर देखेंगे तो ढाई हजार लीटर पानी की आवश्यकता है, यह एक शर्ट बनाने के लिए। यदि मैंने एक कॉटन का शर्ट पहना हुआ है तो उसके लिए हमको ढाई हजार लीटर पानी चाहिए। यदि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड यदि चाहिए तो उसके लिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता है। 2400 लीटर पानी चाहिए यदि मुझे 100 ग्राम का चॉकलेट, आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग तो पहले लेमनचूस खा कर ही अपनी जिंदगी बिता लेते थे, लेकिन आज के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। यदि 100 ग्राम चॉकलेट खाएंगे तो उनको 2400 लीटर के लिए पानी चाहिए। ये पेपर, जो हम एक पेपर यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक हजार लीटर पानी चाहिए एक किलो दूध के लिए। 3000 लीटर पानी चाहिए एक किलो चावल के लिए और 140 लीटर पानी चाहिए जो यहां कॉफी पीते हैं हम लोग सेन्ट्रल हॉल में। कहां से आएगा? केन-बेतवा की कहानी सुनी है। बड़ा अच्छा हुआ कि एक टास्क फोर्स बनी, सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, और उस टास्क फोर्स में सुरेश प्रभु जी मैम्बर थे और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2002 को एक जजमेंट दिया। उसमें कहा कि- in the said petition, the hon. Supreme Court on 31st October, 2002 had observed:

“We do expect that the programme when drawn up would try and ensure that the link projects are completed within a reasonable time of not more than ten years. We say so because recently the National Highways projects have been undertaken and the same is nearing completion and the inter-linking of rivers is complementary to the said projects and the waterways which are so constructed will be of immense benefit to the country as a whole.”

हमारे प्रधान मंत्री जी और मंत्री गडकरी जी लगातार कहते हैं कि हाइवेज, वाटरवेज, रोडवेज, सभी चलेंगे, तभी इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। 2002 में एक जजमेंट आया और उसके आधार पर तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी कांस्टीट्यूट की। उसमें सुरेश प्रभु जी मेंबर थे, दीपक दास गुप्ता, जो एनएचएआई के रिटायर्ड चेयरमैन थे, वह एक मेंबर थे। के.वी. कामत साहब, जो उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक में थे, एक मेंबर थे, क्योंकि पैसे का भी एक सवाल था कि इतने पैसे कहां से आएंगे। आर.के. पचौरी उसके मेंबर थे। आज के हमारे वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी भी उसके मेंबर थे। कस्तूरीरंगन और जी.सी. साहू भी उसके मेंबर्स थे। इन लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया। एक्शन प्लान के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उस टास्क फोर्स ने 2003 में एक सबसे बड़ी रिकमेंडेशन दी थी :

“The Task Force stated that the peninsular links are the right component to begin with. Top priority links identified by the Task Force on inter-linking of rivers are as under:

1. Ken-Betwa
2. Parvati-Kalisindh-Chambal.”

यह एम.पी. और राजस्थान की नदियों को जोड़ने के लिए थी। यह 2003 की रिकमेंडेशन थी। 2004 में हमारी सरकार चली गई और उसके बाद 2014 तक, दस साल तक कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं रहा। मैं कागज की बात कह रहा हूँ। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी यहां बहुत अच्छा काम करती है। उसकी रिकमेंडेशन्स को हम लोग पढ़ते हैं या नहीं, अधिकारीगण पढ़ते हैं या नहीं, लेकिन

एक कागज बन जाता है। रायपति सम्बासिवा राव उस वक्त कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे और वाटर रिसोर्सेज संबंधी स्टैंडिंग कमेटी के वह चेयरमैन थे। संयोग से जब मैं आज पुष्पेन्द्र जी के इस विषय पर भाषण देने के लिए निकल रहा था, चूंकि मुझे कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने की बड़ी गन्दी आदत है, मुझे लगा कि कांग्रेस की ही बातों को उठाया जाए कि कांग्रेस ने क्या-क्या किया। ... (व्यवधान) आपने दस साल आपने क्या किया, वही मैं कह रहा हूँ। ... (व्यवधान) भाई, आप जरा हमारी बात को सुनिए। ... (व्यवधान) आराम से सुनिए। ... (व्यवधान) यह कमेटी की रिपोर्ट है। आप लोग यहां हैं, इसलिए बात कही जा रही है।

माननीय सभापति : यह गन्दी नहीं, अच्छी आदत है।

डॉ. निशिकान्त दुबे: आप लोग यहां नहीं होते तो कोई सुनने वाला नहीं होता या कोई टोकने वाला नहीं होता और भाषण का कोई मतलब नहीं होता। आप लोगों की एक नेशनल मिनिमम प्रोग्राम कमेटी बनी और उसकी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी हो गईं। मैं रायपति सम्बासिवा राव की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भाजपा-कांग्रेस की बात नहीं करता, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई, उसे ही पढ़ रहा हूँ। यह 2010 की रिपोर्ट है। कमेटी ने लिखा :

“As per the National Common Minimum Programme, the Government has done a comprehensive assessment of linking of the rivers of the country starting from southern rivers in a fully consultative manner. A Committee of environmentalists, social scientists and other experts on ILR has been constituted to advice Government on ILR. The information bulletins of ILR are distributed as a part of mass awareness programme at various seminars, conferences and exhibitions including India International Trade Fair and important public events. The Chairman of the erstwhile Task Force on ILR has written about 1.5 lakh letters elaborating the benefits of ILR to individuals.

For Ken-Betwa link, pamphlets for technical and general public in Hindi and English highlighting the salient features and benefits of the link canal has been distributed in the Ken-Betwa project.”

2008 में यह रिपोर्ट आई थी। इसके बाद कंसल्टेटिव कमेटी कह रही है कि भाई, इसे ऐसे मत करो। जो 2003 की टास्कफोर्स की रिपोर्ट है, उसे आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो।

“The Committee are also unhappy to take note of the submission made by the Secretary, Ministry of Water Resources during evidence that though making laws under Entry 56 would be legally valid, the Government for the moment does not have any proposal to the effect or to declare implementation of ILR programme to be expedited in the public interest hereunder.”

यह कांग्रेस के चेयरमैन साहब कह रहे हैं।

“They are further disheartened to take note of the Secretary’s submission that unless it comes as a recommendation from the Centre-State Relation Commission such a proposal cannot be considered. Since the Centre-State Relation Commission may take some more time in giving its recommendation, the Committee would suggest that instead of waiting for a recommendation by the Commission to the effect, the Government should obtain the opinion/advice of the Ministry of Law as to the interpretation of the provision of Entry 56 in the Union List *vis-à-vis* Entry 17 of the State List. The Committee are of the considered opinion that the creation of a National Authority for inter-linking of rivers as recommended by the Task Force on ILR, the setting of a IWRFC as also inclusion of Ken-Betwa link under the concept of a national project, the enactment of law under Entry 56 of the Union List would be a logical sequence and would go a long way in accelerating the pace of implementation of projects under ILR programme. They would like to be apprised of the opinion of the Law Ministry obtained by Government in this regard at the earliest.”

इसके बाद आपने छः साल सरकार चलाई। आपने कोई काम किया? ...(व्यवधान) आपने पांच साल क्या किया, मैं वही बता रहा हूँ। मैं जानता था कि आप यही पूछेंगे। आप नए सदस्य बने हैं तो आप हम से सब कुछ पूछना चाहेंगे, हम सारा विवरण लेकर आए हैं।

जब मोदी जी प्रधान मंत्री बनें तो उनको लगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम ने वर्ष 2002 के पीआईएल का ऑब्जर्वेशन सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 2012 में उसका एक फाइनल जजमेंट आ गया।

“The hon. Supreme Court in the matter of Writ Petition No. 512 of 2002 – networking of rivers, along with Writ Petition No. 668 of 2002 delivered a judgement dated 27.2.2012. The hon. Supreme Court had directed that an appropriate body should be created to plan, construct and implement the inter-linking of rivers programme for the benefit of the nation as a whole.”

कांग्रेस के लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी कोई मतलब नहीं है। ब्लैक मनी के लिए एसआईटी बनी। 26 मई, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी ने चार्ज लिया तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला डिसिजन ब्लैक मनी के लिए एक एसआईटी कमेटी बनाने का लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट वर्ष 2012 का था।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इस पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था, उसका जवाब नहीं दिया गया था क्योंकि मैंने उस वक्त के तत्कालीन तीन माननीय सांसदों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन लोगों के नाम स्विस बैंक के एकाउंट में, लिंचेस्टाइन बैंक के जो एकाउंट आए हैं, वे डाले गए हैं, चूंकि उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री कोई जवाब नहीं दिए थे। एक हर्ष रघुवंशी थे, जो मेरे भाषण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए। उस केस को राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी ने लड़ा था और उसके ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया कि आप एक एसआईटी बनाइए। इन्होंने दो साल तक वह एसआईटी नहीं बनाई। ठीक उसी तरह से पानी की बहुत बड़ी समस्या थी।

सभापति महोदय, इन लोगों की स्थिति और खराब हो गई है। उस दिन मैं देख रहा था, बड़ा हंगामा हुआ, देश में कई पत्रकारों ने भी बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दिया कि कहीं से ‘जय श्री राम’ का नाम चल रहा है, कहीं ‘अल्लाह-हू-अकबर’ का नाम चल रहा है।

अधीर दा, लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मैं आपके माध्यम से अपने कष्ट को बयान करना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ क्योंकि हम और वह एक समय एक ही राज्य से आते थे। बिहार और बंगाल का बंटवारा वर्ष 1912 में हुआ। कहानी वर्ष 1912 के पहले की है।

सभापति महोदय, 'वंदे मातरम्' स्वेदशी का नारा था, कांग्रेस की यूनिटी का नारा था।

17.00hrs

'वंदे मातरम्' को जब ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, तो वर्ष 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्र नाथ टैगोर जी की भांजी सरला राय चौधरानी ने 'वंदे मातरम्' को गाया था। वर्ष 1937 में इसी कांग्रेस पार्टी ने 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया था और उस दिन जब यहां पार्लियामेंट में हंगामा होने लगा और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क साहब ने कहा कि यह इस्लाम विरोधी है, तो ...* और ...* मेज थपथपा रहे थे। क्या ये कांग्रेस पार्टी है?... (व्यवधान) मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीजें लोगों ने देखीं, मेरे पास कैसेट है। मैं अपनी सीमा जानता हूँ और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, यह भी जानता हूँ। यदि ए.आर. रहमान 'वंदे मातरम्' गा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शफीकुर्रहमान मुसलमान हैं, तो क्या ए.आर. रहमान मुसलमान नहीं हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : रिवर इंटरलिंगिंग बहुत अच्छा इश्यू है और गंभीर मुद्दा है। हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए। यह हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस विषय के बीच आप कहां से कहां आ रहे हैं, आप स्वयं देखिए। उस दिन शपथ लेने में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारे शपथ ग्रहण में बाहर के सारे लोगों के लिए यह आलोचना का मुद्दा बनता है, तो यह हमारे लिए हानिकारक है। मैडम सोनिया गांधी ने नहीं किया, बेकार बातें करते हैं। ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अधीर रंजन जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य 15वीं लोक सभा में फाइनेंस बिल पर बोल रहे थे। तब भी इन्होंने यह बात कही थी, क्योंकि नोटिस लिया

* Not recorded.

जाता है। निशिकांत जी हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का थॉट प्रोसेस बदल गया।

श्री अधीर रंजन चौधरी : उस दिन किसी ने कहा 'वंदे मातरम्' और इन्होंने मेज थपथपाया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अधीर जी, 'नदी जोड़ो' की बात सबसे पहले डॉ. अम्बेडकर जी ने रखी, उसके बाद अटल जी ने रखी। कांग्रेस भी कभी न कभी इसके समर्थन में थी, लेकिन वर्ष 2004 से 2014 के बीच में समर्थन में नहीं थी। वर्ष 1937 में 'वंदे मातरम्' के पक्ष में थी, लेकिन अब नहीं है, थॉट प्रोसेस बदल गया, यही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य ने जिनके नाम का उल्लेख किया है, वे सदन में उपस्थित नहीं हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति जी, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता की बात मान ली कि ताली नहीं बजाई, लेकिन उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि अशफाकुल्ला 'वंदे मातरम्' कहते हुए फांसी पर लटक गए। ए.आर. रहमान 'वंदे मातरम्' गाते हैं। क्या अशफाकुल्ला मुसलमान नहीं हैं, क्या ए.आर. रहमान मुसलमान नहीं हैं? क्या इस्लाम को केवल शफीकुर्रहमान जानते हैं। इस पार्लियामेंट में यदि 'वंदे मातरम्' का विरोध होता है, तो उसका सभी मिलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर क्या देश चलता है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: हाउस में 'वंदे मातरम्' की सबसे बड़ी गूंज होती है। सारे हिंदुस्तान को 'वंदे मातरम्' कांग्रेस पार्टी ने सिखाया।

डॉ. निशिकान्त दुबे: सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि यह 27 फरवरी, 2012 का जजमेंट आया और कांग्रेस पार्टी दो साल तक बैठी रही। इसके बाद माननीय मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिली। "The Union Cabinet, in its meeting held on 24th July, 2012, has approved the constitution of the Special Committee on interlinking of rivers in the light of the judgement dated 27.2.2012 of the Honourable Supreme Court."

इस बात को सभापति जी मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनिका टैगोर साहब को बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इसके बाद क्या किया। “The Special Committee has been constituted by the Ministry of Water Resources, RD and GR vide Gazette Notification dated 23rd September, 2014. Thirteen meetings of the Special Committee on the interlinking of rivers have been held.” उसकी डेट 17 अक्तूबर, 2014, 6 जनवरी, 2015, 19 मार्च 2015, 14 मई, 2015, 13 जुलाई, 2015, 15 सितम्बर, 2015, 18 नवम्बर, 2015, 8 फरवरी, 2016, 29 अप्रैल, 2016, 26 जुलाई, 2016, 9 नवम्बर, 2016, 8 मार्च, 2017 और 27 जुलाई, 2017 है। क्या इससे ज्यादा भी कुछ किया जा सकता है। ... (व्यवधान) मीटिंग तो पूरे देश के लिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल केन-बेतवा नदी के लिए ही नहीं कहा है।

इसके बाद क्या हुआ? इसकी एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के बाद हमने केन-बेतवा का काम चालू किया। हमने मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से एम.ओ.यू. कराया। आप कहेंगे कि यह एम.ओ.यू. होने में लेट क्यों हो गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहां माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक बिजली संयंत्र - बीना रिफायनरी को पानी देना है या नहीं देना है, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच यदि पानी है, तो सभापति महोदय, यदि हम लोगों को पीने का पानी देंगे, किसानों को पानी देंगे, जानवरों को पानी देंगे, तो लोगों को खाने के लिए भी रोजगार देंगे। इस पानी का उपयोग जितना किसान के लिए ज़रूरी है, उतना ही पीने के लिए भी ज़रूरी है।

सभापति महोदय, यदि कोई सरप्लस पानी मिलता है, तो उसको हम इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। झारखंड के नाते, संथाल परगना के नाते हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद सबसे बड़ी समस्या झारखंड की हो गई कि सब से ज्यादा माइन्स और मिनरल्स - इस देश का लगभग 50 परसेंट माइन्स और मिनरल्स झारखंड में है। इस देश में कांग्रेस के बड़े नेता रेल मंत्री रहे हैं। आज भी रेल का 40 परसेंट से ज्यादा रेवेन्यु केवल एक राज्य - झारखंड देता है। यदि झारखंड रेवेन्यु देना बंद कर दे, तो इस देश में शायद

रेल में भी ताला लग जाए। हमारे यहां पिछले 15 सालों से हम एक इंडस्ट्री के लिए तरस रहे हैं। हम इंडस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं। हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसी पानी के कारण नहीं बना पा रहे हैं। जब बिहार और बंगाल एक साथ था, तो बिहार की ज़मीन पर बंगाल ने तीन-तीन डैम बना लिए। पंचेत डैम बन गया, मैथन डैम बन गया, मसानजोर डैम बन गया। ये हमारी ज़मीन पर हैं, झारखंड की ज़मीन पर हैं।

सभापति महोदय, वे सारी नदियां हमारे यहां से निकलती हैं। मयूराक्षी नदी जिस पर मसानजोर डैम है, वह मेरी लोक सभा देवघर से निकलती है। मैथन और पंचेत डैम दामोदर नदी पर हैं। दामोदर नदी हमारे यहां से, पलामू से निकलती है। आपको आश्चर्य होगा कि 1978 में ज्योति बसु और कर्पूरी ठाकुर का जो पानी का बंटवारा हुआ था, उसमें बंगाल सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया कि वह हमें दो डैम बनाकर देगी। 1978 से लेकर आज तक 40-41 सालों के बाद मैं इस सदन में बोल रहा हूं कि बंगाल सरकार ने उस बात को पूरा नहीं किया। हमारा पानी है, जो सारा का सारा पानी बंगाल यूज़ करता है। हमारे लोग विस्थापित हुए, हमारी ज़मीन चली गई। हमारे यहां डी.वी.सी. का पावर प्लांट है, लेकिन उसका सारा का सारा उपयोग बंगाल कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग जीने और मरने के लिए बाध्य हैं। यही हाल बुंदेलखंड के लोगों का है। आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। इसके लिये कौन सोचेगा? सवाल जो इस लोक सभा में, इस पार्लियामेंट में है, कि गरीब लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? पानी का बंटवारा सही रास्ते से होगा या नहीं होगा? पानी, जो कि एंटी-56 का एक विषय है, उस पर राज्य और केन्द्र के बीच में वह सहमति बनेगी या नहीं बनेगी?

माननीय मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, जिसे गंगा को भी स्वच्छ करना है, यमुना को भी स्वच्छ करना है, कृष्णा, गोदावरी, सब को स्वच्छ करना है। इसी तरह गंगा बेसिन की जो ट्रिब्यूटी है या जो जमुना की ट्रिब्यूटी है, चाहे वह अजय हो, चाहे वह महानंदा हो, चाहे वह गेरुआ हो, चाहे वह उडुआ हो, चाहे पतरो हो, चाहे जयंती हो, इस तरह की नदियों के पानी का बंटवारा होगा या नहीं होगा? आप यह समझें कि मेरे लोक सभा क्षेत्र से एक नदी निकलती है - चानन। उस पर 1970 में डैम बन गया था। उस डैम से मेरे लोक सभा के गोड्डा जिले को पानी आना है।

हमने कैनाल बना ली। 85 किलोमीटर की कैनाल बन गयी। वर्ष 1970 से आज तक हम जूझ रहे हैं, गोड्डा में एक बूंद पानी नहीं है। चांदन से जो हाई लेवल कैनाल बिहार को बनाकर वर्ष 2000 के बाद झारखण्ड को देना था, उसके पहले बिहार और झारखण्ड एक ही था। इस तरह के अन्याय यदि छोटे-छोटे राज्यों के साथ होंगे, छोटे-छोटे इलाकों के साथ होंगे, गरीब इलाकों के साथ होंगे तो मैंने इसीलिए इस विषय पर बोलने का फैसला किया। बुन्देलखण्ड की स्थिति वही है जो हमारे यहां संथाल परगना की है। सेम वही सिचुएशन है। 80 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 75 परसेंट महिलाएं मालन्यूट्रीशन की शिकार हैं, एनिमिक हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं, वे जिन्दा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। हैल्थ फैसिलिटी नहीं है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो इस देश 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से हमारे सारे के सारे जिले हैं। 24 जिलों में से 21 जिले झारखण्ड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम पीने का पानी दे पायेंगे कि नहीं दे पायेंगे। किसानों को पानी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। झारखण्ड एक ऐसा राज्य है, जहां केवल 12 परसेंट जमीन सिंचित है और वही हाल बुन्देलखण्ड के लोगों का है। यदि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां है, जो पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी और अनुराग शर्मा जी अभी नए सांसद बने हैं झांसी के और उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी इसी डिबेट में भाग लेने के लिए। यदि आप झांसी, बुन्देलखण्ड, खजुराहो, ललितपुर और महोबा के एरिया को देखेंगे तो आपको रोना आएगा कि आजादी के 70 साल बाद हमने इसी के लिए यह किया है। के.एल. राव आप ही के इरिगेशन मिनिस्टर थे। एक पायलट थे दस्तूर, उन्होंने 1970-72 में एक कल्पना की, लेकिन क्या वह कल्पना पूरी हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? मैंने आपको केन-बेतवा की कहानी बता दी। आप समझिए मैंने एक सांसद होने के बावजूद भी, महुआ मोइत्रा जी कुछ बोलेंगी और मैं उनको बोलने का पूरा मौका दूंगा। मैं एक ऐसा सांसद हूँ जिसने बिहार सरकार के खिलाफ भी और बंगाल सरकार के खिलाफ भी पी.आई.एल. की हुई है। मेरा केस चल रहा है। बंगाल सरकार को नोटिस मिला है। बंगाल सरकार ने अभी इण्टरस्टेट कौंसिल बैठक हुई, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग की तो बंगाल सरकार ने उसमें एक्सेप्ट किया कि वर्ष 1978 में जो डैम उनको बनाकर बिहार सरकार को देना था और झारखण्ड सरकार को देना था, वह उन्होंने नहीं दिया। इस कारण से समस्या है। उनको पता है। आपको मैं दिखाने ले

चलूंगा, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं। मैं आपके माध्यम से महुआ मोइत्रा जी को अपने यहां आमंत्रित करता हूं कि जो मसानजोर डैम है, वह मेरे यहां की नदी है। हमारा पानी आपके यहां जा रहा है, हमारे किसानों के लिए पानी नहीं है। मैथन और पंचेत हमारे यहां है। आपके बंगाल का एक इंच जमीन नहीं है, सारी की सारी जमीन झारखण्ड की है, लेकिन सारा का सारा पानी आप उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहां केवल 14 मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं अभी भाषण दे रहा हूं तो शायद एकाध ही यहां पर मौजूद होंगे। आपके यहां इतनी बड़ी संख्या है, 42 लोग हैं तो आप लोग दबाव देकर हमारा पानी खींचकर ले जा रहे हैं। ... (व्यवधान) इतने वर्षों के बाद मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, देश की जनता को और नए जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार कम से कम पानी एक बड़ा विषय है। पीने का पानी और सिंचाई का साधन बड़ा विषय है, क्योंकि किसी जमाने में आश्चर्य होगा कि आज से 500-550 साल पहले मुगलों ने इसके ऊपर काम किया था। जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जिस इलाके से सभापति महोदय आप आते हैं, उन मुगलों ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पानी देने के लिए आज से 500 साल पहले उसको बनाया था। आज भी आप समझिए कि हम लोग जिस हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, वह अंग्रेजों की बनायी हुई है, उसको हमने नहीं बनाया है। वह गंगा नहीं है, गंगा वह डाइवर्टिड है, वह कैनाल है। कैनाल सिस्टम, जिसके कारण पूरा का पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आज आप समझिए खुशहाल है। के.एल. राव ने जो प्लान बनाया था, दस्तूर ने जो प्लान बनाया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने प्लान बनाया था, उसने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। कई ऐसे प्लान हैं। ये पानी का प्लान है। मैं आपको बताऊं कि उसी तरह से नेहरू जी के बारे में ये बहुत बोलते हैं। नेहरू जी विज्ञानी थे, मतलब बड़े थे, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में। पहले प्रधान मंत्री थे, निश्चित तौर पर बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आप समझिए कि उन्होंने कहा था कि हम मणिपुर के रास्ते बर्मा जाएंगे, बर्मा से हम इण्डोनेशिया चले जाएंगे, थाईलैण्ड चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, मनीला तक हम रोड बना देंगे।

वर्ष 1962 से लेकर आज तक हम क्यों नहीं बना पाए हैं? क्यों मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया है?... (व्यवधान) हम बना रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। हम बना रहे हैं। उस पर काम शुरू हो

गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से तीन-चार बातें कहना चाह रहा हूँ। जो टास्क फोर्स की कुछ रेकमेण्डेशंस हैं, पूरे देश भर के लिए, जैसे पहला रेकमेण्डेशन था कि “Transferring surplus flows from the rivers of Mahanadi, Godavari to deficit basins of Krishna, Pennar, Cauvery and Vaigai...”, जिसके कारण ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु और उसके साथ नॉन लिंक जुड़ना था। मैं तमिलनाडु की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह देश की बात हो रही है।

माननीय सभापति : आप बहुत विद्वान सांसद हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, पर बाकी माननीय सदस्यों को भी मौका मिल जाए। मैं पहली बार आपको टोक रहा हूँ, टोक भी नहीं रहा हूँ, केवल आपसे निवेदन कर रहा हूँ।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, बस पांच-सात मिनट बोलूंगा, वैसे तो मैं एक घण्टा बोलता हूँ, लेकिन आज मैंने छोड़ दिया है।

माननीय सभापति : मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको कहा है। बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं।

डॉ. निशिकान्त दुबे : महोदय, दूसरा, “Transferring water from west-flowing rivers to the benefit of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala...” इसके बाद ये केन-बेतवा, जिसके ऊपर कि इतना बड़ा डिस्कसन है, जिसके लिए पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल साहब और अनुराग शर्मा साहब और उनकी पूरी टीम और साथ में गजेन्द्र सिंह शेखावत साहब यहां बैठे हुए हैं, कटारिया साहब भी हैं। वैसे आजकल जब से मंत्री बने हैं तो इनके पास हमारे जैसे लोगों के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन शायद केन-बेतवा के लिए फुर्सत होगी। मैं यह कहा रहा हूँ कि पहला प्रोजेक्ट, जिसको कि हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर डालना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचें। मैं इसके अलावा बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपने क्षेत्र के बारे में, जैसे मैंने कहा कि मैं जिस संथाल परगना से आता हूँ, वहां एक कलेक्टर, कमिश्नर और एस.डी.ओ. सभी रहे, कास्टेयर सर। वह वर्ष 1890 में रिटायर हुए थे। उनकी एक किताब है कलेक्टर्स डायरी, जो उन्होंने 1908 में लिखी। उन्होंने लिखा कि हमने संथाल परगना में सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया और जितना हो सकता था, उतना हमने प्रयास किया। लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा था, जिसको मैं नहीं सुधार पाया। यह वर्ष 1890 की कहानी उन्होंने

बतायी और मैं वर्ष 2019 में बोल रहा हूँ, ठीक 130 साल बाद। जितनी इस देश की आबादी है, उतने साल बाद, 130 साल बाद। यह जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन और पी.एच.जी. का, जो कास्टेयर साहब ने 1890 में लिखा, आज भी 130 साल बाद प्रत्येक राज्य में वहीं का वहीं है। यहां सारे सांसद मौजूद हैं। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन वहां के इंजीनियर की स्थिति यही है। डी.पी.आर. बनते-बनते एक इंजीनियर का तबादला हो जाता है, दूसरा कंसल्टेंट आता है, कंसल्टेंट चला जाता है। मेरा संथाल परगना है, जहां की सारी नदियां गंगा में जाती हैं और गंगा समुद्र में मिल जाती है। हमारे यहां जो नदियां हैं, चाहे वह अजय हो, चाहे पथरो हो, चाहे जयंती हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे गेरुआ हो, चाहे कजिया हो, चाहे हरना हो, चाहे त्रिवेनी हो, चाहे चानन हो, चाहे बडुआ हो, ये सारे प्रोजेक्ट इंटर-लिंग्किंग ऑफ रिवर्स के लिए पड़े हुए हैं। वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 1200-1500 फीट पर भी ग्राउण्ड वाटर नहीं है। ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेण्ट इस देश में मोर और लैस फेल है। हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति ने एक अच्छा काम किया कि लोगों को खाना, पीना, खिलाना शुरू किया। हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में सेल्फ सस्टेण्ड हैं, लेकिन जो सबसे भारी नुकसान इस हरित क्रांति ने किया, वह यह कि वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। इस कारण ग्राउण्ड वाटर प्रत्येक साल नीचे चला जा रहा है। उसके मैनेजमेंट का किसी भी राज्य ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ग्राउण्ड मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे। जो पानी तीन महीने पड़ता है, 90 दिन पानी पड़ता है और आदमी को पानी की आवश्यकता 365 दिन है। उस पानी के लिए क्या करेंगे? संथाल परगना जैसा जो पिछड़ा इलाका है, जो बुंदेलखंड से मिला हुआ इलाका है, उसमें पुनासी जैसा डैम बन रहा है। वर्ष 1980 से वह डैम बन रहा है। 26 करोड़ की योजना एक हजार करोड़ की हो गई है। बुढ़ई डैम का वर्ष 1978 में मधु लिमये जी ने उसका शिलान्यास किया था, वह आज भी नहीं बन पा रहा है। वर्ष 1978 में सुगाबथान डैम बन रहा था, वह नहीं बन पा रहा है। बंगाल हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, मसानजोर के तौर पर, पंचायत के तौर पर।... (व्यवधान) इस पानी का क्या होगा? जो बिहार हमारे साथ अन्याय कर रहा है। चानन का पानी जो हमारे गोड्डा में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे जैसे छोटे राज्यों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। किसानों को पानी नहीं है, जानवरों को पानी नहीं है। उसके लिए आप किस तरह की व्यवस्था करेंगे?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हम लोग छोटे राज्य के हैं। हमारे जैसे लोगों की आवाज बहुत दब जाती है। यहां बड़े राज्यों का आधिपत्य है। उस आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, जो वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें लुक ईस्ट पालिसी के तहत झारखंड भी उसका एक पार्ट है। आप झारखंड और बुंदेलखंड को एक साथ रखकर कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे? कैसे हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। अंत में मैं केवल एक कविता कहूंगा कि-

खेत-खेत फैला सन्नाटा है, गागर घाट तुम्हारा है,
घाट-घाट में निर्मम प्रहार, अन्न कहां से लाओगे आप।

अन्न कैसे आएगा? हम गरीब कैसे खाना खाएंगे? आपसे यही आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने जो संकल्प लिया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सूखा है, उसके लिए सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में विराजमान है। यहां पर सूखा भी है, यहां पर पानी भी है और यहां पर बाढ़ भी आती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो सूखे से इतने प्रभावित हैं, उनमें सिंचाई हेतु तो क्या पीने की पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, जो पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान प्रदेश में पीने के पानी की भी समस्या आती है, खेती तो बहुत दूर की बात है। बुंदेलखंड का आपने जिक्र किया है। सरकार ने पीने के पानी के लिए अलग-अलग समय में अलग-अलग व्यवस्था की है। केन्द्र में हमारी सरकार है। वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक जिस तरीके से रेलवे विभाग ने पीने के पानी के लिए जो सहयोग किया है और रेलगाड़ियों द्वारा पानी भिजवाया है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है।

मैं समझता हूँ कि हर गांव के गरीब के लिए, हर गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर किसी ने पहली बार प्रयास किया है, तो वह केन्द्र की सरकार और देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। यह संकल्प एक पानी का संकल्प है। इस देश के अंदर 12 करोड़ किसान जो खेतों में बसते हैं, अगर उनकी अर्थव्यवस्था को किसी ने सुधारने की शुरुआत की थी, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अटल जी ने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की थी। लेकिन उनका राज चला गया और राज जाने के बाद जब इधर पर कांग्रेस पार्टी के लोग आए, तो नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की और उस स्कीम को अगर किसी ने बंद करने का काम किया है, तो वह कांग्रेस पार्टी के राज में किया गया है। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि अगर अटल जी का वह सपना पूरा हो गया होता, तो चन्देल साहब को आज इस संकल्प को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर सूखा हो, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो, अगर ऐसा काम कोई कर सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मैं कह सकता हूँ कि आज से पहले और आज तक भारत में नहर पर 31.4 प्रतिशत, कुंओं पर 22 प्रतिशत,

तालाबों पर 4.7 प्रतिशत, नलकूप पर 36.6 प्रतिशत और अन्य साधनों से 5 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। सूखा पड़ता है, पीने के पानी की परेशानी आती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां से मैं आता हूँ, 66 प्रतिशत भाग सिंचाई पर निर्भर है और मैं समझता हूँ कि जहां पर सूखा पड़ रहा है, उसके लिए आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने पिछली बार 53 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत की थी, जो बजट का प्रावधान किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर के दिखाने का काम किया था। मैं इस सरकार को और देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि किसान के खेत में पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए अगर किसी ने व्यवस्था की है तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने की है।

सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उस प्रदेश में तीन नहरें हैं। एक एशिया की सबसे बड़ी नहर राजस्थान कैनाल है। आदरणीय मंत्री जी भी राजस्थान से ही हैं। दूसरी भाखड़ा है और तीसरी गंग कैनाल है। तीनों नहरों के लिए पहली बार आजादी के बाद अगर किसी ने पैसा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने और नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दिया है। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान कैनाल जो इतनी बड़ी नहर है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उसके लिए 3200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान दिया है। सारी की सारी नहरों का नवीनीकरण करने काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पहली बार इतना पैसा नहरों के नवीनीकरण के लिए दिया गया है। हमारे गजेन्द्र सिंह जी, जो जल-शक्ति मंत्री हैं, इनकी देख-रेख में काम हो रहा है। पहली बार हरी का बैराज, जो पंजाब में है, हमने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से निवेदन किया, सन् 1952 में हरि का बैराज बना था। अब पानी कम कैसे हो रहा है, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसान के खेत में अगर पूरा पानी पहुंचाने का काम करेंगे तो नहर बिल्कुल साफ होनी चाहिए। वहां के डैम बिल्कुल साफ होने चाहिए। पहली बार 64 करोड़ रुपये दे कर, सन् 1952 के बाद 64 करोड़ रुपये उसमें दिए और हरि के बैराज को साफ-सुथरा किया। जब सन् 1952 में हरि का बैराज बना था, तब 66 हजार क्यूसेक पानी उसमें आ रहा था। अब मात्र आठ हजार क्यूसेक पानी उसमें आ रहा है। यह हरि के बैराज की स्थिति थी। लेकिन पहली बार हमने उसको साफ किया है। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से नहरों के लिए काम होता गया, नदियों के लिए काम होता गया तो बुंदेलखंड की जो स्थिति माननीय चंदेल साहब बता रहे हैं, वैसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। मैं जिस राज्य से आता हूँ,

सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्थान कैनाल है, जिसका पानी पंजाब से आता है। हरियाणा और पंजाब जब एक ही राज्य था, तब से ले कर आज तक हमारे चार बार अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए हैं। पहला समझौता 29 जून, सन् 1955 को प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा समझौता 13 जनवरी, सन् 1959 को पंजाब और राजस्थान के बीच में सतलुज नदी के लिए एक समझौता हुआ। वह भी नेहरू जी के समय में हुआ। तीसरा समझौता 31 दिसंबर, 1981 को इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ, जिसमें राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्री जी भी शामिल थे। चौथा समझौता 24 जून, 1985 को राजीव गांधी जी के प्रधान मंत्री कार्यकाल में हुआ। चार बार अंतर्राज्यीय समझौते होने के बाद भी राजस्थान को आज भी पूरा पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान का पॉइंट 6 एम.ए.एफ. यानी मिलियन एकड़ फिट पानी आज भी पीछे पड़ा है, हरि के बैराज में है, पंजाब के पास में है और राजस्थान को आज तक पूरा पानी नहीं मिला है। हमारे जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं, ये अब पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान को उसका पूरा पानी मिल सके। वैसे तो ये पूरे भारत के जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान को पॉइंट 6 एम.ए.एफ. पानी जो राजस्थान के हिस्से का पानी बनता है, उसको राजस्थान को दिलाने का वे काम करेंगे, चाहे वे दोबारा दोनों मुख्य मंत्रियों से बात करें या तीनों मुख्य मंत्रियों से बात करें, लेकिन राजस्थान को उसका पूरा पानी मिलना चाहिए। राजस्थान का किसान जिस तरीके से जीवन जी रहा है, वह सारी दुनिया जानती है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो बना था, उसका चेयरमैन तीन राज्यों से बनता है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों से बनता है। तीनों स्टेटों से एक बार हरियाणा का बनेगा, एक बार पंजाब का बनेगा, एक बार राजस्थान का बनेगा। लेकिन मंत्री जी आज तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन राजस्थान से एक बार भी नहीं बना। एक बार हरियाणा का बनता है, एक बार पंजाब का बनता है लेकिन समझौते में एक बार राजस्थान, एक बार हरियाणा और एक बार पंजाब का होना चाहिए था। एक बार भी बीबीएमबी का चेयरमैन राजस्थान का नहीं बना। मेरा आपसे आग्रह है कि जब रोटेशन घूमता है तो राजस्थान का भी उसमें नम्बर आना चाहिए ताकि उसमें राजस्थान को कुछ फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में 'मुख्य मंत्री जल स्वाभिमान अभियान' की शुरुआत की थी। उससे राजस्थान को पानी का बहुत बड़ा फायदा मिला और मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आज जल स्तर बढ़ा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डेढ़ से ढाई प्रतिशत की जल स्तर की बढ़ोतरी, सिर्फ एक इस योजना से हुई थी। मैं समझता हूँ कि यह योजना एक बहुत अच्छी योजना है। अगर इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाए तो पानी के जल संग्रह में बढ़ोतरी होगी। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, वैसे मैं माननीय मंत्री जी से कल मिलकर आया था, मैं एक बहुत तगड़ी संवेदनशील बात बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान एक सीमवर्ती क्षेत्र है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी सहित 13 जिले, हम लोग पंजाब के इंदिरा गांधी नहर का पानी पीते हैं, जिसमें आप भी हैं, जिसमें पंजाब के मुख्य मंत्री भी हैं, आप भी हैं। 13 जिले पंजाब का पानी पीते हैं। पंजाब में लुधियाना के पास 383 जो फैक्टरियाँ लगी हैं, उन फैक्टरियों का केमिकल युक्त गंदा पानी, चमड़े का पानी, सारा का सारा केमिकल युक्त गंदा पानी फैक्टरियों का समुद्र में गिर रहा है। उसका पानी हम लोग पी रहे हैं। एक बुड्ढा नाले के नाम से वहाँ पर एक नहर है। ऐसी 30 नहरें उस गंदे पानी को लाकर हरिके बैराज में डाल रही है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है। सभापति महोदय, बठिण्डा से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया है। इतनी भयानक बीमारियाँ फैल रही हैं और मैं समझता हूँ कि 383 गंदी फैक्टरियों का पानी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला भविष्य क्या कहेगा, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है।

कल मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के लिए गया था। हमारे साथ में पंजाब का एक डेलिगेशन भी था और राजस्थान का भी एक डेलिगेशन था। सभापति महोदय, जब नहर बंद होती है, नहर का निम्नीकरण होता है साल में एक बार नहर बंद करनी पड़ती है, 21 दिन हम लोग बंद ही रहते हैं। जब दोबारा पानी उसमें छोड़ते हैं तो उसमें जितने भी जानवर पहली बार जो पानी पीता है, चाहे वह चिड़िया हो, चाहे वह कौआ हो, जो भी जानवर पानी पीता है या चाहे वह मछली हो, सारी की सारी मर जाती हैं। पहली बार इस नहर में आने पर जो पानी पीता है, इतना गंदा हाल उस नहर का है, जिसका हम लोग पानी पीते हैं।

सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर एक तपोवन ब्लड बैंक है। उन्होंने एक बस बनाई है। एक करोड़ रुपये लगा था। वह बस हर गाँव में जाती है और कैंसर के पेशेंट को चैक करती है, उसकी रिपोर्ट उसके मोबाइल पर भेजती है। हम लोग गाँव में पहली बार उसको लेकर गए। उस गाँव का नाम मैं रिकार्ड नहीं कराना चाहूँगा, लेकिन उस गाँव में हमने चैक किया कि 40 पेशेंट्स एक ही गाँव में, 500 की आबादी का गाँव है और 40 पेशेंट्स कैंसर के निकले और जिनको पता नहीं था कि उसे कैंसर है। जब मैंने उनको बताया कि आपको कैंसर है तो आधे तो वहीं लोट-पोट हो गए। इतना भयानक हाल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। एक तरफ तो सूखे से वह लोग दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और हम लोग गंदा पानी पीने से महसूस कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि पंजाब में जो गंदे पानी की 383 फैक्टरियाँ हैं, एक साल पहले एक फैक्टरी का बॉइलर फटा था जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस फैक्टरी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था। फैक्टरी का नाम मेरे दिमाग में नहीं है, उसका नाम मैं भूल गया। 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा और उस फैक्टरी ने आज तक जमा नहीं करवाया। फैक्टरी वापस चालू हो गई। इन सारी की सारी बातों को देखना होगा। हम सब लोग जिम्मेवार लोग हैं। इस पवित्र जगह पर आकर हम लोग इस देश के लिए बात करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए चर्चा करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी 383 जो गंदे पानी की फैक्टरियाँ लगी हैं उनको तुरंत बंद करने का काम करें। पंजाब सरकार को निर्देशित करें या फिर पंजाब सरकार से और राजस्थान सरकार से डीपीआर मंगा कर, वैसे तो हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन केन्द्र द्वारा सरकार डीपीआर मंगा कर उसमें काम किया जाए ताकि हम लोग बच सकें।

महोदय, मैं बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। एक मुद्दा तो यह है और दूसरा मुद्दा है कि आज भी राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए माननीय मंत्री जी और सरकार व्यवस्था करेगी।

माननीय मंत्री जी, जो मैंने बात रखी है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जवाब देते समय उस संबंध में कुछ कहेंगे।

महोदय, मैं आपके इशारे को समझ रहा हूँ। आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): महोदय, आपने मुझे सदन के पहले दिन ही बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद करता हूँ।

महोदय, पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी द्वारा संकल्प-पत्र के माध्यम से जो विषय सदन को बताया गया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सही मायने में देखा जाए तो इस समय देश के अंदर जिस तरह से वाटर लेवल गिर रहा है, जब तक हम लोग नदियों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। केवल नदियों को जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ कि गाँव के ही ज्यादातर लोग यहाँ सांसद चुनकर आए हैं। वे इस समय शहर में रह जरूर रहे होंगे, लेकिन वे गाँव के हैं। जब तक गाँव का पानी गाँव में नहीं रुकेगा, तालाब का पानी तालाब में नहीं रुकेगा, नहर का पानी नहर में नहीं रुकेगा और जब तक हम नदियों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, हमें नहीं लगता कि तब तक हमारा वाटर लेवल ऊपर आएगा। आज से 100-200 साल पुरानी बात आप बता रहे थे कि उस समय बुन्देलखण्ड में 8 हजार तालाब थे। अकेले बुन्देलखण्ड में 8 हजार तालाब थे। इसी तरह पहले हर स्टेट में, हर गाँव में दो-दो, तीन-तीन तालाब थे। आज हम तालाबों की स्थिति दयनीय देख रहे हैं। जिस भी गाँव में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ तालाब को गाँव वालों ने उस्टबिन बना रखा है।

महोदय, आप गाँव के तालाबों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे उस्टबिन की तरह हो गए हैं। गाँव में यदि कोई भी सामान टूट-फूट जाता है, छलनी टूट जाती है, जूते-जुराब खराब हो जाते हैं, घर का जो भी कचरा होता है, गाँव वाले उसे तालाब में डाल देते हैं। उस तालाब का पानी पीने लायक होता ही नहीं है। उस पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं, अगर वे कहीं किसी के शरीर पर जाकर बैठ जाते हैं, तो उससे शरीर पर फलके पड़ जाते हैं और उससे तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। कभी हमारे गाँव के जो तालाब होते थे, गाँव के जानवर उनका पानी पीते थे और यहाँ तक कि गाँव के कुछ लोग उसमें अपने कपड़े आदि भी धो लेते थे। आज स्थिति यह हो गई है कि तालाब के पानी को कोई छूना नहीं चाहता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि हिन्दुस्तान में जो भी तालाब हैं, मैंने तो अपने यहाँ कई बार जिलाधिकारी से कहा है कि मनरेगा के अन्तर्गत तालाब का सुन्दरीकरण कराया जाए। हम लोग तालाब को किसी भी सूरत में उस्टबिन न बनने दें, क्योंकि आज गाँव का कोई भी कचरा होता है, गाँव

में किसी की कोई भी चीज टूट जाती है तो वह उसे तालाब में डाल देते हैं। पूरे देश को लोगों को हमें इस बारे में जागरूक करना चाहिए। हमें इस संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जहाँ भी हमारे जल स्रोत हैं, चाहे वे झीलें हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे नहरें हैं, उनका उपयोग हम डस्टबिन की तरह न करें। जो हमारी पूर्व में सरकारें रही हैं, उनकी कहीं न कहीं इस तरह की उदासीनता रही और लोगों में उस तरह से जागरूकता पैदा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज हिन्दुस्तान की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। जब हम लोग गाँव में जाते हैं, तो हमें यह लगता है कि कोई कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालेगा, हैंडपम्प से पानी निकालकर हमें पिलाने के लिए लाएगा। हम गाँव में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी वे हमारे पीने के लिए पानी की बोतल लाते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर तीन-तीन नदियों के मध्य में स्थिति है। गंगा नदी हमारे पूरे लोक सभा क्षेत्र में बह रही है। हमारे यहाँ रामगंगा नदी भी बह रही है। हमारे यहाँ काली नदी भी बह रही है। हम लोग जिस भी गाँव में जाते हैं, तो वे हमें घर का पानी नहीं पिलाते हैं। हम लोगों के स्वागत में वे वैसे पानी की व्यवस्था करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि जो पानी आप लोग पीते हो, वही पानी हमें पिलाइए। हमें इसका चिंतन करना पड़ेगा। हम लोगों के यहां कहा जाता था कि जल से पतला क्या है? गांव में कोई भी आदमी कभी पानी मांगने आता था या नलकूप पर भरने आता था या कुएँ पर भरने आता था तो उसके लिए कोई मना नहीं करता था। पर, आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग अन्न जैसी चीजें तो दे देते हैं, पर पानी के लिए कहते हैं कि पानी नहीं है। इसके लिए हम सबका चिंतन होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं गांवों में जिस तरह से देख रहा हूँ, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर हमारा जो बेल्ट है, जैसे फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मैनपुरी है, इटावा है, ओरैया है, एटा है, बदायूँ है, इन क्षेत्रों में मक्का 21 जून के बाद बोया जाता था। उस समय मॉनसून आ जाता था और 21 जून के बाद मक्का बोया जाता था और मूंगफली की फसल होती थी। अब स्थिति यह है कि जनवरी-फरवरी में ही मक्के की फसल बो दी जाती है जो इस समय मक्का तैयार हो जाती है। मक्के का उत्पादन तो अच्छा है, लेकिन उसमें पानी तो लगता ही है। इस समय भूमिगत जल का स्तर 15-20 फुट नीचे चला जाता है। हमारे यहां हैंडपंप पानी देना बंद कर देते हैं। किसानों को थोड़े-से लाभ की वजह से, मक्का या मूंगफली का उत्पादन होने के थोड़े लाभ में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, हमें

इसकी कल्पना नहीं है। हम लोग भूमिगत जल का कितना पानी निकाल रहे हैं और हम उस कीमती जल को फसलों में लगा-लगा कर बर्बाद कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो फसल जिस सीजन की है, जैसे मक्का जब बोनी चाहिए, उसी समय मक्का बोयी जानी चाहिए। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसा बुंदेलखण्ड केवल एक ही नहीं होगा, बल्कि हिन्दुस्तान में हर गांव, हर जनपद एक तरह से बुंदेलखण्ड के रूप में तब्दील हो जाएगा। बुंदेलखण्ड की आज जो स्थिति है, आज से 100 साल पहले ऐसी नहीं रही होगी। इसलिए हम सबका इस पर चिंतन होना चाहिए। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो भी फसलें हो रही हैं, उनका जब समय हो, तब ही बोना चाहिए। जिस समय मक्के की फसल का सीजन हो, जैसे वह बरसात में होता है, वह उस समय ही बोया जाना चाहिए। उसके ऐसे बीज तैयार किए जाएं, जिससे कम पानी में भी उस फसल की पैदावार ठीक से हो सके।

अन्ना पशु की जो बात कही गयी है तो हमें एक बार वर्ष 2016 में बुंदेलखण्ड के दो-तीन विधान सभाओं में भेजा गया। मैं जिधर से भी निकलता था, हाईवे पर पूरे के पूरे अन्ना जानवर बैठे हुए थे। जिस खेत की तरफ देखता था, उस खेत की तरफ अन्ना जानवर घूम रहे थे। जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं था। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां फर्रुखाबाद में भी ऐसी स्थिति है। हम जिस गांव में जाते हैं और जब लोगों से पूछते हैं कि बिजली आ रही है तो वे कहते हैं कि हाँ, बढ़िया आ रही है। हमने पूछा कि क्या आपको और कुछ चीजों में प्रॉब्लम है, जैसे शासन-प्रशासन, कानून-व्यवस्था में, तो वे कहते हैं कि सब ठीक है। मैं पूछता हूं कि फिर प्रॉब्लम क्या है, तो वे कहते हैं कि प्रॉब्लम एक ही है कि ये जो गाएँ हैं, इन गायों की व्यवस्था कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी की सरकार में मुख्य मंत्री माननीय योगी जी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह समस्या भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हम लोगों को इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। अगर किसी ने चार-पाँच बीघे पर गेहूँ की फसल लगा दी और रात-रात भर उसकी रखवाली करके गेहूँ को बचाया, पर अगर एक दिन उसकी आंख लग गयी तो उसका पूरा का पूरा गेहूँ चला गया। इस तरह से किसान बेचारा अन्ना जानवरों से बहुत परेशान है। इसके लिए केवल राज्य सरकार अकेले नहीं, बल्कि भारत सरकार भी इसके लिए सहयोग दे या यहां से कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। जैसे वहां लोग जानवरों का दूध निकाल कर या

जो जानवर दूध देना बंद कर देते हैं, उन जानवरों को छोड़ देते हैं। ऐसे जानवर झुंड के रूप में उन खेतों में चले जाते हैं, जहां उन्हें हरियाली मिलती है और वे किसानों की पूरी फसल तबाह कर देते हैं। ऐसे किसान या लोग, जो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, इन्हें भी कानून के दायरे में लाना चाहिए कि अगर कोई किसान ऐसे जानवरों को छोड़ेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आदमी किसी जानवर का दूध पीता है या दूध निकालता है तो उस जानवर को उसे बांध कर खिलाना भी चाहिए और यदि दूध नहीं देता है, तब भी उसे खिलाना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। इस तरह से जरूर एक नियम होना चाहिए। यहां से हम लोग इस बार भारत सरकार से मांग रख रहे हैं। आज इस संकल्प के माध्यम से बात चर्चा में आयी है। हम लोग यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि अन्ना पशुओं की समस्या का समाधान होना चाहिए।

दूसरा, यदि पानी की समस्या इसी तरह निरंतर बनी रहेगी तो जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र चन्देल जी जो कह रहे थे, इस तरह से वाकई जिस जनपद में पानी की किल्लत होगी, उस जनपद के नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगार होकर दिल्ली तथा मुम्बई जैसे बड़े शहरों की तरफ पलायन करेंगे। उनको लगता है कि जब वे बड़े शहरों में जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा। अपने जनपद में वे देखते हैं कि उनके खेत में कोई भी फसल पैदा नहीं हो रही है, वैसी स्थिति में वे बड़े शहरों में जाकर चार हजार रुपये, पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये की मजदूरी करना पसंद करेंगे। वे अपने यहां दस हजार रुपये में मजदूरी करना पसंद नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि बड़े शहर में मजदूरी करेंगे तो उनको कोई नहीं देखेगा। गांव में उनको लगता है कि उनके पास जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है। लेकिन वे 25 बीघे जमीन में कुछ पैदा नहीं कर पा रहे हैं। कहने के लिए तो वे गांव के जमींदार हैं, लेकिन वे गांव में काम न करके बड़े शहरों में जा कर काम कर लेंगे, किसी अन्य महानगर में जा कर काम कर लेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य बनता है, पूरे सदन का कर्तव्य बनता है और आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि हम सब लोगों को इस पर तुरंत ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हमारी नदियां आपस में जोड़ी जा सकें। अगर नदियां आपस में नहीं जोड़ी जाएंगी तो पानी की समस्या हमेशा

बनी रहेगी। मैं देखता हूँ कि कभी-कभी हमारे यहां गंगा जी में बाढ़ आ जाती है। गंगा जी में इतना पानी है जिससे बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के पानी से लोगों की फसल खराब हो जाती है। बाढ़ से गांव के गांव कट जाते हैं। कभी-कभी मैं देखता हूँ कि रामगंगा नदी सूखी पड़ी रहती है या काली नदी सूखी पड़ी रहती है। यदि नदियां आपसे में लिंक हो जाएंगी तो ये बराबर में रहेंगी। इससे हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा। इससे बाढ़ की समस्या को भी रुकावट मिलेगी। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जो सपना देखा था, हमें लगता है कि इस समय वह वक्त है। अब सही वक्त है और इस पर काम होना चाहिए। नदियों को बिना जोड़े हम अपने मीठे पानी के लैवल को नहीं बचा पाएंगे। मीठा पानी ही आगे जाकर समुद्र में गिरता है और वह खारा हो जाता है। इसलिए मीठे पानी को बचाना हमारी सरकार तथा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।

हमारे चन्देल साहब ने जो संकल्प लाया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इसका पूरा समर्थन करता हूँ।

जय हिन्द – जय भारत ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, आज मुझे 17वीं लोक सभा में जीरो ऑवर में बोलने का मौका मिला था। आपने भी मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

आदरणीय सांसद श्री चन्देल जी जो बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। इनके द्वारा जो संकल्प लाया गया है, इसमें इन्होंने केन नदी को बेतवा से जोड़ने की बात कही है। जल संकट के कारण पशुओं को चारे की जो समस्या है, इस बात को लोक सभा में रखा गया है। जब तक हम बुंदेलखंड में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल नहीं देंगे तब तक वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस समय वर्ष 1998 में पहली बार उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने उसी समय इन नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव लाया था। उस समय काम हुआ था। वर्ष 2004 तक तेजी के साथ काम हुआ, लेकिन वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक इन नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव था, वह बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था। आज पुष्पेन्द्र चन्देल जी केन नदी को बेतवा से जोड़ने का जो प्रस्ताव लाए, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। विशेष रूप से जब यह नदी जुड़ जाएगी, बेतवा में जुड़ने के बाद हमारे लिए, क्योंकि मैं भी बुंदेलखण्ड से आता हूँ, यह बेतवा नदी हमारे सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड से होती हुई आगे जाकर पुनः हमीरपुर की ओर जाती है। यह जितना एरिया असिंचित है, वह सिंचित हो जाएगा। आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से अन्ना पशुओं से किसान बुरी तरीके से त्रस्त है। जो अन्ना पशु की समस्या है, यह आज की समस्या नहीं है। जब 2017 का चुनाव हुआ था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बुंदेलखण्ड में, उरई क्षेत्र में गए थे, उस समय बुंदेलखण्ड के किसानों ने इस समस्या को उठाया था। क्षेत्र की उस समस्या के निदान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वचन भी दिया था। उन्होंने इसका निदान करने के लिए ढेर सारी योजनाएं दी हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमारे योगी जी ने अन्ना पशु के निदान के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से, हर

एक ग्राम सभा में, कोई बिरली ही छोटी ग्राम सभा होगी, जिसमें इसे न बनाया गया हो, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां-जहां अन्ना पशु की समस्या है, 9 लाख रुपये की गौशाला बनाने का एक प्रावधान किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे टाउन एरियाज हैं, उनमें भी 3 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख तक की गौशालाएं बनाने के लिए पैसा दिया है और उससे काम चल रहा है। विशेष रूप से बुंदेलखण्ड में जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मॉडल ही दे दिया है। इसमें 1 करोड़ 65 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। उस 1 करोड़ 65 लाख में जहां यह गौशाला बनाई जाएगी, सबसे पहले उस गौशाला के अंदर एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अगर हमारी गायें वहां बीमार होती हैं, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उस अस्पताल में उनका इलाज कराया जा सकेगा। उसी बाउंड्री के अंदर हमारी गौशालाओं के अंदर गायों के लिए टीन शेड बनाया जा रहा है। उस टीन शेड के माध्यम से उन गायों को छाया मिल सकेगी, वे उसमें बैठ सकेंगी। हम लोग देखते हैं कि गौशालाएं बनी हुई थी, उन गौशालाओं में अकारण ही धूप और गर्मी के कारण सैकड़ों गाय मर गई थीं। इसके बाद लोगों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि इससे तो अच्छा है कि इन गायों को छोड़ दिया जाए और इनको किसी तरह से बचाया जाए। टीन शेड का निर्माण उन गौशालाओं में कराया जा रहा है।

गांव में गौशाला के अंदर एक भूसे का स्टोर भी बनाया जाएगा, जिससे गायें भूखी न रहें, उन्हें समय पर भोजन और जल मिल सके, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। यहां तक उसी गौशाला के अंदर ऐसे कमरे बनाए जाएंगे, जिसमें उन गायों को देखने के लिए एक कर्मचारी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो अन्ना पशु प्रथा है उसे समाप्त करने के लिए पूरे जोर-शोर से लगी हुई है और इसके लिए ढेर सारा पैसा दे रही है। पैसों के साथ-साथ उसकी चिंता भी कर रही है, मानिट्रिंग भी कर रही है कि जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं, वे शीघ्र बनाई जा सकें, जिससे हम अन्ना पशु की समस्याओं का निदान पा सकें।

महोदय, हम लोगों के सामने एक बात आती है कि अन्ना पशुओं में हमारी गाय माता है, बछड़ा है, सांड है, ये अन्ना घूमते रहते हैं। अन्ना घूमने की वजह से हमारी गाय दो किलो, तीन किलो दूध देती है, चार किलो दूध देती है, जब तक चार किलो दूध देती रहती है तब तक किसान उसे बांधे

रखता है। चार किलो के बाद जैसे ही दो किलो पर आती है उसे छोड़ देता है, उसके बाद वह अन्ना हो जाती है, अन्ना होने के बाद वह दूसरे की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी चिंता की है, विशेष तौर से एक कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो बछिया हैं, जो सीमेन डाला जाएगा, उससे जो नस्ल पैदा होगी, वह सिर्फ बछिया ही होगी, बछिया पैदा होने के बाद और बछड़े पैदा नहीं होंगे, धीरे-धीरे अन्ना पशुओं की समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें समय लगेगा और समय लग भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार किसानों को नुकसान न हो, उनको किसी तरीके से लाभ दे सकें, ऐसी सारी योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार बना रही है।

सभापति महोदय, इन सारी बातों के बावजूद भी हम लोग कह सकते हैं, किसानों की सिंचाई के लिए हमारे यहां एक पसना बांध है, पसना बांध मध्य प्रदेश के भिंड की सीमा को छूता है, इटावा की सीमा से छूता है, हमारे जनपद जालौन की सीमा है। तीनों जिलों की सीमा में बसा हुआ एक पसना बांध है, जहां पांच नदियां आकर मिलती है, हम लोग वर्षों से कह रहे हैं कि वहां बांध बन जाएगा तो बुंदेलखंड के साथ-साथ हमारे जो कानपुर क्षेत्र का भाग है, जो सूखे की स्थिति को झेलता है, वर्षा न होने की वजह से पानी की परेशानी होती है, वहां अगर बांध बना दिया जाए तो निश्चित ही समस्या का निदान मिल सकता है। वहां पांच नदियां हैं, यमुना नदी है, कुंवारी नदी है, सिंध नदी है, बहुज नदी है, चमोल नदी है, इन पांच नदियों को मिलाने पर पर्याप्त जल है। उसमें बांध बनने की कई बार स्थितियां आईं।

पूर्व जल संसाधन मंत्री हमारी बहन उमा भारती जी ने उसका सर्वे भी किया था, उसे देखा था और उस पर थोड़ा बहुत काम भी किया था। हम लोग आशा करते हैं, सरकार हमारी है तो निश्चित ही उस पर बांध बनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि आज बुंदेलखंड के किसानों की जो दयनीय स्थिति है, वह अपने क्षेत्र को छोड़ कर किसी तरीके से दिल्ली आकर बसते हैं, किसी तरीके से मजदूरी करते हैं। कोई दूसरे के यहां काम करते हैं और जीवनयापन करते हैं। जब झांसी से दिल्ली के लिए आते हैं, वहां से यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन चलती है, उस संपर्क क्रांति में हम लोग देखते हैं कि बुंदेलखंड के लोग अपने बीबी बच्चों को साथ लेकर ट्रेन में आते हैं, निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरते हैं, वह देखते ही बनता

है। वह अपने सिर पर गठरी रखे हुए और बच्चों को हाथ में लिए हुए दिल्ली में सिर्फ रोजगार के लिए भटकते फिरते हैं। वे किसान हैं, उनके पास जमीन है, बुंदेलखंड में किसानों के पास ज्यादा जमीन है, लेकिन वहां पैदावारी कम है। बुंदेलखंड के अलावा हम लोग कहीं और जाते हैं तो देखते हैं कि किसी के पास अगर दो एकड़ जमीन है तो वह किसान खुशहाल है, लेकिन हमारे यहां किसान को दस एकड़ भी जमीन है तो वह खुशहाल नहीं है क्योंकि दस एकड़ जमीन उसके पास है, लेकिन उसमें पैदा कुछ नहीं होता है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है इसलिए किसान पूरी तरह से तबाह रहता है। उसकी मजबूरी रहती है कि किसी तरीके से वह बाहर जाकर काम करे। विशेष रूप से किसानों की सिंचाई के लिए जो प्राइवेट ट्यूबवेल की सुविधा किसानों को दे दें तो हमारे किसान प्राइवेट ट्यूबवेल लगा कर अपने खेत को सिंचित कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। विशेष रूप से कुछ ट्यूबवेल दिए गए थे लेकिन अभी बीच विद्युत कनेक्शन में कुछ सब्सिडी थी, किसानों को विद्युत की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य वर्मा जी, समय पूरा हो गया है और छह बज गए हैं, आप अगली बार कन्टीन्यू कीजिएगा। आपका वक्तव्य अभी अधूरा माना जा रहा है, उसे आप पूरा कीजिएगा।

सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जून, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18. 00hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, June 23, 2019/ Ashadha 3, 1941(Saka)*
